fgekpy in'k Ldy f'k{kk ckM] /ke'kkyk d y[kkvk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu
vd{k.k vof/k 01-04-10 l 31-03-11
fo"k; lph

d0 l0	fooj.k	i"B l[;k
1.	प्रस्तावना	2
2.	प्राक्कथन	3
3.	कार्य पालक सार	3
4.	विचाराधीन वर्ष के मुख्य–2 जांच परिणामों का सक्षिप्त विवरण/ओवर व्यू ।	4
5.	बोर्ड की आय व व्यय के वित्तीय विश्लेषण ।	5–6
6.	बोर्ड की वित्तीय स्थिति	7–8
7.	बोर्ड की आय एवं व्यय के मुख्य साधन	9
8.	निवेशों का विवरण	9–11
9.	अंकेक्षण शुल्क	12
10.	वर्ष 2010–11 की अंकेक्षण आपत्तियों का सविस्तार विवरण ।	12–49
11.	असमायोजित पैरों का संक्षिप्त विवरण	50–111

i:Lrkouk

1. यह प्रतिवेदन हिमाचल प्रदेष सरकार को प्रस्तुतीकरण हेतु बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा–15(4) अनुसार तैयार किया गया है ।

2. हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के अंकेक्षित लेखे बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेष सरकार को विधान सभा पटल पर रखे जाने हेतु प्रेषित किए जाने आपेक्षित हैं ।

3. प्रतिवेदन के भाग–1 में अवधि 9/1969 से 31.3.2010 तक अनिर्णीत चले आ रहे पैरों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

4. प्रतिवेदन के भाग–ाा में बोर्ड की वित्तीय स्थिति, प्राप्तियों के मुख्य स्त्रोत व विचाराधीन वर्ष 2010–11 की पूर्व व पोस्ट आडिट आपत्तियों का सविस्तार विवरण दिया गया है ।

5. इस प्रतिवेदन के भाग–ााा में स्कूल षिक्षा बोर्ड सम्पर्क कार्यालय षिमला–6 से अध्यापकों के भुगतानों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा टिप्पणियों का विवरण दिया गया है ।

6. इस प्रतिवेदन के भाग–4 में षिक्षा बोर्ड के लेखाओं वर्ष 2010–11 के वार्षिक लेखा पर की गई ऑडिट टिप्पणियों का विवरण दिया गया है ।

fgekpy izns'k Ldwy f'k{kk cksMZ /keZ'kkyk ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k

izfrosnu

vads{k.k vof/k 01-04-2010 ls 31-03-2011

Hkkx&,d

1-1 **ikDdFku** :–

हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड के विनियम 1968 की धारा 15 के अनुसार बोर्ड के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेष सरकार के षिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्याः 21–3/70– दिनांक 18.03.1971 द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को निवासी अंकेक्षण योजना के आधार पर सौंपा गया था ।

1-2 **dk;Zikyd lkj** :–

उपरोक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने इस संस्था में बतौर कार्यपालक कार्य किया हैः–

Ø0 l0	inuke	uke	vof/k
1.	अध्यक्ष	श्री सी0 एल0 गुप्त श्री आर0एस0गुप्ता(IAS) श्री वी0सी0फारका(IAS)	01.04.10 से 13.10.10 14.10.10 से 10.2.11 10.2.11 से 31.3.11
2.	सचिव	श्री प्रभात शर्मा	01.04.10 से 31.3.11
3.	उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)	श्री जी0डी0 षर्मा	01.04.10 से 31.3.11

1-3 fgekpy izns'k f'k{kk cksMZ /keZ'kkyk ds ys[kkvksa vof/k 2010&11 ds vads{k.k izfrosnu dh tkap dj yh xbZ gSA vads{k.k izfrosnu esa lfEefyr xEHkhj vfu;ferrkvksa dk lkj fuEu izdkj gS%&

Øe la[;k	xEHkhj vkifÙk;ksa dk lkj	jkf'k ¼₹½ yk[kksa esa	Hkkx ,oa iSjk la[;k%
1	अग्रिम राषियों का 31.03.2011 तक समायोजन न करना	1799.33	पैरा 49
2	शीर्ष संख्याः 318/1 व 318/2 के अर्न्तगत बोर्ड के खाते से पैन्षन योजना व उपदान रिजर्व के लिए राषि का अनियमित हस्तांतरण	1288.00	वार्षिक लेखा टिप्पणी 3(घ) व (ङ)
3	हिमाचल प्रदेष षिक्षा विभाग से पुस्तकों के क्रय हेतु प्राप्त राषि का समायोजन न करना	225.84	पैरा 14
4	रोकड़ बही व बैंक खाते में बोर्ड गठन से लेकर आज तक अन्तर	122.43	पैरा 3(प)
5	पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों से की गई कटौतियाँ	35.42	पैरा 24
6	डिपोज़िट कार्यों के लिए जारी राषियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	22.43	पैरा 52–3(क)
7	वर्गीकृत व्यय के शीर्ष 313 में अधिक व्यय दर्षाना	13.79	पैरा 52–3(ग)
8	निवेषित राषियों को परिपक्वता की तिथि से पूर्व निवेष करने पर ब्याज की हानि	10.50	पैरा 18
9	बोर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय का अनियमित भुगतान	2.87	पैरा 34
10	परीक्षा शुल्क राषि की वसूली शेष	2.36	पैरा 13
11	क्षतिपूर्ति की राषि का भुगतान	1.00	पैरा 30
12	आय रजिस्टर व बैंक विवरणी में अन्तर	0.82	पैरा 15
13	बोर्ड कर्मचारियों के चाय–पान पर किया गया अनुचित भुगतान/व्यय	0.67	पैरा 33
14	अग्रिमों के विरूद्ध अधिक भुगतान	0.40	पैरा 51.1
15	श्री कुलवीर सिंह को सेवा निवृति लाभों का अधिक भुगतान	0.26	पैरा 29

1-4 foRrh; fo'ys'k.k %&

बोर्ड की वर्ष 2010–11 की आय व व्यय पर तुलनात्मक वित्तीय विषलेषण निम्नलिखित है।

1-4-1 ikfIr;k %& (i) बोर्ड ने वर्ष 2010–11 के दौरान ₹145180415/– की राषि परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त हुई जो कि कुल आय का 26.46 प्रतिषत है ।

(ii) वर्ष 2010–11 के दौरान बोर्ड ने पुस्तक विक्रय से ₹338746749/–की राषि प्राप्त की जो कुल आय/प्राप्तियों का लगभग 62 प्रतिषत है ।

1-4-2 O;; %&

1-4-2-1 osru o HkRrk dh vnk;xh %&

बोर्ड द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन व भत्तों पर कुल ₹159624022/–खर्च किए हैं जो व्यय व प्राप्तियों का क्रमषः 31 प्रतिषत व 29 प्रतिषत है जबकि वर्ष 2009–10 के दौरान इस मद पर कुल खर्च ₹138507438/– किया गया था जो कुल व्यय व आय का क्रमषः 22 प्रतिषत व 24 प्रतिषत था।

1-4-2-2 fpfdRlk ifriwfr O;; %&

वर्ष 2009–10 में बोर्ड ने इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹1355235/– व्यय किए थे जबकि इस वर्ष ₹1114806/– चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर व्यय किए गए हैं।

1-4-2-3 ;k=k HkRrk ij O;; %&

वर्ष 2009–10 के दौरान यात्रा भत्ता बिलों की अदायगी पर बोर्ड ने ₹1355235/– व्यय किए थे जबकि वर्ष 2010–11 में यह खर्चा ₹529394/– हुआ है, परिणामस्वरूप 2010–11 में उपरोक्त मद पर ₹174159/–अधिक व्यय हुए ।

1-4-2-4 isa'ku fuf/k %&

वर्ष 2009–10 व 2010–11 के दौरान पैंषन निधि में प्राप्त राषियों व व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्न हैः–

	o"kZ 2009&10	o"kZ 2010&11
प्राप्तियां	18973468	34479136
व्यय	35600069	24413333

1-4-2-5 iqLrdksa dk eqnz.k %&

वर्ष 2010–11 के दौरान बोर्ड ने कागज की खरीद पर ₹61011231/– व पुस्तकों के मुद्रण पर ₹19817995/– व्यय किए इस प्रकार कागज खरीद व पुस्तक मुद्रण पर कुल ₹80829226/– खर्च किए गए जबकि पुस्तकों की विक्री से बोर्ड ने ₹338746749/– प्राप्त किए। यद्यपि कुछ पुस्तकें व कागज स्टाक में शेष रहने के साथ–2 कुछ संस्थापन खर्च/overhead charges भी व्यय किए गए होगें तथा पिछले वर्ष का शेष कागज व पुस्तकें इस वर्ष क्रमषः प्रयोग व विक्रय भी की गई होगी ।

1-4-2-6 ijh{kk lpkyu 'kh"k :– वर्ष 2010–11 के दौरान बोर्ड ने परीक्षा संचालन पर कुल ₹244745053/– खर्च किए जबकि परीक्षा शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त आय ₹176743853/– है । इस प्रकार बोर्ड को इस मद के अन्तर्गत भी ₹680001200/– की क्षति उठानी पड़ी है।

1-4-2-7 xkiuh; fuf/k %&

वर्ष 2009–10 के दौरान गोपनीय निधि को ₹9700000/– सामान्य निधि से स्थानान्तरित किए थे जबकि इस वर्ष ₹9100000/– उक्त निधि को स्थानान्तरित किए गए हैं ।

1-4-2-8 dk;ky;@ii'kklfud 0;; %&

बोर्ड द्वारा वर्ष 2009–10 में कार्यालय व्यय पर ₹1,22,84,346/– खर्च किए जबकि इस वर्ष 2010–11 में ₹11643025/– व्यय किए गए ।

1-4-2-7-1 fctyh ikuh dk [kpk %&

वर्ष 2009–10 में बिजली पानी पर किया गया खर्चा मु0 ₹1006116/– था जबकि वर्ष 2010–11 में यह खर्चा बढ़कर ₹1144343/–हुआ है, परिणामस्वरूप वर्ष 2010–11 में उपरोक्त मद पर ₹1,38,227/– अधिक व्यय हुए।

1-4-2-7-2 gkV ,.M dkYM ij 0;; %–

इस मद पर वर्ष 2009–10 के दौरान व्यय 14246/– था जबकि वर्ष 2010–11 के दौरान 2023/– का व्यय किया गया है ।

1-4-2-7-3 Mkd lok fVdV ij 0;; %&

बोर्ड ने इस मद पर वर्ष 2009–10 में ₹6234200/– व्यय किए थे जबकि इस वर्ष 2010–11 में ₹5668486/– खर्च किए गए ।

5- xr y[kk ijh{kk ifronu:–

पूर्ववर्ति वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के बहुत से पैरे जिनका सक्षिप्त विवरण परिषिष्ट ''अ'' में दिया गया है। वांछित अनुपालना न करने की बजह से अभी तक शेष हैं तथा इनके निपटारे हेतु कार्यवाही न करने की वजह से वर्ष दर वर्ष अनिर्णीत पैरों मे बढ़ौतरी हो रही है। अतः बोर्ड के प्राधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि गत अनेक वर्षों से अनिर्णीत चले आ रहे अनेक पैरों के शीघ्र

निपटारे हेतु वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से उप नियंत्रक(ले0प0) तथा इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

Hkkx&2

2 orZeku vads{k.k %&

हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड में निवासी अंकेक्षण योजना अधिसूचना संख्याः 21–3/70–षिक्षा–11 दिनांक 18.3.1971 के अनुसार आरम्भ की गई थी । अवधि 1.04.2010 से 30.11.2010 तक श्री बी0 आर0 वैद्य, संयुक्त नियंत्रक (ले0प0) तथा 1.12.2010 से 31.3.11 तक श्री कषमीर सिंह, सहायक नियंत्रक इस योजना के प्रभारी रहे तथा इस काल में अन्य स्टाफ भी कार्यरत रहा है ।

“Audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the Controlling Officer of the Institution.

Local Audit Department disclaims any responsibility for any mis-information or non submission of information on the part of auditee. Responsibility of audit is confined to the months selected for detailed check for post audit.”

3 foRrh; fLFkfr%–

(i) रोकड़ वही में दर्ज प्रविषिटियों के अनुसार हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड की वर्ष 2010–11 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

	2009&10	2010&11
1. गत शेष	28,96,07,035.69	22,80,89,122.06
2. कालातीत चैकों की राषि जो कि 23.4.99 से 02.09.99 के अवधि तक के थे 31.3.2011 तक भुगतान नहीं हुए ।	–	86,81,033.00
3. कालातीत चैक 1.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के जो कि 31.3.2011 तक भुगतान नहीं हुए ।	–	34,02,283.00

4. प्राप्तियां	56,54,75,624.37	54,70,84,918.13
5. योग	85,50,82,660.06	78,72,57,356.19
6. भुगतान	62,69,93,538.00	51,52,65,928.00
7. अन्तिमषेष	22,80,89,122.06	27,19,91,428.19

<u>31-3-2011 dk vfUre'k"k dk fooj.k %&</u>

1.	विभिन्न बैंक बचत खातों में जमा राषि अंकेक्षण प्रतिवेदन परिषिष्ट ‘क’	9,58,34,207.57
2.	विभिन्न बैंकों में निवेषित राषि अंकेक्षण प्रतिवेदन परिषिष्ट ‘ख’	30,81,54,166.00
	;kx%&	40]39]88]373-57

रोकड़ वही तथा बैंक शेष के आंकड़ों में ₹13,19,96,945.38 का अन्तर परिलक्षित हुआ है जिसमें से ₹11,97,54,196/– का अन्तर निम्न कारणों से है :–

1.	विभिन्न प्राप्त चैक/बैंक ड्राफट जिनका क्रेडिट बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2011 तक नहीं दिया गया ।	11,52,697.00
2.	विभिन्न राषि हस्तातरण चैक जो डिपो खातों से डेविट हो गये थे परन्तु बोर्ड के सामान्य खातों में 31.3.2011 तक क्रैडिट नहीं हुये हैं ।	41,00,000.00
3.	दिनांक 1.10.2010 से 31.3.2011 तक जारी चैकों की राषि जो 31.3.2011 तक बैंक खातों से भुनाये नहीं गये हैं ।	(–) 12,50,06,893.00
		(–)11,97,54,196.00

इस प्रकार ₹11,97,54,196/– की राषि का समायोजन करने के उपरान्त भी बैंक के अन्तिम शेष में ₹1,22,42,749.38 का अन्तर षेष रहता है। अतः इसके मिलान हेतू बोर्ड द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया है । यह बहुत ही आपत्तिजनक है। रोकड़ बही के बैंक से समाधान हेतु उचित पग उठाये जाऐं।

(ii) हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 14(सी) में यह प्रावधान है कि वार्षिक शुद्ध बचत की राषि प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा हि0 प्र0 सरकार के पास षिक्षा के सुधार हेतू जमा करवाई जानी आपेक्षित है । वर्ष 2010–11 के अन्तषेष ₹27,19,91,428.19 में से कोई राषि हि0 प्र0 सरकार को उपरोक्त उदेष्य हेतू नहीं भेजी गई है तथा न ही इसका वर्ष 2010–2011 के बजट में कोई प्रावधान रखा गया है जोकि निष्चित तौर पर अधिनियम की उल्लघंना है जबकि इस प्रकार की आपत्ति गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाई गई थी इसके वावजूद स्थिति यथावत जारी है। अतः बोर्ड प्रषासन को परामर्ष दिया जाता है कि प्रषासन भविष्य में अधिनियम की अनुपालना सुनिष्चित करें।

(iii) vk; o O;; ds izeq[k lk/ku :–

बोर्ड की आय के मुख्य स्त्रोत परीक्षणार्थियों से परीक्षा शुल्क की वसूली तथा पुस्तकों का विक्रय तथा व्यय में वेतन भत्तों का भुगतान, परीक्षा संचालन तथा पुस्तकों का मुद्रण इत्यादि मदें शामिल हैं ।

(iv) fuos'k %&

बोर्ड द्वारा दिनांक 31.3.2011 को सामान्य खाते में से परिषिष्ट ''ख'' के अनुसार राषि ₹308154166 ⁄– सावधि जमा खाते में निवेष की गई थी।

4 vi'kn;h Hkfo";@ lkekU; Hkfo"; fuf/k dh o"kZ 2010&2011 dh foRrh; fLFkfr miyC/k djokbZ xbZ lwpuk ds vuqlkj fuEu izdkj ls g%&

1. गत षेष	151413043.24
2. प्राप्तियां	77408375.00
;ksx%&	228821418-24
3. भुगतान	54310802.00
अन्तिम शेष	174510616.24
S/B A/c. No. SBI D/sala	13530834
31-3-2011 dks Hkfo"; fuf/k esa fuos'kr jkf'k ¼ifjf'k"V ^x**½	160979782
अन्तिम शेष	174510616

अतः लेखे मेल खाते हैं ।

¼i½ सामान्य भविष्य निधि में से विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में निवेष की गई राषियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ग'' में दिया गया है ।

¼ii½ उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2010–11 के अन्त में सामान्य भविष्य निधि खातों के अनुसार कुल देनदारी की राषि ₹19,14,29,488/– थी जोकि 31.3.11 को बैकों में पड़ी उपरोक्त कुल राषि ₹17,45,10,616/– से ₹1,69,18,872 अधिक है। अतः इस निधि से बढ़ रही देनदारी को संतुलित करने की आवष्यकता है।

5 xqj va'knk;h Hkfo"; fuf/k%–

xqj va'knk;h Hkfo"; fuf/k dh foRrh; fLFkfr miyC/k djokbZ xbZ lwpuk vuqlkj fuEufyf[kr g%

1. गत शेष	336353.99
2. प्राप्तियां	10807.00
3- dqy%&	347160-99
4. भुगतान	––
5. अन्तिम शेष	347160.99

बैंक बचत खाता संख्याः 10551097421 भारतीय स्टैट बैंक में 31.3.2011 को जमा राषि ₹3,47,160.99/–.

6 isa'ku fuf/k%&

(i) पैंषन निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

1. गत शेष	278602003
2. प्राप्तियांः–	34479136
कुल योग	313081139
3. भुगतान	24413333
4. कुल	288667806
दिनांक 31.3.10 अन्तिम शेष का विवरण	
1. बैंक बचत खाता संख्याः 30091128443 में जमा राषि	4571972
2. 31.3.2011 को निवेषित राषियॉ	284095834
dqy	288667806

¼ii½ पैंषन निधि में से दिनांक 31.3.11 को निवेष की गई राषियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ^*?k*^ पर दिया गया है ।

7 minku fuf/k ½& उपरोक्त निधि की वर्ष 2010–11 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

	o"k 2010&11
1. गत शेष	3059060
2. प्राप्तियां	28867965
dqy ;kx	31927025
3. भुगतान	11455069
4. अन्तिम शेष	20471956

बचत खाता संख्याः 30091128691 में जमा राषि ₹20471956/–

8 ¼1½ v/;kid dY;k.k fuf/k ½&

उपरोक्त निधि की वर्ष 2010–2011 की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है।

1.	गत शेष	6862253.63
2.	प्राप्तियां	1141942.00
	;kx	8004195-63
3.	व्यय	31860.00
4.	अन्तिम शेष	7972335.63
	FDR	6769637-00
	S/B	1262698.63
		7972335.63

¼ii½ v/;kid dY;k.k fuf/k ls fd, x, fuos'kksa dk fooj.k½&

d0l0	,Q0Mh0vkj0 u0	fuos'k jkf'k	ifjiDork frfFk	ifjiDork jkf'k	cSad dk uke
1.	31348000595	2000000	20.8.2013	2481094	एस.बी.आई.
2.	31494396984	2000000	9.5.2012	2394900	एसबीआई
3.	80431553584	110018	14.12.2011	118795	एसबीआई
4.	65077153239	2629893	18.12.11	2846681	एसबीपी
5.	65110225212	29726	18.12.11	32176	एसबीपी
	dqy ;kx	6769637			

9 xkiuh; fuf/k %& सचिव द्वारा दिये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.10 को ₹1989204.60 अनुपयुक्त शेष थे, जिन्हें वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित किया गया है ।

10 vuqnku %& अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणानुसार बोर्ड कार्यालय द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है ।

11 _.k %& वर्ष 2010–11 के दौरान स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है और न ही कोई ऋण लौटाया जाना शेष है ।

12 vads{k.k 'kqYd %& निवासी अंकेक्षण योजना, हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का अंकेक्षण शुल्क वर्ष 2010–2011 हेतू ₹49,87,091/–आंका गया ।

₹49,33,091/–व ₹54000/– की राषि हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया धर्मषाला के रेखांकित चैक/ड्राफ्ट संख्याः क्रमषः 019342, 020136 दिनांक 21.11.2011, 7.3.12 के द्वारा निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष, षिमला–9 को प्रेषित कर दी है ।

13 ijh{kk 'kqYd dh jkf'k ₹2-36 yk[k dh olwyh 'ks"k :–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2010–2011 में 1.4.2010 से 31.3.2011 तक छात्रों से मु0 ₹2,36,190/– की राषि परीक्षा शुल्क के रूप में देय थी जबकि 31.3.2011 तक कुल कितनी राषि छात्रों से वसूली हेतु लम्बित थी की सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। परिणामस्वरूप 31.3.2011 तक कुल कितनी राषि, वसूली हेतू लम्बित है की पुष्टि नहीं हो सकी। यह प्रकरण षिक्षा बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है तथा बोर्ड प्रषासन से अनुरोध है कि इन राषियों की वसूली हेतू पग उठाये जाएें।

14 स्कूल षिक्षा बोर्ड की विक्रय शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 31.3.2011 मे षिक्षा विभाग से निम्न विवरणानुसार ₹2,25,83,921/– की राषि अग्रिम प्राप्त हुई है। इस राषि का समायोजन भविष्य में बिक्री होने वाली पुस्तकों के विरूद्व किया जाना सुनिष्चित किया जाए ।

		mPp rj ek/;fed f'k{kk funs'kky;	ikjfEHkd@izkFkfed f'k{kk funs'kky;
1.	गत शेष	43581788	13902558.00
2.	वर्ष 2010–11 में उधार बिक्री	83985438	86300521.00

3.	कुल	124567226	100203079.00
4.	छूट (Discount)	3740800	––
5.	शेष	123826426	100203079.00
6.	2010&2011 e olyh	123826426	122787000.00
7.	vfUre 'k"k@vfxe	–शून्य–	(–)22583921.00

15 o"k 2010&11 e vk; jftLVj ,o cid fooj.kh d feyku dju ij jkf'k ₹82]223@&dk vUrj

वर्ष 2010–11 में बोर्ड की आय शाखा द्वारा विभिन्न बैंक चैकों द्वारा प्राप्त राषियां जो कि बैंक में जमा करवाई दर्षाई गई, के विरूद्व बैंक में कम राषियां जमा हुई या विल्कुल ही जमा नहीं हुई जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ङ'' पर दिया गया है, परिणामस्वरूप ₹82,223/– की राषि बैंक में कम जमा हुई जिसकी जांच करके कम जमा राषि की वसूली हेतू प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए तथा परिणामों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 ckM }kjk vku ykbu ikfIr d fo:} de jkf'k dh jlhn tkjh djukA

बोर्ड द्वारा शुल्क जमा करवाने हेतू छात्रों/पाठषालाओं को आन लाईन सुविधा प्रदान की गई है। बोर्ड द्वारा बैंक स्टेटमैंट प्राप्त करने के उपरान्त कुल जमा राषि की रसीदें जारी की गई थी। बैंक विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में बैंक में आन–लाईन जमा राषियों के विरूद्व प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्षाई राषियों की कम रसीदें जारी की गई जिसकी जांच करके, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

d0 l0	ekl	vkuykbu cid e tek jkf'k ftldk oxhdj.k d vuqlkj ;kx dju ij ckM dk vk; :i e ikIr jkf'k	ckM }kjk ftruh jkf'k dh jlhn dkVh xbA	ftru dh jlhn de dkVh xbA	cid dk uke
1.	10/2010	10227269	10224590	2679	स्टेट बैंक आफ पटियाला
2.	11/2010	571960	571760	200	–यथोपरि–
3.	10/2010	24276574	24157474+81000=24	38100	स्टेट बैंक आफ

			238474		इण्डिया
4.	10 / 2010	12617279	12518264	99015	यूको
5.	11 / 2010	898575	895052	3523	–यथो0–
6.	12 / 2010	3010	2980	30	–यथो0–
7.	4 से 7 / 2010	215109	214788	321	पंजाब नैषनल बैंक
8.	8 / 10 से 10 / 2010	32764766	32630728	134035	–यथो0–
9.	1 / 11	4900	2987 (₹200 / –माह फरवरी के सम्मिलित हैं)	2113	–यथो0–

17 cSd eS MfoV jkf’k;k dk fooj.k Li"V u djuk&

बैंक विवरणियों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न राषियां बैंक द्वारा खातों में डेविट की गई थी लेकिन इन्हें डेविट करने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया जिसकी जांच करके यह प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाये जाऐं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

cSd dk uke	frfFk@ekg@vof/k	jkf’k
पी0एन0बी0	15.9.10	200
जे0एण्ड के0	23.6.10	400
–यथो0–	14.8.10	200
–यथो0–	24.8.10	200
–यथो0–	9.9.10	260
सैन्ट्ल बैंक आफ इण्डिया	4.5.10	120
–यथो0–	11.8.10	400
–यथो0–	18.8.10	200
–यथो0–	25.8.10	200
–यथो0–	8.9.10	400
बैंक आफ वढ़ौदा	7.9.10	20
–यथो0–	28.9.10	200
ग्रामीण बैंक	27.4.10	18469
केनरा बैंक	2.8.10	30

–यथो0–	6.8.10	10
ओ0 बी0 सी0	4.10.10	55
–यथो0–	24.2.11	200
–यथो0–	22.3.11	600
बैंक आफ इण्डिया	5.8.10	200
–यथो0–	6.8.10	300
–यथो0–	11.8.10	15
–यथो0–	13.8.10	15
–यथो0–	24.8.10	160
–यथो0–	26.3.11	15
स्टेट बैंक आफ पटियाला (ऑनलाईन)	10/10	2979
–यथो0–	11/10	200
स्टेट बैंक आफ इण्डिया (ऑनलाईन)	10/10	38100
यूको बैंक(ऑनलाईन)	10/10	99015
–यथो0–	11/10	3523
–यथो0–	12/10	30
–यथो0–	3/11	30
पी0एन0बी0	4 से 7/10	321
–यथो0–	8, 9 व 10/10	134035
–यथोपरि–	1/11	2113

18 fuof'kr jkf'k;k dk ifjiDorrk dh frfFk l iol iu% fuo'k dju ij C;kt dh jkf'k ₹10]50]191@& dh gkfu%&

बोर्ड द्वारा विभिन्न निधियों में से निवेष की गई राषियों को जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''च'' पर दिया गया है, परिपक्वतता की तिथि से पहले भुनाकर अधिक ब्याज दर पर पुनः निवेष किया गया। पुनः निवेष की ब्याज दर के अवलोकन पर पाया गया कि इन निवेषों पर गत निवेष की परिपक्वतता तिथि पर पुरानी दर अनुसार अधिक राषि देय बनती थी जबकि भुनाने की तिथि से नई ब्याज दर अनुसार, गत निवेष की परिवक्वतता तिथि तक कम राषि देय बनती थी। अगर इन निवेषों को परिपक्वतता की तिथि पर पुनः निवेष किया जाता तो अधिक लाभ होता था क्योंकि परिपक्वतता तिथि पर ब्याज की दर इतनी ही थी । परिणामस्वरूप बोर्ड को ब्याज की प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्षाई राषि की हानि हुई प्रतीत होती है। इन प्रकरणों की जांच की जाए तथा ब्याज में हुई हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

19 C;kt dh nj Li"V u djuk %&

सामान्य भविष्य निधि के निम्नलिखित निवेष परिपक्वतता की तिथि के बाद भुनाये गये लेकिन परिपक्वतता की तिथि से भुनाने की तिथि तक बैंक द्वारा किस दर से ब्याज दिया गया का कोई विवरण स्पष्ट नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, प्राप्त ब्याज की औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। यह प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए।

frfFk	fuos'k l[;k	jkf'k	nj	ifjiDorrk dh frfFk	Hkqukus dh frfFk	izkIr C;kt	ifjiDo jkf'k	cSd dk uke
06-10-09	30915037553	9000000	6-25	6-10-10	2-11-10	594185	9575821	LVsV cSd vkQ bf.M;k
06-10-09	3091864572	2200551	6-25	6-10-10	2-11-10	145452	2341343	&;FkkO&

20 ह;kt dh de izkfIr %&

सामान्य भविष्य निधि को निम्न निवेषों को परिपक्वतता तिथि से पूर्व भुनाया गया तथा भुनाने पर बैंक से प्रत्येक के आगे दर्षाई गई राषियां ब्याज के फलस्वरूप अर्जित की गई जोकि बहुत ही कम प्रतीत होती है। यह प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाया जाएं तथा अगर उस समय की दर से कम दर पर ब्याज दिया गया हो तो कम ब्याज की बैंक से वसूली सुनिष्चित की जाए।

frfFk	fuofs'kr jkf'k	C;kt nj	ifjiDorrk dh frfFk	Hkqukus dh o iqu% fuos'k dh frfFk	vftZr C;kt	iqu% fuos'k ij C;kt nj	fuos'k l[;k%	cSd dk uke
4.11.10	3106074	7.75	4.11.18	7.12.10	11744	8.75	31496759744	स्टेट बैंक आफ इण्डिया
2.11.10	10000000	8	2.11.18	20.12.10		8.75	31509274500	—यथो0—
29.11.10	2436529	7.50	28.11.11	20.12.10	3671	8.75	0990728	—यथो0—

21 vftZr C;kt dk izek.k e= cSd fooj.kh@izek.k i= u n'kkZuk%&

सामान्य भविष्य निधि में निवेष की गई राषियों को जिनका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''छ'' पर दिया गया है को परिपक्वतता की तिथि से पूर्व भुना लिया गया तथा इन पर बैंक द्वारा प्रत्येक के आगे राषियां ब्याज के रूप में दी गई लेकिन इससे सम्बन्धित बैंक विवरणी/बैंक

प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये परिणामस्वरूप इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। सम्बन्धित बैंकों से इस सम्बन्ध में बैंक विवरणी/बैंक प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाऐं।

22 vftr C;kt dk fooj.k Li"V u djuk%&

पैंषन निधि में से निम्न निवेष प्रत्येक के आगे दर्षाई गई तिथियों को भुनाकर पुनः निवेष किये गये लेकिन इन निवेष की तिथि से भुनाने/पुनः निवेष की तिथि तक अर्जित ब्याज का कोई विवरण स्पष्ट नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाऐ अन्यथा यह प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए।

fuos'k dh frfFk	dzekad	jkf'k	ifjiDorrk dh frfFk	C;kt dh nj	Hkqukus dh frfFk	ftl vof/k dk C;kt ugha fn;k x;k
9.11.10	3149484301	20928114	9.11.11	8	7.12.10	9.11.10 से 7.12.10
–यथो0–	31499379549	104038235	9.11.11	8	22.12.10	9.11.10 से 22.12.10
14.11.10	315095129000	15000000	14.11.18	8	22.12.10	14.11.10 से 22.12.10
16.11.10	31509464320	15000000	16.11.18	8	22.12.10	16.11.10 से22.12.10
18.11.10	31509510628	13653982	18.11.18	8	22.12.10	18.11.10 से22.12.10

23 ljdkj dks iqLrdksa dh fcØh] vf/kdre ijpwu ewY; ij djus ckjs :–

शिक्षा विभाग हि0 प्र0 द्वारा प्रति वर्ष कक्षा प्रथम से दसवीं तक के विद्यार्थियों के लिऐ एमआरपी पर पुस्तकों का क्रय करके छात्रों को निषुल्क दी जाती है जबकि बोर्ड द्वारा इनको तैयार करने की लागत काफी कम बैठती है। एक तो बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 14(2) के अनुपालना में अपनी वार्षिक शुद्ध बचत षिक्षा विभाग हि0 प्र0 को स्कूली षिक्षा के सुधार हेतु नहीं भेजी गई तथा बिक्री की गई पुस्तकें भी एमआरपी पर ही दी गई जबकि यह लागत जमा निर्धारित लाभ पर दी जानी चाहिए थी। इस सम्बन्ध में आपत्ति 2009–10 की अंकेक्षण रिपोर्ट के पैरा संख्या 29

द्वारा आपत्ति उठाई गई थी लेकिन इसके वावजूद स्थिति यथावत जारी है । बोर्ड द्वारा, वर्ष 2010–11 में हि0 प्र0 षिक्षा विभाग को बिक्री की गई पुस्तकों की सूचना अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 131 दिनांक 9.9.2011 के द्वारा अनुरोध किया गया था लेकिन इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, परिणामस्वरूप लागत से अधिक चार्ज की गई राषि का आंकलन नहीं हो सका । अतः परामर्ष दिया जाता है कि सरकार को बिक्री की जाने वाली पुस्तकें लागत पर औचित्यपूर्ण लाभांष पर बिक्री की जाए ।

24 io vd{k.k d nkjku fofHkUu fcyk l jkf'k ₹35-42 yk[k dh dVkfr;k ¼fjVUpeV½&

अंकेक्षण अवधि के दौरान, पूर्व अंकेक्षण हेतू प्रस्तुत किए गए बिलों की जांच के दौरान अधिक, अनियमित एवं गलत भुगतान किए जाने के फलस्वरूप ₹3541600/– राषि की कटौतियां की गई हैं। इससे प्रतीत होता है कि बोर्ड कार्यालय द्वारा बिलों की जांच सही एवं नियमित तौर पर नहीं की गई थी। बोर्ड प्रषासन से अनुरोध है कि आन्तरिक जांच को सुद्ढ़ किया जाए ताकि ऐसी अनियमितताओं की पुनःवृति न हो ।

25 cd pkftt dk mn'; Li"V u djuk ¼&

सामान्य भविष्य निधि से निम्नलिखित राषियां रोकड़ बही में, बैंक चार्जिज के फलस्वरूप व्यय दर्षाई गई लेकिन बैंक द्वारा ये प्रभार क्यों लिऐ गये का कोई विवरण स्पष्ट नहीं किया गया जबकि बैंक द्वारा अधिक राषियां जमा होने पर निषुल्क सेवा प्रदान की जाती है । इन प्रकरणों की जांच करके सम्बन्धित बैंक से यह प्रकरण उठाया जाऐ तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाऐ ।

frfFk	jkf'k
28.6.10	218
30.6.10	785
31.12.10	745

26 fufonk Qke d lkFk /kjkgj jkf'k tek u dju ckj ¼&

पुराने फर्नीचर की मुरम्मत करने हेतु बोर्ड द्वारा धरोहर राषि ₹2000/– प्रति निविदा निर्धारित की गई थी के साथ निविदायें आमन्त्रित की गई। इस कार्य हेतु तीन निविदायें प्राप्त हुई जिसमें श्री विनोद कुमार (हिमालय इण्डस्ट्री नगरोटा बगवां) ने उक्त धरोहर राषि जमा नहीं करवाई। अतः यह निविदा विना धरोहर राषि के अपने आप ही रदद समझी जानी थी । इस प्रकार

कम से कम तीन प्रतियोगियों के बिना निविदायें खोलने के परिणामस्वरूप उक्त कार्य हेतु की गई पूरी प्रक्रिया अप्रभावी है तथा पुराने फर्नीचर की मुरम्मत हेतु मैं सुरेष इंजीनियर वर्कस दाड़ी को आंवटित कार्य नियमानुसार नहीं था । यद्यपि उपरोक्त कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित बिल सं0 60 दिनांक 8.10.2009 ₹98392/– पारित कर दिया गया था। इस कार्य की निविदायें खोलने हेतू गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा औपचारिकतायें पूरी न करने हेतू उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाऐ ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोका जा सके ।

27 **Affiliation** d! dk;! gr! VDlh@viu! okgu d! }kjk ;k=k dju! ij fdjk;! dk vfu;fer Hkxrku %&

बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों के यात्रा भत्ता बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि शैक्षणिक सत्र 2010–2011 में निजि पाठषालाओं की सम्बन्धता के निरीक्षण हेतु बोर्ड के कार्यालय आदेष संख्याः हि0षि0बो0–एफीलेषन/43/2010–24345–545 दिनांक 11.1.2010 द्वारा तैनात कर्मचारियों द्वारा टैक्सी/अपनी कार से यात्रा की गई थी जबकि इसे सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस सन्दर्भ में बोर्ड प्रषासन के पत्र संख्याः हि0षि0बो0/2005–69 दिनांक 29.11.2005 तथा अन्य पत्रों के द्वारा छूट प्रदान करने बारे अनुरोध किया गया लेकिन प्रधान सचिव (षिक्षा) के पत्र संख्याः ाा Ja(372/94 दिनांक 22.12.2005 के द्वारा सूचित किया गया कि वित्त विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में असहमती प्रकट की गई तथा सरकारी निदेषों को follow करने हेतू अनुरोध किया गया। इसके बावजूद बोर्ड प्रषासन द्वारा 86 बीं बोर्ड मिटिंग जो कि 19.7.2006 को हुई, के मद संख्याः 6 के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य हेतू अधिसूचना संख्याः हि0षि0बो0–एफिलिऐषन/43/2006–2141–50 दिनांक 29.8.2006 के अन्तर्गत टैक्सी/निजि वाहन के प्रयोग हेतू अनुमोदन कर दिया गया। इस प्रकरण को सरकार के समक्ष पुनः उठाने के वाद, प्रधान सचिव (षिक्षा) के पत्र संख्याः ाा–ग(ए)–2/99 दिनांक 3.2.2011 के द्वारा उपरोक्त कार्य हेतू सरकारी दरों पर टैक्सी के प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी गई। लेकिन यह उपरोक्त तिथि के बाद से लागू होनी थी लेकिन इससे पूर्व निम्न प्रकरणों में उपरोक्त कार्य हेतू निम्नलिखित विवरणानुसार टैक्सी/निजि वाहन के प्रयोग की कार्यात्तर स्वीकृति प्राप्त की जाऐ अन्यथा इस भुगतान की सम्बन्धित से वसूली की जाऐ।

d!0 l!0	vf/kdkjh@ deZpkjh dk uke o inuke	mijkDr mn!'; gr! r; njh o Hkxrku nj	d!y jkf'k	vfxe jkf'k
1.	सर्वश्री भगत राम हाण्डा, अधीक्षक	582 x 6	3492.00	--

2.	कर्मचन्द कौषिक, अधीक्षक	200 x 6	1200.00	5000/-
3.	विजय कुमार कौंडल, अ0अ0	658 x 6	3948.00	5000/-
4.	खेम राज ठाकुर	279 x 6	1674.00	--
5.	कुलदीप वालिया	458 x 6	2748.00	5000/-
6.	डी0एन0 कौषल	426 x 6	2556.00	5000/-
7.	केवल राम शर्मा, अधीक्षक	306 x 6	1836.00	9000/-
8.	जय चन्द नेगी	*585 x 6*	3510.00	5000/-
9.	सर्वण सिंह, अ0अ0	210 x 6	1260.00	---
10.	अशोक शर्मा,अ0अ0	408 x 6	2448.00	---
11.	वली राम,अधीक्षक	202 x 6	1212.00	---
12.	भरत सिंह रठौर, अ0अ0	1278 x6	7668.00	5000/-
13.	सुमित्रा कष्यप, अधीक्षक	263 x 6	1578.00	3000/-
14.	कुलदीप राणा, अधीक्षक	225 x 6	1350.00	3000/-
15.	कपिल कुमार गुप्ता, अ0अ0	210 x 6	1260.00	3000/-
16.	पृथ्वी चन्द, अधीक्षक	848 x 6	5088.00	5000/-
17.	जैसी राम सिन्दल, अधीक्षक	361 x 6	2166.00	3000/-
18.	श्याम लाल वर्मा	337 x 6	2022.00	5000/-
19.	नारायण सिंह, डिपो प्रबन्धक	386 x 6	2316.00	--
20.	जगदीश चन्द, अ0अ0	1187 x 6	7122.00	3000/-
21.	धनी राम, अ0अ0	243 x 6	1458.00	4000/-
22.	दयानन्द शर्मा, अधीक्षक	240 x 6	1440.00	2000/-
23.	कर्मचन्द, अधीक्षक	344 x 6	2064.00	5000/-
24.	कृष्णू राम, अधीक्षक	578 x 6	3468.00	5000/-
25.	लेख राज कष्यप, अधीक्षक	707 x 6	4242.00	5000/-
26.	ईष्वर दास, अ0अ0	380 x 6	2280.00	5000/-
27.	भगेष जोषी, अधीक्षक	618 x 6	3708.00	5000/-
28.	सोहन सिंह, डिपो प्रबन्धक	231 x 6	1386.00	--

29.	सुखदेव शर्मा, अ0अ0	302 x 6	1812.00	3000/-
30.	रवि कुमार चडडा, अधीक्षक	386 x 6	2316.00	5000/-
31.	सुरेश शर्मा, सहायक सचिव	--	समायोजन अपेक्षित है ।	2000/-
32.	नरेन्द्र पाल, अ0अ0	----	-do-	4000/-
33.	राज कमल परमार, अ0अ0	----	--do--	3000/-
34.	मनोहर लाल कल्याण, अ0अ0	----	--do--	5000/-
35.	मेद राम वर्मा, डिपो प्रबन्धक	----	--do--	4000/-
36.	संजीव विजवाड़िया, अधीक्षक	328 x 6	1968.00	5000/-
37.	कश्मीर सिंह, अ0अ0	642 x 6	3852.00	5000/-
38.	देवी राम, अ0अ0	54 x 6	324.00	5000/-

28 fu;U=.k vf/kdkjh ?kksf"kr u djuk :–

यात्रा भत्ता दावों के पूर्व अंकेक्षण के अवलोकन पर पाया गया कि वितरण अधिकारी द्वारा ही इन्हें नियन्त्रण अधिकारी के रूप में प्रतिहस्ताक्षरित किया गया था जबकि नियन्त्रण अधिकारी, वितरण अधिकारी से उच्च पद का होना चाहिए जो कि सम्बन्धित दावेदार के कार्य को सुपरवाईज करता हो तथा SR. 191 के अन्तर्गत "A competent authority shall declare what authority shall be the controlling officer for traveling allowance purposes of each Govt. servant are class of Govt. servants, it may if it thinks fit declare that any political Govt. servant shall be his own controlling officer."

उपरोक्त तथ्यों के अन्तर्गत बोर्ड प्रषासन को परामर्ष दिया जाता है कि यात्रा भत्तों के दावों हेतु नियन्त्रण अधिकारी घोषित किया जाए।

29 Jh dqyohj flag dk lsok fuofr jkf'k ₹6-26 yk[k dk vf/kd Hkqxrku ½&

श्री कुलवीर सिंह का 1.1.2006 से संषोधित वेतनमान के बकाये बिल के पूर्व अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी (CCA) नियम 1965 के नियम 14 के अन्तर्गत कार्यालय आदेष संख्या हि0षि0बो0 (1) सस्थांपन–जी0एफ–93/2005–16000 दिनांक 26.11.2005 के द्वारा 8.6.2005 से 23.11.2005 तक स्वेच्छा से कार्यालय में अनपस्थित रहने के कारण चार्ज शीट किया गया। अन्तिम चार्जशीट अभी तक जारी नहीं की गई है क्योंकि 8.6.2005 से 23.11.2005 की

अनुपस्थिति अवधि की सेवा पंजिका में इन्द्राज नहीं थे तथा न ही स्वीकृत अवकाष का कोई विवरण दर्ज था। उपरोक्त कर्मचारी को 12.12.2005 से 21.3.2006 तक अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप ज्ञापन संख्याः हि0षि0बो0(1) संस्थापन–जी0एफ093(186)/ 2006–3983 दिनांक 18.3.2006 के द्वारा पुनः चार्जशीट किया गया तथा इसके उपरान्त कार्यालय आदेष संख्या एचबी/लीगल सैल/–जीएफ–93(186)60/2007–296–310 दिनांक 3.3.2007 के द्वारा नियम 11(1) के अन्तर्गत सैंसर दण्ड लगाया गया, 12.12.2005 से 21.3.2006 तक देय अवकाष की स्वीकृति का निर्णय लिया गया। सेवा पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी को उपरोक्त अवधि का किसी प्रकार का देय अवकाष स्वीकृत नहीं किया गया था जबकि वह 31.5. 2008 को सेवा निवृत हो चुके हैं। 8.6.2005 से 23.11.2005 तथा 12.12.2005 से 21.3.2006 की अनुपस्थिति अवधि की किसी प्रकार के अवकाष की स्वीकृति न होने के परिणामस्वरूप इन्हें 48 दिन का मु0 ₹25656/– की राषि का सेवा निवृति पर लीव एनकैषमैन्ट के रूप में तथा अन्य पैन्षन लाभ, नियमों से अधिक दिये गये।

बोर्ड प्रषासन इस अवधि को नियमित/देय अवकाष स्वीकृत करने बारे आवष्यक कार्यवाही की जाऐ। इसके पूरे अवकाष खाते, पैंषन, व पैंषन लाभों का पूर्नवलोकन करके अगर अधिक भुगतान किया गया हो की वसूली की जाए।

30 <u>{kfr ifr dh jkf'k ₹1]00]000@& dk Hkxrku</u> %&

कुमारी आषा सपुत्री श्री हरीष शर्मा मार्च, 2003 में रोल क्रमांक 466927 के अन्तर्गत टेन प्लस टू की वार्षिक परीक्षा में अपियर हुई तथा उसे उपरोक्त परीक्षा में अनुतीर्ण धोषित किया गया। अपने दो विषयों अंग्रेजी व राजनीतिक शास्त्र में पूर्न जांच के लिऐ बैंक ड्राफट संख्या 394469 दिनांक 17.7.2003 के द्वारा आवेदन किया। सचिव बोर्ड द्वारा पत्र संख्याः षि0बो0–रिचैकिगं/जमा एक–3/2003/2038/बी–0634/762 दिनांक 28.5.2004 के द्वारा उसे सूचित किया गया कि किन्ही गैर मुमकिन परिस्थितियों के कारण उसकी उत्तरपुस्तिकायें पुनः जांच के लिऐ उपलब्ध नहीं थी ताकि वह अपना शुल्क वापिस ले सके। उपरोक्त छात्रा द्वारा पुनः जांच के लिऐ भुगतान शुल्क को वापिस लेने से इन्कार कर दिया गया तथा नागरिक न्यायधीष (Sr. Division) न्यायालय षिमला में मुकदमा दायर कर दिया गया ।

माननीय न्यायालय द्वारा 8.7.2009 को मुकदमें का निर्णय किया गया तथा बोर्ड को ₹100000/–राषि 9 प्रतिषत ब्याज सहित वर्तमान मुकदमें की तिथि से वसूली की तिथि तक देने

के लिऐ पात्र दर्षाया गया क्योंकि बोर्ड वादी की उत्तरपुस्तिकाओं की अनुपलब्धता की जांच करने हेतु पग न उठाने के कारण लापरवाह दर्षाया गया तथा बोर्ड की इस कार्यवाही के कारण Plantiff का भविष्य प्रभावित हुआ तथा पूरा दोषी प्रतिवादी को ठहराया गया।

इस सन्दर्भ में ₹1,00,000/–की राषि श्रीमति सुधा शर्मा, अनुभाग अधिकारी को अग्रिम रजिस्टर पृष्ठ संख्याः 105/1440 पर, माननीय न्यायालय में जमा करवाने हेतु दी गई थी यह अग्रिम लेखों में समायोजित कर दिया गया है। यद्यपि बोर्ड द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायधीष (Fast Track) षिमला के उपरोक्त निर्णय के विरूद्व अपील की है । इस मुकदमें में अगर निर्णय बोर्ड के हक में होता हे तो भुगतान की राषि बोर्ड निधि में जमा करवाई जाऐ तथा अगर विरूद्व होता है तो इसके कुल भुगतान की सम्बन्धित अध्यापक/परीक्षक या अन्य कर्मचारी जोकि इसमें दोषी पाया जाऐ के विरूद्व जिम्मेदारी निषिचत की जाए।

31 foJke xg phyxkMh e: LFkkfir fQ:t dh ejEer ij eY; l: T;knk 0;; %&

उपरोक्त फ्रिज की मुरम्मत हेतु ₹2300/– का बिल पूर्व अंकेक्षण हेतू प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त फ्रिज से सम्बन्धित संचिका की टिप्पणी संख्या 246,254, गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यह फ्रिज मुरम्मत के योग्य नहीं था तथा नया फ्रिज लेने की सिफारिष की गई। नया फ्रिज बाद में क्रय भी कर लिया गया। संचिका में संलग्न कमेटी जिसे रैस्ट हाउस में पड़े सामान का निरीक्षण करने हेतू कहा गया था की रिपोर्ट व संचिका की टिप्पणी संख्याः 321 के अनुसार उक्त फ्रिज की निलामी करने पर इसकी कीमत ₹500/– दर्षाई गई। यदि इसकी कीमत ₹500/– ही थी तो इसकी मुरम्मत पर ₹2300/– का व्यय का औचित्य स्पष्ट नहीं होता। यद्यपि बिल को पारित किया गया इस प्रकार के व्यय पर अंकुष लगाया जाए तथा ₹500/– के मूल्य के फ्रिज पर ₹2300/– की मुरम्मत के व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

32 fofHkUu ;k=k HkRrk fcyk: dk: fcuk vkgj.k ,oe~ forj.k vf/kdkjh d: gLrk{kj d: ikfjr djuk %&

वर्ष 2010–2011 के व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित यात्रा भत्ता बिल बोर्ड की आन्तरिक जांच प्रणाली द्वारा बिना आहरण एवम् वितरण अधिकारी के हस्ताक्षरों के पारित कर दिए गए हैं जिन्हें अबिलम्ब उस समय के आहरण एवं वितरण अधिकारी से हस्ताक्षर करवाए जाएं व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

dekd	uke o inuke	;k=k HkRrk vof/k	okmpj l[;k	jkf'k ₹
1.	सर्वश्री जयकरण, व0 सहायक	5.3.10 से 19.3.10	7/315	1151.00
2.	ओमकार	15.1.10 से 22.1.10	7/317	970.00
3.	विपन कुमार	24.6.10 से 28.6.10	7/318	930.00
4.	श्री बलवीर सिंह	2.7.10 से 4.7.10	7/319	698.00
5.	कर्मचन्द कौषिक	23.6.10 से 27.6.10	7/320	420.00
6.	संजीव कुमार	2.7.10 से 3.7.10	7/321	120.00
7.	अशोक कुमार	23.7.10 से 29.6.10	7/322	336.00
8.	प्रेमलाल, सेवानिवृत	2.5.10	7/323	1812.00
9.	मदन सिंह	23.6.10 से 29.6.10.	7/324	420.00
10.	रामस्वरूप	–यथो0–	7/325	300.00
11.	ताराचन्द ठाकुर	24.6.10 से 29.6.10	7/326	1130.00
12.	देवी राम	24.6.10 से 28.6.10	7/366	625.00
13.	ध्रुव देव शर्मा	24.6.10 से 28.6.10	7/370	580.00
14.	कुलदीप वालिया	24.6.10 से 28.6.10	7/371	900.00
15.	ईष्वर दास	23.6.10 से 29.6.10	7/372	1824.00
16.	विरेन्द्र कुमार	23.6.10 से 29.6.10	7/373	402.00
17.	प्रेमपाल सिंह	24.6.10 से 28.6.10	7/375	718.00
18.	पंकज कुमार	23.6.10 से 29.6.10	7/376	420.00
19.	दुष्यंत कुमार	21.4.10 से 24.4.10	7/378	430.00
20.	जी0एल0वर्मा	21.4.10 से 24.4.10	7/379	430.00

33 ckM deZpkfj;ksa dks pk;&iku ij jkf'k ₹0-67 yk[k dk vfu;fer 0;; %&

व्यय शीर्ष का वर्ष 2010–2011 का पोस्ट ऑडिट करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणनुसार वर्ष में ₹67242/– की राषि विभिन्न कक्षाओं के परिणाम तैयार व अन्य कार्य करते समय बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को चाय–पान इत्यादि पर खर्च किए गए। बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को परीक्षा परिणाम व अन्य कार्य निपटाते समय चाय–पान (refreshment) दिए जाने का अनुमोदन यद्यपि बोर्ड ने अपनी 84बीं बैंठक दिनांक 4.6.2005 में लिया था परन्तु वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन–सी–ए(4)–11/99 दिनांक 9.5.2005 अनुसार सरकार के दिषा–निदेषों के विपरीत कोंई भी निर्णय की स्वीकृति षिक्षा विभाग/सरकार से लेनी अनिवार्य थी परन्तु उपरोक्त बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय सरकार के आदेषों के विरूद्व था। अतः

उपरोक्त व्यवस्था/सुविधा बोर्ड कर्मचारियों को प्रदान करने से पहले बोर्ड प्रषासन को षिक्षा/वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए थी।

d0l0	ok0 l0	jkf'k ₹	Hkqxrku fooj.k
1.	10/346	4972.00	श्री विपिन कुमार गुप्ता को जे0बी0टी0सी0ई0टी0 2010 की परीक्षा में चायपान की व्यवस्था के ऐवज में दिए गए।
2.	11/325	4988.00	श्री विपिन कुमार गुप्ता को जे0बी0टी0 परीक्षा संचालन हेतु चायपान के लिए दिए गए।
3.	03/357	5292.00	श्रीमति सुधा वर्मा अ0अ0 को मार्च, 2010 की उत्तरपुस्तिकाओं का पुर्ननिरीक्षण करवाने के लिए शाखा में चाय–पान पर व्यय करने पर भुगतान किया गया।
4.	05/293	2064.00	श्री विजय कौंडल, अ0अ0 को मार्च, 2010 के परीक्षा परिणाम तैयार करवाते समय चाय–पान की व्यवस्था हेतु किया गया व्यय ।
5.	05/324	1716.00	श्री पवन कुमार गुप्ता, अ0अ0 को मार्च, 2010 के परीक्षा परिणाम तैयार करवाते समय चाय–पान की सुविधा हेतु भुगतान किया गया।
6.	7/167	7746.00	श्री लालमन, अ0अ0 को प्रषन पत्रों की भरपाई के दौरान कर्मचारियों को चाय–पान की व्यवस्था हेतु किया गया भुगतान ।
7.	9/182	7764.00	श्री प्रीतम सिंह, अधीक्षक द्वारा सभी मिडल शाखाओं में मार्च, 2010 के परिणाम पढ़ने हेतु कर्मचारियों को चाय–पान व्यवस्था पर किया गया खर्चा।
8.	9/184	5052.00	श्री विपिन कुमार गुप्ता को जे0बी0टी0सी0ई0टी0 परीक्षा, 2010 के संचालन हेतु किया गया refreshment भुगतान।
9.	10/345	2028.00	श्री अषोक शर्मा, अ0अ0 को दस जमा एक परीक्षाओं मार्च, 2010 का परिणाम तैयार करने के लिए चाय–पान की व्यवस्था हेतु किया गया भुगतान।
10.	4/111	10,000.00	श्री ईष्वर दास, अ0अ0 को दस जमा दो परीक्षा मार्च, 2010 को तैयार करने के लिए चाय–पान पर व्यय करने के लिए दी गई अग्रिम राषि।
11.	5/205	7620/–	श्री जय चन्द नेगी, अधीक्षक को दस जमा दो परीक्षा मार्च, 2010 में गोपनीय रोल नं0 लगाने वाले कर्मचारियों को चाय–पान पर किया गया खर्चा।
12.	5/236	8000/–	निम्नलिखित कर्मचारियों को refreshment charges के रूप में अग्रिम राषि दी गई ।

			i श्री धनी राम, अ0अ0 2000.00 ii श्री मनोहर कल्याण 2000/– iii श्री अषोक शर्मा 2000/– iv श्री जगदीष शर्मा 2000/– 8000.00
	d|y ;kx	₹67242-00	

अतः बोर्ड प्रषासन को परामर्ष दिया जाता है कि वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन–सी–ए(4)–11/99 दिनांक 9.5.2005 के अनुसरण में उक्त व्यय की स्वीकृति वित्त/षिक्षा विभाग से ली जानी सुनिष्चित की जाए अन्यथा सरकार के आदेषों के विपरीत किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसका उतरदायित्व निर्धारित किया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

34 <u>ckMZ deZpkfj;ksa@vf/kdkfj;ksa dks ₹286776@& dk ekuns; dk vfu;fer Hkqxrku</u> ½&

बोर्ड के वर्ष 2010–2011 के व्यय का अंकेक्षण करने पर यह पाया गया कि ₹286776/–के मानदेय का भुगतान निम्नलिखित विवरणानुसार बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों को ऑडिट द्वारा आपत्ति उठाने के वावजूद बोर्ड की आन्तरिक जांच प्रणाली द्वारा किया गया है । यह राषि बोर्ड प्रषासन ने बोर्ड की आन्तरिक जांच व्यवस्था से पारित करवाकर विभिन्न बोर्ड कर्मचारियों को वितरीत कर दी गई है जबकि बोर्ड अधिनियम, 1968 की किसी भी धारा में इस तरह के भुगतान स्वीकृत करने की वित्तीय शक्तियां बोर्ड को निहित नहीं थी इसलिए बोर्ड के कर्मचारियों का मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने का मामला अनेक बार बोर्ड प्रषासन ने हिमाचल प्रदेष सरकार से उठाया था परन्तु सरकार द्वारा निम्नलिखित पत्रों द्वारा इस भुगतान को करने की अस्वीकृति दी गई थी परन्तु इसके वावजूद भी बोर्ड प्रषासन ने इस भुगतान को बोर्ड की आन्तरिक जांच प्रणाली से पारित करवाकर सभी कर्मचारियों को वितरित किया है ।

1. कमांक ाा(11)48/87 (वित्त)(आई एफ व पी एफ) विभाग दिनांक 21.5.88
2. कमांक षिक्षा–ाा–खा(7)–4/2003–एल दिनांक 28.2.2006
3. कमांक षिक्षा–ाा–खा(7)–4/2003–एल दिनांक 18.3.2006
4. कमांक षिक्षा–ाा–खा(7)–4/2003–एल दिनांक 8.3.2006

5. क्रमांक षिक्षा–ाा–खा(7)–4/2003–एल दिनांक 23.11.2006

6. क्रमांक षिक्षा–ाा–खा(7)–4/2003–एल दिनांक 21.7.2004

इस व्यय का औचित्य सरकारी आदेषों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए या इस व्यय को सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए अन्यथा इसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए ।

dekd	ok0 l[;k	jkf'k ₹	Hkqxrku dk fooj.k
1.	5/140	69602	बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों को जे0बी0टी0 परीक्षा, 2009 की उत्तर पुस्तिकाओं में एफ.आर. लगाने, डीकोडिंग व बलाईडिंग करने के ऐवज में दी गई जिसकी स्वीकृति कार्यालय आदेष संख्याः हि0षि0बो0गो0–1(19)30435 दिनांक 21.4.2010 स्वीकृति अध्यक्ष स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा राषि ₹74693.50 की दी गई है।
2.	5/192	215936.00	बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों को एफ0आर0 लगाने, डीकोडिंग व उत्तर पुस्तिकाएं वलाईंड करने के ऐवज में भुगतान किया गया जिसकी स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा कार्यालय आदेष संख्याः हि0षि0बो0गो0–1(19) मार्च, 2010–30463 दिनांक 5.5.10 द्वारा की गई है ।
3.	5/204	1238/–	भुगतान सितम्बर, 2009 की उत्तरपुस्तिकाओं का पुर्न निरीक्षण करने के लिए कायर्सालय आदेष संख्याः हि0षि0 बो0 (40)पु0 नि0/1498 दिनांक 19.2.2010 द्वारा विभिन्न बोर्ड कर्मचारियों को किया गया।
	;kx	286776-00	

35 <u>;k=k HkRrk fcyk dh jkf'k ₹1]688 dk vf/kd Hkqxrku</u> %&

निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहन से बाहरी स्थानों के लिए प्रवास/यात्रा की गई। प्रतिदिन मुख्यालय लौट आने के फलस्वरूप एस.आर. 51 के प्रावधानों अनुसार यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घंटे से ज्यादा परन्तु 12 घंटे से कम है तो पात्र दैनिक भत्तों का 35 प्रतिषत दैनिक भत्ता दिया जाना था तथा यदि अनुपस्थिति 12 घंटे से अधिक है तो देय दैनिक भत्ते का 50 प्रतिषत दैनिक भत्ता दिया जाना था।

इन प्रकरणों में देय राषि से अधिक का भुगतान किया गया जिसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की सम्बन्धित से वसूली की जाए।

ok0 l0	ekl	deZpkjh dk uke	jkf'k	fnukad	fd;k x;k nSfud HkRrk dk Hkqxrku	okLrf od ns; jkf'k	vf/kd fd;k x;k Hkqxrku	;k=k fooj.k

12／193	12／10	श्री प्रेम दत्त ड्राईवर	1692	28.5.10	58.00	29.00	29.00	धर्मषाला नगरोटा वंगवा व वापिसी
				28.5.10	84.00	42.00	42.00	धर्मषाला हमीरपुर व वापसी
				29.6.10	58.00	29.00	29.00	धर्मषाला पालमपुर व वापसी
				30.7.10	84.00	42.00	42.00	धर्मषाला जालन्धर व वापसी
				7.8.10	58.00	29.00	29.00	धर्मषाला हरिपुर व वापसी
				9.8.10	58.00	29.00	29.00	धर्मषाला वैजनाथ व वापसी
				29.8.10	58.00	29.00	29.00	धर्मषाला पालमपुर व वापसी
				3.9.10	58.00	29.00	29.00	धर्मषाला जसूर व वापसी
12／194	12／10	श्री प्रेम दत्त ड्राईवर	1374	21.6.10	58.00	29.00	29.00	धर्मषाला शाहपुर व वापसी
				7.9.10	58.00	29.00	29.00	धर्मषाला पालमपुर व वापसी
				26.9.10	84.00	42.00	42.00	धर्मषाला घुमारवीं व वापसी
02／263	02／11	श्री प्रेम दत्त ड्राईवर	395	19.11.10	59.00	29.50	29.50	धर्मषाला हमीरपुर व वापसी
						;kx&&	387-50	
03／668	03／11	श्री शमशेर चन्द ड्राईवर	—	5.1.11	59.00	29.50	29.50	पालमपुर व वापसी
				12.2.11	84.00	42.00	42.00	कुल्लू व वापिसी
				18.2.11	59.00	29.50	29.50	हमीरपुर व वापसी
				28.2.11	59.00	29.50	29.50	बिलासपुर व वापसी
08／200	8／10	श्री शमषेर सिंह ड्राईवर	1319	14.2.10	84.00	42.00	42.00	रिवालसर व वापसी
				20.2.10	84.00	42.00	42.00	देहरा व वापसी
				15.3.10	84.00	42.00	42.00	नूरपुर व वापसी
				9.4.10	84.00	42.00	42.00	बिलासपुर व वापसी

				26.4.10	84.00	42.00	42.00	षिमला व वापसी
						;kx	340-50	
3/311	3/11	श्री प्रभात शर्मा, सचिव	1103	16.1210	96.00	48.00	48.00	धमेटा व वापसी
				30.12. 10	96.00	48.00	48.00	रिवालसर व वापसी
				5.1.11	67.00	33.50	33.50	पंचरूखी व वापसी
				6.2.11	67.00	33.50	33.50	लंज व वापसी
				9.2.11	67.00	33.50	33.50	रैत व वापसी
				12.2.11	96.00	48.00	48.00	कुल्लू व वापसी
				18.2.11	67.00	33.50	33.50	हमीरपुर व वापसी
				28.2.11	67.00	33.50	33.50	हमीरपुर व वापसी
5/284	3/10	–यथो0–	230	15.3.10 20.3.10 25.3.10	230.00	144.00	86.00	अधिकारी प्रतिदिन मुख्यालय सरकारी गाड़ी में वापिस आते रहे इसलिए 50 प्रतिषत दैनिक भत्ता देय था।
5/301	4/10	–यथो–	681	9.4.10	96.00	48.00	48.00	अधिकारी प्रतिदिन मुख्यालय सरकारी गाड़ी में वापिस आते रहे इसलिए 50 प्रतिषत दैनिक भत्ता देय था।
				10.4.10	67.00	33.50	33.50	
				12.4.10	67.00	33.50	33.50	
				22.4.10	96.00	48.00	48.00	
				23.4.10	67.00	33.50	33.50	
8/370	7/10	–यथो–	576	30.7.10	96.00	48.00	48.00	–यथो–
10/432	8 व 9/10	–यथो–	844	2.8.10	67.00	33.50	33.50	–यथो–
				7.8.10	67.00	33.50	33.50	–यथो–
				9.8.10	67.00	33.50	33.50	–यथो–
				19.8.19	67.00	33.50	33.50	–यथो–
				12.9.10	96.00	48.00	48.00	–यथो–
				28.9.10	96.00	48.00	48.00	–यथो–
						;kx	857-50	
10/430	9/10	सी0एल0 गुप्ता	300	26.9.10	200.00	100.00	100.00	वापसी मुख्यालय उसी दिन अतः 50 प्रतिषत दैनिक भत्ता देय था।
						;kx	₹1]688	

36 ₹56@&dk vf/kd Hkqxrku ½&

उत्तराकेंक्षण पर पाया गया कि निम्न राषियां श्री भीमसैन को यात्रा भत्ता के फलस्वरूप भुगतान की गई। अंकेक्षण में की गई गणना के अनुसार यात्रा भत्ता की देय राषि कम बनती थी लेकिन भुगतान अधिक का किया गया। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्षाई राषि का अधिक भुगतान हुआ जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान राषि की सम्बन्धित से वसूली की जाए।

वा0 सं0	भुगतान राषि	देय राषि	अधिक भुगतान
2/319	178	152	26.00
7/152	189	159	30.00
		;kx	56-00

37 fpfdRlk izfriwfrZ fcyksa dh jkf'k ₹275-00 dk vf/kd Hkqxrku&

चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की जांच करने पर पाया गया कि टी3, टी4 व टीएसएच टैस्टों का भुगतान निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्धारित दर से अधिक दर से किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से की जाए भविष्य में बोर्ड की आन्तरिक लेखा परीक्षा को इस सम्बन्ध में आवष्यक निर्देष दिए जाएं कि सभी टैस्टों का भुगतान निर्धारित दर से अधिक न दी जाए।

uke deZpkjh@vf/kdkjh	ok0 l[;k	ftl nj ls Hkqxrku fd;k x;k	fu/kkZfjr nj	vf/kd fd;k x;k Hkqxrku
श्रीमति चन्द्रकांता ठाकुर, अ0अ0	11/322(2)	225/—	200/—	25/—
श्री शेर सिंह कंवर, वरिष्ठ सहायक	7/397	300/—	200/—	100/—
श्रीमति चन्दकांता ठाकुर, अ0अ0	6/545	300/—	200/—	100/—
श्री प्रेमपाल सिंह, व0 सहायक	7/312	225/—	200/—	25/—
श्री रघुवीर सिंह, व0 सहायक	—यथो0—	225/—	200/—	25/—
			;kx	275@&

38 yso VsLV dk fooj.k Li"V u djuk&

वाउचर संख्याः 5/207 राषि 2442/— श्रीमति रजनी शर्मा, कनिष्ठ सहायक ने ₹180/— ट्रिप्पल टैस्ट का दावा निजि लैव की कैष मैमों संख्याः 012962 दिनांक 31.3.10 द्वारा प्रस्तुत किया था। बिल में यह स्पष्ट नहीं था कि यह कौन सा टैस्ट था, यदि यह टी3,टी4, टीएसएच टैस्ट था तो उसे केवल ₹200/— देय थे। अतः अनुरोध है कि ट्पि्पल टैस्ट कैसा टैस्ट था जिसकी क्या दरें

सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी का विवरण स्पष्ट किया जाए। सरकारी दर से अधिक दर पर भुगतान किया गया हो तो उसकी विभागीय गणना करके सम्बन्धित से इसकी वसूली की जाऐ। यह बिल आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा पारित किया गया था।

39 fpfdRlk ifrifr nkok dk fo:} l;Dr ?kk"k.kk i= u n'kkuk %&

वाउचर संख्याः 7/400 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल राषि ₹8300/– श्रीमति कान्ता गुप्ता पत्नि भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सी0एल0गुप्ता से सम्बन्धित था। इस सम्बन्ध में संयुक्त घोषणा–पत्र (Joint declaration) लेखा परीक्षा को नहीं दिखाया गया श्रीमति कान्ता गुप्ता किसी सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में कार्यरत अथवा सेवा निवृत तो नहीं थी जहां से वे चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा प्राप्त तो नहीं कर रही थी ।

अतः संयुक्त घोषणा–पत्र लेखा परीक्षा को दिखाया जाए अन्यथा उपरोक्त राषि के अतिरिक्त श्री सी0एल0गुप्ता को उनकी पत्नि से सम्बन्धित किए गए विभिन्न चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की विभागीय गणना करके कुल राषि की भरपाई सुनिष्चित की जाए।

40 fpfdRlk 0;; dh jkf'k ₹2100@& dk vf/kd Hkqxrku %&

श्री राम प्रकाष बता सेवानिवृत सहायक सचिव को ₹8600/–की राषि वाउचर संख्याः 7/264 द्वारा inter ocular lens दो बार आंखों में डलवाने के लिए कैष मैमों संख्याः 703 दिनांक 12.1.2010 राषि 4200/–व कैष मैमों संख्याः 946 दिनांक 8.12.09 राषि ₹4400/– जो अग्रवाल Eye Hospital से सम्बन्धित थे के विरूद्व भुगतान किए गए जबकि नियमानुसार ₹6500/– की राषि देय थी । इस प्रकार ₹2100/– का अधिक भुगतान का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाऐ अन्यथा वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिष्चित की जाए।

41 fpfdRlk 0;; dh jkf'k ₹100@& dk vf/kd Hkqxrku%&

वाउचर संख्याः 6/373 द्वारा श्री सुरेष शर्मा सहायक सचिव को उनकी पत्नी श्रीमति उषा (GLYCOSY LATED HEMOGLOBIN (HBA1C) टैस्ट के ₹200/– चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल में भुगतान किए गए जबकि सरकारी निर्धारित दर ₹100/– है। इस प्रकार ₹100/– के किए गए अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाऐ अन्यथा इसकी सम्बन्धित से वसूली सुनिष्चित की जाऐ।

42 dkykrhr fpfdRlk ifrifr fcy ckj%&

(क) वाउचर संख्याः 5/265(6) द्वारा श्री सुदेष कुमार, कनिष्ठ सहायक को उसकी पत्नी श्रीमति रेणुका को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल राषि ₹3,172/– निम्नलिखित कारणों से कालातीत प्रतीत होता है :–

i) सम्बन्धित चिकित्सक व स्वयं दावेदार द्वारा सत्यापन प्रमाण–पत्र में रोगी को अवधि 19.10.09 से 29.10.09 तक उपचाराधीन दर्षाया है।

ii) बिल बोर्ड कार्यालय में कब प्रस्तुत किया गया से सम्बन्धित कोई डायरी नं0 नहीं लगाया गया है।

iii) चिकित्सक द्वारा lastly दवाईयां 29.10.09 को 6 सप्ताह के लिए लिखी गई थी इस प्रकार बिल दिनांक 14.12.2009 के बाद 14.3.2010 को बोर्ड कार्यालय में उपचार खत्म होने की तिथि के बाद 3 महीने के भीतर–2 प्रस्तुत किया जाना था जबकि बिल मई, 2010 में internal audit द्वारा पारित किया गया है इस प्रकार यह बिल कालातीत प्रतीत होता है जिसकी विभागीय जांच की जाए तथा कालातीत पाये जाने पर इसकी सम्बन्धित से वसूली की जाऐ ।

¼[k) वाउचर संख्याः 5/211 द्वारा श्रीमति अर्चना, कनिष्ठ सहायक को कुल 4143/– के निम्नलिखित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल निम्नलिखित कारणों से कालातीत प्रतीत होते हैं :–

(i) राषि ₹2979/– 23.8.2009 से लगातार

(ii) राषि ₹82/– 26.11.09 से लगातार

(iii) राषि ₹1082/– 21.8.09 से लगातार

न ही दावेदार और न ही सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा बिल भरते/सत्यापित करते समय तिथि सत्यापन प्रमाण–पत्र में लिखी थी। वाउचर के साथ जो पर्ची की फोटोस्टेट प्रतिलिपि लगाई थी उसमें अन्तिम बार दवाई दिनांक 26.11.2009 को लिखी गई है जिसमें भी अवधि नहीं लिखी गई थी कि दवाई कितने दिन खाई जानी थी उसके उपरान्त कोई दवाई लिखी ही नहीं गई थी। अतः यह बिल कार्यालय में कब प्रस्तुत किये गये का विवरण स्पष्ट किया जाऐ तथा अगर यह चिकित्सा समाप्त होने के 3 मास के बाद प्रस्तुत किये गये हो तो इनकी कालातीत घोषित करके इनकी सम्बन्धित से वसूली की जाए।

43 Hkqxrku fcy@okmpj dk lkFk Lohdfr rFkk **supporting** okmpj layXu u djuk ckjs
¼&

बोर्ड के वर्ष 2010–11 के व्यय की जांच करने पर यह भी पाया गया कि अधिकतर वाउचरों के साथ सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की प्रति संलग्न नहीं पाई गई जिससे भुगतान की स्वीकृति सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई थी अथवा नहीं, की पुष्टि नहीं हो सकी। इस तरह के किए गए कुछ भुगतानों के मामले निम्नलिखित है जिन्हें बोर्ड प्रषासन के ध्यान में लाया जाता है भविष्य में सभी भुगतान वाउचर के साथ supporting बिल व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की प्रति या छायाप्रति संलग्न की जानी सुनिष्चित की जाए ताकि किए गए भुगतान को नियमानुसार होने की पुष्टि संभव हो सके तथा निम्न प्रकरणों में अपेक्षित स्वीकृतियों/आपत्तियों के समाधान से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

dzekd	ok0 l0	jkf'k ₹	Hkqxrku fooj.k
1	11/187	1250/–	स्थल मूल्यांकन देहरा दिसम्बर, 08 ₹1250/– की राषि श्री अर्जून दास, व0 सहायक को वापिस की गई जो लगभग दो वर्ष बाद वापिस की गई उसका क्या औचित्य था। इसके अतिरिक्त supporting document व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी वाउचर के साथ संलग्न नहीं थी।
2.	02/492	115000/–	₹115000/–की राषि विभिन्न एसडीएम, तहसीलदार, नायव तहसीलदार को मानदेय के रूप में भुगतान की गई परन्तु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति वाउचर के साथ संलग्न नहीं थी। क्या इस राषि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हुए व भी उपलब्ध नहीं करवाए गए।
3.	3/211 से 232	16500/–	₹16500/–की राषि विभिन्न Dy. Director, HE/ELE(EDU) को मानदेय के रूप भुगतान किया गया परन्तु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति न ही बोर्ड विनियमन की प्रति वाउचर के साथ संलग्न थी।
4.	4/20	10230/–	भुगतान विभिन्न दैनिक वेतन भोगियों को किया गया परन्तु सक्षम अधिकारी के स्वीकृति आदेष वाउचर के साथ संलग्न नहीं थे।
5.	4/19	42142/–	भुगतान होम गार्डस को किया गया जिससे सम्बन्धित बिल बोर्ड की भण्डार शाखा द्वारा तैयार किया गया व सत्यापित किया जबकि यह Commandant Home से सत्यापित होना चाहिए था।
6.	4/21	3410/–	दैनिक वेतन भोगी के बिल के साथ सविकृति आदेष संलग्न नहीं थे।
7.	4/41	27390/–	–यथो–

8.	4 / 57	1800 / –	भुगतान विभिन्न प्रधानाचार्य / उप निदेषक षिक्षा को किया गया भुगतान का उदेष्य, वाउचर में नहीं लिखा था न ही स्वीकृति संलग्न थी।
9.	4 / 62	16800 / –	श्री आर.पी. कौषल resource person को भुगतान किया गया बिल 12 दिन के लिए स्टोर शाखा के अधीक्षक, अ0अ0 व सहायक सचिव द्वारा सत्यापित किया था जबकि उसे 24 दिन का भुगतान किया गया। वाउचर के साथ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी की स्वीकृति संलग्न नहीं थी।
10.	03 / 269	2249 / –	राषि का भुगतान प्रबन्धक एच.जी.बी. धर्मषाला को 51 ड्राफटस राषि ₹5,72,800 / – व ₹5,17,000 / – के लिए कमीषन के रूप में किया गया परन्तु बैंक का स्करोल व सम्बन्धित सक्षम अधिकारी की स्वीकृति वाउचर के साथ संलग्न नहीं थी।
11.	03 / 351 व 352	1824 / –	–यथोपरि–
12.	6 / 264	86616 / –	विभिन्न एसडीएम को जे0बी0टी0 व्राउचर सी0ई0टी0–2010 बेचने के लिए 0.50 पैसे प्रति वाउचर विक्रय करने की कमीषन व ₹1000 / – की राषि समनवय के लिए भुगतान किया गया जिसकी स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 19(3) के अन्तर्गत आदेष संख्याः एच0बी / जे0बी0टी0 / सी0ई0टी / 2010 / 2543–48 दिनांक 1.6.2010 द्वारा दी गई परन्तु बोर्ड का अनुमोदन व कितने–2 व्राउचर विक्रय किए गए का विवरण व्राउचर के साथ संलग्न नहीं था।
13.	10 / 310	37443 / –	₹37443 / – की राषि श्री राजेष राजौर प्लाट नं0 14 औद्योगिक क्षेत्र मैहतपुर (उना) को अस्थाई तौर से किराये पर लिए गए पेपर गोदाम के ऐवज में बोर्ड की आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली से करवाया गया जबकि आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली द्वारा केवल नियमित किराए पर लिए गए भवनों का किराया ही पारित किया जाना था।
14.	7 / 310	1639 / –	₹1639 / – का भुगतान बोर्ड निधि से बोर्ड अध्यक्ष के आवास के बिजली बिल के रूप में किया गया जबकि बिजली बिल श्री सी0एल0गुप्त के व्यक्तिगत नाम से जारी था क्या यह खर्चा अध्यक्ष की नियुक्ति की सेवा शर्तो अनुसार बोर्ड को ही वहन करना था से सम्बन्धित आदेष लेखा परीक्षा को दिखाए जाऐं अन्यथा इस प्रकार के समस्त किए गए भुगतानों की सम्बन्धित से वसूली की जाए।

44 **lfpo Ldy f'k{kk ckM d vkokl h; VyhQku ij Broad Band lfo/kk d fy, jkf'k ₹10]348-00 dk vfu;fer Hkxrku djuk %&**

सचिव स्कूल षिक्षा बोर्ड के आवासीय टैलीफोन नं0 226660 में Broad Band सुविधा उपलब्ध करवाने के एवज़ में किया गया प्रतिमास व्यय जो बिल में सम्मिलित होता था, की अदायगी बोर्ड निधि से की जाती रही है जो बोर्ड निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सम्बन्धित अधिकारी वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन–I–(सी)–14–1/92–4435 दिनांक 25 अगस्त, 2010 अनुसार Landline/mobile phone charges की प्रतिपूर्ति Bimonthly आधार पर बोर्ड से प्राप्त कर रहे थे तथा Broad Band charges भी स्वयं उन्हें वहन करने चाहिए थे क्योंकि सरकार द्वारा आवास पर उपलब्ध करवाए गए टेलीफोन पर Broad Band सुविधा उपलब्ध करवाने के एवज़ में सरकारी धन/बोर्ड निधि से भुगतान करने का कोई प्रावधान उपरोक्त आदेषों में नहीं किया गया है। अतः इस प्रकार Broad Band हेतु बोर्ड निधि से किया गया निम्नलिखित भुगतान का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा वसूली सुनिष्चित की जाए।

dzekd	ok0 l[;k	jkf'k ₹	Hkxrku fooj.k
1.	11/337	287/–	₹287/– Broad Band Charges का भुगतान बोर्ड निधि से किया गया जो उचित प्रभार नहीं था ।
2.	12/361	287/–	–यथोपरि––
3.	01/266	351/–	–यथोपरि–
4.	02/425	5550/– (अवधि 1.1.11 से 31.1.11)	–यथोपरि इसके अतिरिक्त इतना अधिक बिल Broad band का औचित्य स्पष्ट किया जाए क्योंकि लगभग ₹700/– में unlimited broad band use किया जा सकता था।
5.	03/603	631/–	₹631/– Broad band charges का भुगतान बोर्ड निधि से किया गया जो उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है।
6.	6/426	397/–	–यथोपरि–
7.	8/386	945/–	–यथोपरि–
8.	9/336(6)	287/–	–यथोपरि–
9.	10/341(4)	287/–	–यथोपरि–
10.	4/96	234/–	–यथोपरि–

11.	7/387	1092/–	₹1092/– आवासीय फोन नं0 226660 में Broad band charges का भुगतान बोर्ड निधि से किया गया जो उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है।
	;kx	10348-00	

45 **lfpo Ldly f'k{kk ckMl dk Land line/mobile charges dh i:fr i:fr ckj %&**

वर्ष 2010–2011 के व्यय का अंकेक्षण करने पर यह पाया गया कि अधिकारी को 1.4.2010 से 31.8.2010 तक ₹3000/– Biomonthly व 1.9.2010 से 31.3.2011 तक ₹2700/– Biomonthly की दर से वित्त विभाग हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्याः क्रमषः फिन–1–(सी)–14–1/92 दिनांक 1 अगस्त, 2007 व समसंख्यक पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2010 के अनुसार **Land line/mobile** प्रभार का भुगतान किया गया है जबकि उक्त दरें दिए जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारी की equation सरकार के किस स्तर के अधिकारी से की जानी है, नहीं की गई है । परिणामस्वरूप इस भुगतान की औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः बोर्ड प्रषासन से अनुरोध है कि सचिव स्कूल षिक्षा बोर्ड के पद की equation उपरोक्त वर्णित पत्रों में वर्णित सरकार के अधिकारियों के साथ सरकार से करवाई जाए ताकि दी गई Biomonthly दर उपरोक्त पत्रों में वर्णित शर्तो अनुसार नियमित की जा सके। यदि दी गई दर सरकार के equation करने पर अधिक या कम पाई जाती है तो नियमानुसार वसूली या शेष भुगतान सम्बन्धित अधिकारी को किया जाए।

46 Jh jfo dekj pMMk] ftyk i:cU/kd] dYyw dk ;k=k HkRrk fcy dk nksgjk Hkxrku ckjs %&

वाउचर सं0 12/240 यात्रा भत्ता दावा राषि ₹412/– श्री रवि कुमार चडडा जिला प्रबन्धक कुल्लू को कार्यालय आदेष संख्याः हि0षि0बो0(17)संचालन–1/2010–12375–426 दिनांक 4.9.2010 के अन्तर्गत दिनांक 7.9.10 से 9.9.2010 तक संचालित की जाने वाली मिडल, मैट्रिक जमा एक व जमा दो की अनुपूरक परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु उड़न दस्ते के रूप में कुल्ली (बी), बंजार मनाली व पैंजेन नियुक्त किया था जिसके लिए ₹412/– की अदायगी उसे चैक नं0 156806 दिनांक 7.12.2010 द्वारा की गई है। उपरोक्त अधिकारी को अवधि 30.8.2010 से 11.9.2010 तक यात्रा भत्ता राषि ₹1284/– की राषि का भुगतान वाउचर संख्याः 12/241 के माध्यम से चैक नं0 156806 दिनांक 7.12.2010 द्वारा किया गया। उक्त दोनों राषियां उसके बैंक खाता संख्याः 30401587851 में दिनांक 7.12.10 में जमा करवाई गई हैं। अतः 7.9.2010 से

9.9.2010 की अवधि का दोनों बिलों में भुगतान कर दिया है। इसके अतिरिक्त अवधि 30.8.10 से 11.9.2010 तक के लिए उपरोक्त अधिकारी के आदेष कार्यालय आदेष संख्याः हि0षि0बो0(17) संचालन–1/2010–2331–333 दिनांक 28.8.10 द्वारा 30.8.10 से संचालित की जाने वाली जे0बी0टी0 भाग एक व दो परीक्षा के लिए DIET KULLU at Jarad में 10 बजे से 1 बजे तक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। कुल्लू से जरड़ की दूरी 17 कि0 मी0 दर्षाई गई है इतनी कम दूरी व एक बजे तक डियूटी के लिए अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में जरड़ में ही ठहराव दिखाकर कुल ₹1284/– का भुगतान प्राप्त किया जो नियमानुसार सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वे एक बजे के बाद कुल्लू वापिस लौट सकते थे। इसी प्रकार वाउचर संख्याः 12/242 यात्रा भत्ता बिल राषि ₹420/– अवधि 18.10.2010 से 21.10.2010 तक जे0बी0टी0 वार्षिक परीक्षा में पर्यवेक्षक की डियुटी के लिए जरड़ में रूके। अतः 7.9.2010 से 9.9.2010 की अवधि के दोहरे भुगतान व 30.8.2010 से 11.9.2010 व 18.10.2010 से 21.10.2010 की अवधि तक मुख्यालय से मात्र 17 कि0 मी0 की दूरी तथा 1 बजे तक कार्य करने के वावजूद मुख्यालय वापसी की अपेक्षा प्रवास स्थान पर ठहराव का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुचित ठहराव व दोहरे भुगतान के कारण हुऐ अधिक भुगतान की विभागीय गणना करके सम्बन्धित से इसकी वसूली सुनिष्चित की जाए।

47 dkxt ¼vkdkj 23 x 33) dh [kir l lEcfU/kr vfHkys[k iLrqr djus ckjs ¼&

बोर्ड कार्यालय की उत्पादन शाखा के कागज भण्डारण से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर एवं इन्डैट वुक की जांच में पाया गया कि 12.12.2005 से 26.12.2008 तक मैं आर0पी0 कपूर को निम्न विवरणानुसार 23 X 33 आकार का 154.755 मि0 टन कागज जारी किया गया परन्तु इसके विरूद्व खपत का कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया परिणामस्वरूप इसके विरूद्व कितनी खपत हुई तथा कितना कागज षेष बचा की पुष्टि नहीं हो सकी। उपरोक्त जारी कागज की खपत के विरूद्व अभिलेख अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

d0 l0	bUMsV l[;k	ftl mn~s'; ds fy, i=j tkjh fd;k x;k	tkjh fd;k x;k i=j ¼fe0Vu½	frfFk
1.	1485	गोपनीय कार्य	18.00	12.12.05
2.	1488	–यथोपरि–	18.00	28.12.05
3.	1786	–यथोपरि–	18.00	16.1.07
4.	1787	–यथोपरि–	09.00	29.01.07

5.	1971	—यथोपरि—	09.255	10.10.07
6.	2078	—यथोपरि—	27.00	20.11.07
7.	2089	—यथोपरि—	09.00	18.1.08
8.	2094	—यथोपरि—	09.00	5.2.08
9.	2711	—यथोपरि—	37.50	26.12.08
			154-755	

48 i'ku o minku fuf/k e gLrkrj.k ckj %&

सामान्य निधि से पैन्षन रिजर्व व उपदान रिजर्व में क्रमषः ₹109800000/— व ₹19000000/— स्थानान्तरित किऐ गये। यह राषियां षिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू की गई पैंषन योजना की अधिसूचना क्रमांक एच0बी0(1) संस्थापन—सा0फा0—142(पैंषन)2006—5680—5779 दिनांक 18.4.2006 के धारा 5(2) व बोर्ड द्वारा पैंषन योजना का प्रस्ताव जो चार्टड अकाउंटैंट से तैयार करवा कर प्रदेष सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया था के अनुसार दिनांक 1.1.2005 से सभी पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन डी0 पी0 व मंहगाई भत्ते का 12 प्रतिषत पैंषन निधि व 5 प्रतिषत उपदान निधि में हस्तांतरित करना निष्चित किया गया था जिसे वाद में बोर्ड प्रषासन द्वारा वर्ष 2006—07 व पैंषन शेयर की दर 15 प्रतिषत तथा उपदान निधि की दर 7 प्रतिषत कर दी गई, के अतिरिक्त हस्तान्तरित की गई। वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन—आईएफ (सी)—ए(4)—11/99—II दिनांक 31.3.11 के अन्तर्गत अगर इन निधियों में कोई Shortfall पाई जाती है तो इतनी राषि उस निधि में हस्तान्तरित की जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। हस्तान्तरण से सम्बन्धित बिल इस शर्त के साथ पारित किऐ गये कि इन निधियों में अगर कोई Shortfall पाया जाता है तो उतनी राषि का समायोजन करके अधिक हस्तान्तरित राषि वापिस सामान्य निधि में जमा करवाई जाए। लेकिन कितनी राषि Shortfall थी अंकेक्षण में नहीं दर्षाई गई। इन निधियों में Shortfall की राषि बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा Shortfall से अधिक हस्तांतरित राषि सामान्य निधि को वापिस की जाए।

49 ₹1799-39 yk[k dh vfxze jkf'k;ka dk lek;kstu u djuk %&

बोर्ड कार्यालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचियों के अनुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए बोर्ड निधि में से दी गई अग्रिम राषियों में से दिनांक 31.3.11 तक ₹17,99,38,572/— की राषि असमायोजित है। जिसका वर्षवार विवरण निम्नलिखित है। इनके समायोजन हेतु अतिषीघ्र पग उठाये जाऐं ।

o"k	v lek;kftr vfxe dh dy jkf'k ₹
1969—70	109130
1970—71	139342
1971—72	230053
1972—73	101808
1973—74	288920
1974—75	456368
1975—76	371280
1976—77	342320
1977—78	401268
1978—79	900429
1979—80	671417
1980—81	1086738
1981—82	952661
1982—83	1033805
1983—84	699007
1984—85	3346910
1985—86	2680601
1986—87	2786672
1987—88	1292302
1988—89	2147401
1989—90	2411548
1990—91	1290570
1991—92	2153516
1992—93	2749304
1993—94	790538
1994—95	3023087
1995—96	4405119
1996—97	6675782
1997—98	5440322
1998—99	2226048
1999—2000	923817
2000—01	3186176
2001—02	1479351
2002—03	2180009
2003—04	9961189
2004—05	9400358
2005—06	6168198
2006—07	13431140
2007—08	15836368
2008—09	10576773

2009–10	18711302
2010–2011	36879625
dqy ;ksx	179938572

50 fofo/k %&

¼i½ okLrfod Hkxrku ikfIr jlhnk dk miyC/k u gkuk %&

बोर्ड के वर्ष 2010–11 के व्यय वाउचरों की जांच में यह पाया गया कि अधिकतर भुगतान किए गए वाउचरों के साथ वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें संलग्न नहीं थी न ही अभिलेखों से यह स्पष्ट हो पाया कि भुगतान Account Payee’s Cheque के माध्यम से किया गया था। टैलीफोन, बिजली व पानी इत्यादि–2 बिलों की रसीदें भी वाउचरों के साथ संलग्न नहीं पाई गई जबकि इस तरह के किए गए नगद व Cheque भुगतान के लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें जारी की जाती हैं।

अतः बोर्ड प्रषासन से अनुरोध है कि सभी किए गए भुगतानों के समर्थन में वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें प्राप्त की जानी सुनिष्चित की जाए अन्यथा account Payee’s cheque द्वारा भुगतान किए जाने का अभिलेख रखा जाए।

¼ii½ ckM d fjgk;'kh vkokl dk vLohdkj@[kkyh vkokl dh lpuk vd{k.k e miyC/k u djoku ckj %&

4/2008 से 3/2011 की अवधि में बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों को आंवटित आवास के इनकार करने व खाली आवास तथा अन्य कोई सम्पति जो कि खाली हो की सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 149 दिनांक 24.9.11 के द्वारा अनुराध किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में न तो कोई सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई तथा न ही इसका कोई प्रत्युत्तर दिया गया। परिणामस्वरूप जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को बोर्ड आवास आंवटित किया गया था लेकिन उन द्वारा इन्कार करने पर दिये गये मकान किराये भत्ते की औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके साथ खाली आवास की औचित्यता की पुष्टि भी नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त सम्पति रजिस्टर का भी अनुरक्षण करना सुनिष्चित किया जाए। उपरोक्त सूचनाऐं अंकेक्षण को शीघ्र प्रेषित की जाए।

(iii) Hk.Mkj e iM lkeku dk okf"kd lR;kiu u dju ckj %&

भण्डार रजिस्टरों के अवलोकन पर पाया गया कि भण्डार में पड़े शेष सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जबकि यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जाना अपेक्षित होता है। बोर्ड प्रषासन को परामर्ष दिया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही करके भविष्य में भी इसे सुनिष्चित किया जाए तथा वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई कमी पाई जाती है तो उसकी सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) **Inventry** jftLVj dk vuqj{k.k u djus ckjs :–

बोर्ड द्वारा Inventry रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में किस शाखा में कितने भण्डार रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया है की पुष्टि अंकेक्षण में कर पाना असम्भव है। बोर्ड प्रषासन को परामर्ष दिया जाता है कि Inventry रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाना सुनिष्चित किया जाए जिसमें प्रत्येक शाखा के भण्डार रजिस्टरों को दर्ज किया जाए। अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(v) okmpj dekad 857 ls 1081 ¼,½ ekpZ 2011 ls lEcfU/kr lafpdk miyC/k u djokus ckjs :–

व्यय से सम्बन्धित वर्ष 2010–11 का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मार्च, 2011 से सम्बन्धित वाउचर संख्याः 857 से 1081(ए) की संचिका बार–2 मौखिक अनुरोध करने पर भी लेखा परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे इन व्यय वाउचरों की जांच ऑडिट में नहीं की जा सकी ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित व्यय वाउचर अब लेखा परीक्षा को उपलब्ध करवाए जाएं ताकि इन वाउचरों की आवष्यक लेखा परीक्षा जांच सुनिष्चित की जा सके ।

51- lEidZ dk;kZy; f'keyk ¼v/;kidksa ds Hkqxrkuksa ls lEcfU/kr ys[kk ijh{kk fVIif.k;k½ :–

51-1 vfxzeksa ds fo:} jkf'k ₹0-40 yk[k dk vf/kd Hkqxrku %&

निम्न प्रकरणों में अग्रिमों के विरूद्व प्रस्तुत समायोजन वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रत्येक के आगे दर्षाई गई राषियों जो कि समायोजन में शामिल की गई थी, अदेय होने के

कारण अंकेक्षण द्वारा स्पष्ट करने पर प्रत्येक के आगे दर्षाई गई रसीदों द्वारा वसूली की गई तथा कुछ की वसूली न होने के कारण समायोजित नहीं हो सकी। अनुपालना हेतू परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में जिन समायोजन के विरूद्व वसूली शेष है, वसूली करके पुनः समायोजन हेतु प्रस्तुत किया जाऐ तथा भविष्य में उचित जांच के उपरान्त ही लेखे समायोजन हेतु प्रस्तुत किऐ जाऐं।

d 0 l0	iHkkjh dk uke	vfxze jkf'k o dUn dk uke o l=	o lyh	jlhn l0	vkd{k.k vf/k;kpuk l0 o fnukd
1-	2-	3-	4-	5-	6-
1.	कषमीर सिंह	715000 सरकाघाट मार्च, 08	1045.00	ज्मा करवाये जाने अपेक्षित हैं	9 दिनांक 26.4.10
2.	श्री जय चन्द नेगी	622000 भराड़ी मार्च,06	868.00	ज्मा करवाये जाने अपेक्षित है ं।	41 दिनांक 1.6.10
3.	श्री चानन सिंह	229.000 धून्दला(उना) मार्च, 07	14948.00	—यथोपरि—	155 दिनांक20.9.10
4.	श्री लालमन	1126000 मण्डी मार्च,09	707.00	—यथोपरि—	7 दिनांक 7.1.11
5.	श्री कर्म चन्द	195000 चम्बा, मार्च,08	4527.00	802750 दिनांक 4.9.10	61 दिनांक 17.6.10
6.	श्री अषोक कुमार	1284000 हमीरपुर मार्च, 08	2173.00	809778 दिनांक 4.10.10	114 दिनांक17.8.10
			(अंकेक्षण अधियाचना में दर्षाई गई शेष राषि अध्यापकों के यात्रा भत्ता बिलों से काट ली गई)		
7.	श्री सतोष कुमार	317000 नाहन, मार्च, 08	332.00	800852 दिनांक 18.8.10	120 दिनांक 20.8.10
8.	श्री रमेष कुमार	379000 पौंटा सहिब, मार्च,08	938.00	802502 दिनांक 3.9.10	—यथोपरि—
9.	श्री बीरवल कुमार	120000 बरठीं मार्च, 08	100.00	801929 दिनांक 27.8.10	—यथोपरि—
10.	श्री दीनानाथ कौषल	794000 पालमपुर, मार्च, 08	457.00	824747.00 दिनांक 4.2.11	168 दिनांक 30.9.10
11.	श्री जगदीष	314000 तलाई, मार्च,06	2117.00	815436 दिनांक 16.11.10	186 दिनांक 29.10.10

12.	श्री राजेन्द्र शर्मा	370000 ज्वाली मार्च, 09	2135.00	818122 दिनांक 8.12.10	103 दिनांक 11.11.10
13.	श्रीमति वीना चन्देल	658000 जीएवी कांगड़ा मार्च,08	2305.00	817412 दिनांक 6.12.12	98 दिनांक11.11.10
14.	श्री अमरीक सिंह	651000 उना मार्च, 09	426.00	825129 दिनांक 7.2.11	7 दिनांक 7.1.11
15.	श्री ज्ञान चन्द	689000 देहरा	411.00	823793 दिनांक 28.1.11	—यथोपरि—
16.	श्री जैसी राम	749000 सरकाघाट मार्च, 09	4384.00	827319 दिनांक 11.3.11	22 दिनांक 22.1.11
17.	श्री रवि चडडा	526000 कुल्लू मार्च, 09	790.00	831805 दिनांक 30.4.11	59 दिनांक 23.3.11
18.	श्री रविन्द्र खनका	525000 धर्मषाला मार्च, 09	600.00	828713 दिनांक 30.3.11	—यथोपरि—
19.	श्री राजेन्द्र सिंह	247000 विझड़ी	728.00	827980 दिनांक 24.3.11	59 दिनांक 23.3.11
		d|y ;kx%&	₹39991-00		

51-2 ,d gh vof/k e: nkgj: ikfjJfed Hk|xrku l: lEcfU/kr %&

निम्न प्रकरणों में, अध्यापकों द्वारा एक ही अवधि में दो कार्य स्थलों में कार्य दर्षाया गया है जिसकी पुष्टि स्थल मूल्यांकन केन्द्र की हाजरी पंजिका व स्कूल के पर्यवेक्षक चार्ट तथा यात्रा भत्ता बिलों से की गई जबकि हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के पत्र संख्याः 137 दिनांक 3.4.2001 के अनुसार एक अवधि में एक ही कार्य किया जाना आपेक्षित था उपरोक्त तथ्यों से सचिव महोदय को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 29 दिनांक 22.5.2010 व 142 दिनांक 4.9.10 के द्वारा भी अवगत करवाया गया था तथा इस प्रकार के भुगतानों को रोकने हेतू उचित दिषा निर्देष देने का अनुरोध किया गया था लेकिन इस पर की गई कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया।

d0 l0	v/;kid dk uke o irk	LFky eY;kadu dsUnz dh gkt jh ifTdk e: n'kkbZ xbZ mifLFkfr dh vof/k	Ldy dk uke o lk;ao{kd pkVZ e: n'kkbZ xbZ mifLFkfr dh vof/k	nkgjk Hkqxrku	fVIi.kh
1.	श्री भगवान चन्द शर्मा, प्रवक्ता हिन्दी रा0व0मा0पा0 दोसेहड़ा	सुन्दरनगर दिनांक 26.3.08 से 12.4.08 तक कार्य किया ।	रा0व0मा0पा0 राजगढ़, दिनांक 4.3.08 से 2.4.08	774.00	दिनांक 26.3.08 से 2.4.08 तक दोनों कार्य स्थलों में

	जिला मण्डी		तक उपाधीक्षक का कार्य किया व सम्बन्धित स्कूल में अपना ठहराव भी दर्षाया ।		कार्य किया
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार प्रवक्ता अंग्रेजी रा0व0मा0पा0 पौंटा जिला मण्डी	सुन्दरनगर दिनांक 26.3.08 से 5.5.08 तक कार्य किया ।	रा0व0मा0पा0 सुन्दरनगर में भी दिनांक 2.3.08 से 31.3.08 तक केन्द्र अधीक्षक का कार्य किया ।	200.00	दिनांक 26.3.08 से 31.3.08 तक दोनों कार्य किये ।
3.	श्री धीरज प्रवक्ता पोलिटीकल सांईस रा0व0मा0पा0 भुटटी	कुल्लू दिनांक 24.3.07 से 19.4.07 तक कार्य किया व सम्बन्धित केन्द्र में अपना ठहराव भी दर्षाया ।	रा0व0मा0पा0 भुटटी में दिनांक 5.3.07 से 4.4.07 तक उपाधीक्षक का कार्य किया ।	285.00	दिनांक 24.3.07 से 4.4.07 तक दोनों कार्य स्थलों में कार्य किया ।
4.	श्री अनिल कुमार महाजन, रा0व0मा0पा0 नूरपुर, जिला कांगड़ा	नूरपुर में दिनांक 26.3.07 से 4.4.07 तक कार्य किया ।	रा0व0मा0पा0 सदवां में दिनांक 5.3.07 से 4.4.07 तक उपाधीक्षक का कार्य किया व सम्बन्धित स्कूल में अपना ठहराव भी दर्षाया ।	1192.00	दिनांक 26.3.07 से 4.4.07 तक दोनों कार्य स्थलों में दोहरा कार्य किया
5.	श्री रतन चन्द शर्मा, रा0व0मा0पा0 चवूतरा, जिला हमीरपुर	भौरजं में दिनांक 27.3.06 से 13.4.06 तक कार्य किया व अपना ठहराव भी इस केन्द्र में दर्षाया	रा0व0मा0पा0 लदरौर में दिनांक 3.3.06 से 3.4.06 तक उपाधीक्षक का कार्य किया व अपना ठहराव भी इस केन्द्र में दर्षाया ।	1854.00	दिनांक 27.3.06 से 3.4.06 तक दोनों कार्य स्थलों पर कार्य किया व अपना ठहराव भी दोनों कार्य स्थलों में दर्षाया ।
			vfu;fer Hkqxrku&	4305-00	

51-3 i;kfxd ijh{kk l lEcfU/kr ikfjJfed fcyk e ikbZ xbZ xEHkhj vfu;ferrk,¡ %&

मार्च, 2009 में जमा दो के अलग–2 विषयों व दसवीं के विज्ञान विषय के पारिश्रमिक बिलों की जांच करने पर पाया गया कि अधिकतर अध्यापक विभिन्न स्थल मूल्यांकन केन्द्रों में अपनी उपस्थिति दर्षा रहे थे, जहां वह उत्तर–पुस्तिकाओं की जांच कर रहे थे तथा सम्बन्धित केन्द्रों से पारिश्रमिक व यात्रा भत्ता भी प्राप्त कर चुके थे। उसी अवधि में विभिन्न स्कूलों में जा कर परीक्षार्थियों से विभिन्न विषयों की प्रयोगिक परीक्षा का संचालन भी कर रहे थे। जिस के पारिश्रमिक बिल लेखा शाखा द्वारा पारित कर के अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किये थे, जिन्हें लेखा परीक्षा द्वारा पारित होने से रोक लिया गया। जिस का विवरण इस प्रकार से हैः–

d0 l0	v/;kid dk uke o irk	fo"k; o d{kk	ftl fnu i;kfxd ijh{kk yh	Ldy dk uke	LFky eY;kadu dsUnz dk uke	vfu;fer Hkxrku	fVIi.kh
1.	श्री जैतिन्द्र कुमार पठानिया, रा0व0मा0पा0 घरवासड़ा जिला मण्डी	दसवीं साईंस	30.3.09	रा0व0मा0पा0 घरवासड़ा	सरकाघाट	126.00	दोनों कार्य स्थलों में कार्यकाल दर्षाया है
2.	श्री घनष्याम दास,रा0व0मा0पा0 खोपानल जिला मण्डी	–यथोपरि–	–यथो.–	रा0व0मा0पा0 खोपानल	जोगिन्द्रनगर	120.00	–यथोपरि–
3.	श्री भूपिन्द्र शर्मा, रा0व0मा0पा0 कोलर,जिला सिरमौर	–यथोपरि–	26.3.09 से 30.3.09	बी0जे0के0 ब0मा0पा0, पौंटां	पौटां साहिव	259.00	–यथोपरि–
4.	श्री यषपाल जस्टा, रा0ब0मा0पा0 कुठेड़ा जिला बिलासपुर	जमा दो भौतिक विज्ञान	–यथो0–	रा0ब0मा0पा0 व हिम सरवोदय रा0ब0मा0पा0 घुमारवीं	घुमारवीं	399.00	दोनों कार्य स्थलों में कार्य किया दर्षाया
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार, रा0ब0मा0पा0 थोना जिला मण्डी	–यथो0–	25.3.09 से 27.3. 09तक	रा0ब0मा0पा0 भराड़ी तथा गोपालपुर	सरकाघाट	375.00	–यथोपरि–
6.	श्री राजेन्द्र सिंह रा0ब0मा0पा0	–यथो0–	26.3.09	रा0ब0मा0पा0 महादेव	मण्डी	130.00	–यथोपरि–

	महादेव जिला मण्डी						
7.	श्री अमीन चन्द शर्मा, रा0ब0मा0पा0 धना पटरीघाट जिला मण्डी	जमा दो रसायन विज्ञान	28.3.09	रा0ब0मा0पा0 धन्ना पटरीघाट	मण्डी	101.00	–यथोपरि–
8.	श्री राजेन्द्र सिंह, रा0ब0मा0पा0 बरयाड़ा जिला मण्डी	–यथो0–	30.3.09	रा0ब0मा0पा0 गग्गल	मण्डी	89.00	–यथोपरि–
9.	श्री राजेष कुमार रा0ब0मा0पा0 नाहन, जिला सिरमौर	जमा दो इलैक्ट्रोनिक टैक्नोलजी	30.3.09 से 1.4.09	रा0ब0मा0पा0 नाहन	नाहन	119.00	–यथोपरि–
10.	श्री ओम प्रकाष ठाकुर, रा0ब0मा0पा0 रायसन जिला कुल्लू	–यथो0– इन्फोरमेषन टैक्नोलजी	31.3.09	रा0ब0मा0पा0 रायसन	कुल्लू	87.00	–यथोपरि–
11.	श्री नरेन्द्र कुमार, रा0ब0मा0पा0 दसेहरा, जिला मण्डी	–यथो0–	31.3.09 से 1.4.09	रा0ब0मा0पा0 दसेहरा	मण्डी	174.00	–यथोपरि–
12.	श्री दिनेष गुलेरिया, रा0व0 मा0पा0 केहनवाल, जिला मण्डी	–यथो.–	31.3.09	रा0ब0मा0पा0 केहनवाल	मण्डी	87.00	दोनों कार्यस्थलों में कार्य किया दर्षाया
13.	श्री कुलवन्द सिंह रा0ब0मा0पा0 भराड़ी जिला बिलासपुर	शरीरिक शिक्षा जमा दो	तिथि नहीं दर्षाई गई	रा0ब0मा0पा0 भराड़ी	घुमारवीं दिनांक 25.3.09 से 18. 4.09 तक	416.00	–यथोपरि–
14.	श्री दिले राम शर्मा रा0ब0मा0पा0 हटवाड़ जिला बिलासपुर	–यथोपरि–	–यथो0–	रा0ब0मा0पा0 हटवाड़	–यथो0–	274.00	–यथोपरि–
15.	श्री धनी राम बर्मा, रा0ब0मा0पा0 कुठेड़ा जिला बिलासपुर	–यथोपरि–	–यथो0–	रा0ब0मा0पा0 कुठेड़ा	–यथो0–	227.00	–यथोपरि–

16.	श्री सुनील कुमार, रा0ब0मा0पा0 अमरोह जिला हमीरपुर	—यथोपरि—	—यथोपरि—	रा0ब0मा0पा0 अमरोह	भोरन्ज दिनांक 25.3.09 से 18. 4.09	133.00	—यथोपरि—
17.	श्री कुलदीप सिंह, रा0ब0मा0पा0 भोरजं जिला हमीरपुर	—यथोपरि—	—यथोपरि—	रा0ब0मा0पा0 भोरजं	—यथो0—	283.00	—यथोपरि—
18.	श्री कर्मचन्द, रा0ब0मा0पा0 चम्बोह जिला हमीरपुर	—यथोपरि—	—यथोपरि—	रा0ब0मा0पा0 चम्बोह	—यथोपरि—	98.00	—यथोपरि—
19.	श्री प्यारे लाल शर्मा, रा0ब0मा0पा0 परोल, जिला हमीरपुर	—यथोपरि—	—यथोपरि—	रा0ब0मा0पा0 परोल	—यथोपरि—	224.00	—यथोपरि—
20.	श्री चमन लाल, रा0ब0मा0पा0 पटटा, जिला हमीरपुर	—यथोपरि—	—यथोपरि—	रा0ब0मा0पा0 पटटा	—यथोपरि—	92.00	—यथोपरि—
21.	श्री संजय कुमार, रा0ब0मा0पा0 महरोल	—यथोपरि—	—	रा0ब0मा0पा0 महरोल	बिजड़ी दिनांक 25.3.09 से 21. 4.09	286.00	—यथोपरि—
22.	श्री रमेष चन्द रा0ब0मा0पा0 घमेटा जिला कांगड़ा	—यथोपरि—	—	रा0ब0मा0पा0 धमेटा	ज्वाली दिनांक 27.3.09 से 23. 4.09 तक	171.00	—यथोपरि—
23.	श्री हुक्म चन्द रा0ब0मा0पा0 मटौर, जिला कांगड़ा	—यथोपरि—	—	रा0ब0मा0पा0 मटौर	धर्मषाला दिनांक 25.3.09 से 22. 4.09तक	183.00	—यथोपरि—
24.	श्री मुकेष रा0ब0मा0पा0 रैत, जिला कांगड़ा	—यथोपरि—	—	रा0ब0मा0पा0 रैत	—यथोपरि—	573.00	—यथोपरि—
25.	श्री रमेष कुमार, रा0ब0मा0पा0 बरोटी जिला मण्डी	—यथोपरि—	—	रा0ब0मा0पा0 बरोटी	सरकाघाट दिनांक 25.3. 09 से 14.4.09	163.00	—यथोपरि—
26.	श्री मनी चन्द पराषर, रा0ब0मा0पा0 घरवासड़ा जिला	—यथोपरि—	—	रा0ब0मा0पा0 घरवासड़ा	—यथोपरि—	121.00	—यथोपरि—

	मण्डी						
27.	श्री विक्रम पांटा रा0ब0मा0पा0 रोहडू जिला षिमला	–यथोपरि–	–	रा0ब0मा0पा0 रोहडू	रोहडू दिनांक 25.3.09 से 21. 4.09तक	585.00	–यथोपरि–
28.	श्री लोकपाल चौहान, रा0ब0मा0पा0 सरस्वती नगर, जिला षिमला	–यथोपरि–	–	रा0ब0मा0पा0 सरस्वती नगर	–यथोपरि–	163.00	–यथोपरि–
				dy vfu;fer Hkxrku		6058-00	

इन तथ्यों से सचिव महोदय को अंकेक्षण अधियाचना सं0 137 दिनांक 3.9.10 द्वारा अवगत करवाया जा चुका है तथा अध्यापकों की इस पुनरावृति को रोकने हेतु समुचित पग उठाने का अनुरोध भी किया गया था। बोर्ड के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही सम्पर्क कार्यालय बन्द होने तक वांछित थी।

51-4 nkgj ikfjJfed fcyk d Hkxrku d lUnHk e %&

विभिन्न स्कूलों में मार्च, 09 की परीक्षा के संचालन हेतु नियुक्त केन्द्र अधीक्षक, समन्वयक व पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान को लेखा शाखा द्वारा ₹6524/– की राषि को आकसमिक व्यय विपत्र व पर्यवेक्षक चार्ट में दो बार भुगतान हेतु पारित किया गया था। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर उक्त दोहरे भुगतान को रोक लिया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 219 दिनांक 8.12.2010 के द्वारा स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया लेकिन इस का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

51-5 prFk J.kh d deipkfj;k dk vf/kd dh xbl vnk;xh d lUnHk e %&

पत्र सं0 हि0प्र0षि0 बोर्ड/117/संचालन–1/2005–2200/22128, दिनांक 28.7.2005 के आदेषानुसार सितम्बर, 05 से परीक्षा संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों में अधीकतम तीन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती थी, परन्तु लेखा शाखा द्वारा उक्त आदेषों की अनुपालना न करते हुए कुछ स्कूलों में परीक्षा संचालन हेतु तैनात तीन से अधिक अधिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अदायगियां पारित करके अंकेक्षण में प्रस्तुत की थी। जिन्हें अंकेक्षण द्वारा पारित होने से रोक लिया गया, जिस का ब्यौरा इस प्रकार से है :–

d0	Ldy dk uke o l=	y[kk 'kk[kk	y[kk ijh{kk	vfu;fer

l0		}kjk ikfjr fd;k x;k Hkqxrku	}kjk ikfjr fd;k x;k Hkqxrku	Hkqxrku
1.	रा0ब0मा0पा0 भग्रवां जिला कांगड़ा, मार्च,07	11047.00	10117.00	930.00
2.	रा0ब0मा0पा0 बडालग, जिला सोलन, मार्च,07	3021.00	2381.00	640.00
3.	रा0ब0मा0पा0 रामपुर बुषैहर जिला षिमला	3794.00	2534.00	1260.00
			dqy ;ksx	2830-00

इन तथ्यों से सचिव महोदय को अंकेक्षण अधियाचना सं0 224 दिनांक 8.12.10 द्वारा अवगत करवाया जा चुका है, की गई कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना अपेक्षित है ।

51-6 vfu;fer ;k=k HkRrk fcyksa dh jkf'k ₹0-08 yk[k dk Hkqxrku cksMZ %&

निम्न अध्यापकों को मार्च, 08, 09, व मार्च, 10 की परीक्षा के संचालन हेतु विभिन्न स्कूलों में बोर्ड द्वारा बिना यात्रा/विराम भत्ता केन्द्र अधीक्षक व उपाधीक्षक नियुक्त किया था परन्तु लेखा शाखा द्वारा इन अध्यापकों के यात्रा भत्ता बिल पारित कर के पूर्वाकेक्षण हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये थे। अतः इन बिलों को लेखा परीक्षा द्वारा पारित होने से रोक लिया गया। तथा इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना सं0 229 दिनांक 8.12.10 द्वारा सचिव को करवाया गया, जिस का ब्यौरा इस प्रकार से है :–

d0 l0	v/;kid dk uke o irk	dsUnz dk uke tgka fu;fDr dh xbZ l=	vfu;fer Hkqxrku
1.	रक्षा राठौर, ड्राईंग मास्टर, रा0व0मा0पा0 घिरथोल जिला कांगड़ा	मार्च, 09 रा0व0मा0पा0 उतपुर जिला मण्डी	2150
2.	श्री सन्देष कुमार टीजीटी (साईंस) रा0व0मा0पा0 खुन्गन फाहल, जिला हमीरपुर	मार्च,08 रा0मा0पा0 पोलवीं जिला हमीरपुर	1448.00
3.	श्री सतीष कुमार, रा0व0मा0पा0 कपाहड़ा जिला बिलासपुर	मार्च, 08 रा0मा0पा0 पोलवीं जिला हमीरपुर	2590.00
		dqy ;ksx	6188-00

52 y?kq vkifÙk fooj.kh dk %&

हिमाचल प्रदष स्कूल षिक्षा बोर्ड धर्मषाला के लेखाओं वर्ष 2010–11 का वार्षिक लेखा, ऑडिट टिप्पणियों सहित इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ बतौर परिषिष्ट 'ज' के रूप में संलग्न है।

53 fu"d"kZ %&

लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवष्यकता है। विषेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ वही अनुसार शेषों में गत कई वर्षों से चले आ रहे अन्तर के मिलान एवं अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विषेष ध्यान देने की आवष्यकता है ।

उप नियंत्रक(ले0प0) निवासी अंकेक्षण योजना, हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड, धर्मषाला	निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

(i) 25 o"kkZ l s vf/kd vof/k rd vfu.khZr py s vk jg s i Sjksa dk fooj.k %&

y s[kk ijh{kk i sfronu vof/k 9@69 l s 1984&85 rd

vof/k 9@69 l s 1971 rd

1.	पैरा 10	सितम्बर, 1969 में ₹41,403 / — की राषि जिसका विवरण पैरा में वर्णित है भारतीय स्टेट बैंक की विवरणी अनुसार जमा करवाए गए परन्तु सम्बन्धित रिकार्ड, जिससे राषि की सत्यता व किस उदेष्य से जमा करवाई गई थी की जांच नहीं की जा सकी थी। सम्बन्धित रिकार्ड अब प्राप्त कर व शेष की समाधान विवरणी तैयार कर लेखा परीक्षा को दिखाई जाए।
2.	पैरा 10—ए—(2)	दिनांक 7.10.69 को ₹3053.75 के विरूद्व ₹2493.75 व दिनांक 8.10.69 को ₹4438.95 के विरूद्व ₹5418.95 बैंक में जमा करवाये गये । इस प्रकार ₹560 / — कम जमा व ₹980 / — अधिक जमा की समाधान विवरणी अंकेक्षण को दिखाई जाए।
3.	पैरा 11	अलग—2 तिथियों की कुल राषि ₹28736-75 बैंक में जमा करवाने भेजे गये थे परन्तु 10 / 69 तक इन राष्यिों के क्रेडिट बैंक विवरणी में नहीं पाए गए दूसरी तरफ राषि ₹28267-50 के क्रेडिट बैंक द्वारा अलग—2 तिथियों के दिए गए परन्तु इन राषियों का मेल कैष बुक में दर्ज राषियों से नहीं हुआ। बैंक विवरणी में 10 / 69 से 1 / 70 तक दिए गए क्रेडिट व डेबिट प्रविष्टियों की समाधान विवरणी तैयार कर लेखा परीक्षा को दिखाई जाए।
4.	पैरा 13	बोर्ड विनियमन, 1968 की धारा—22 अनुसार बिना सेवा शर्तें निर्धारित किए सचिव हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड की नियुक्ति करने पर माह 9 / 69 से 12 / 69 तक कुल ₹4440 / — का वेतन आहरण किया। जबकि बिना सेवा शर्तें वेतन अहरण करना अनियमित था। इस सम्बन्ध में सरकार / बोर्ड का निर्णय शीघ्र लेकर दिखाया जाए।
5.	पैरा 13(3)	राषि ₹1610 / —लेवर हास्टल विल्डिंग षिमला की मुरम्मत, सफेदी व रंग रोगन करवाने पर व्यय की गई जबकि यह भवन मयुनिसिपल कारपोरेषन षिमला से किराए पर लिया गया था तथा मुरम्मत, तोड़—फोड़ व रंग रोगन करवाने का खर्चा भवन मालिक द्वारा किया जाना था। इस प्रकार जब भवन के किराए की अदायगी की जानी थी तो उक्त ₹1610 / — की मांग भी उनसे की जानी थी। अतः ₹1610 / — की वसूली नगर निगम षिमला से की जाए।
6.	पैरा 13—10	मैसर्ज कैपिटल स्टेषनरी वर्क्स यमुनानगर को वाउचर संख्याः 5, 1 / 70 द्वारा राषि ₹35,640 / — का पार्ट भुगतान उत्तर पुस्तकाओं व अनुवर्ती शीटस की आपूर्ति हेतु दी गई। अंकेक्षण के दौरान उक्त वस्तुओं की आपूर्ति चली हुई थी। उक्त फर्म का अन्तिम भुगतान का समायोजन, स्टॉक रजिस्टर जिससे उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति व खारिज की जांच हो, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए जाएं। सचिव, द्वारा वर्ष के दौरान कुल ₹80,280 / — बोर्ड निधि से गुप्त निधि के लिए अहरण किए जबकि वर्ष 1969—70 के बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। वर्ष 1969—70 से सम्बन्धित बजट प्रावधान लेखा परीक्षा में दिखाए जाएं।

7.	पैरा 9	रोकड़ वही का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे।
8.	पैरा 15	आन्तरिक शुल्क निर्धारण जो विद्यार्थी से नौवीं, दसवीं व ग्यारहवीं कक्षा में पदोन्नत व फेल होने के कारण वसूला गया इससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत करने बारे ।
9.	पैरा 19(ए)	हिमाचल प्रदेष के नये क्षेत्रों में वर्ष 1969–70 में संचालित विभागीय परीक्षा से सम्बन्धित प्रवेष शुल्क आंषिक रूप में जिला षिक्षा अधिकारी कांगड़ा, कुल्लू और षिमला द्वारा प्राप्त करके सीधे ट्रेजरी के माध्यम से सरकारी कोष में जमा करवाया गया जबकि कुछ स्कूलों के मुखिया द्वारा उक्त शुल्क सीधे बोर्ड को प्रेषित किया गया। जैसा कि वर्ष 1969–70 की विभागीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की गई थी इसलिए वर्ष 1969–70 में जितनी फीस सरकारी खजाने में जमा करवाई गई थी की सूचि बनाकर उस राषि का प्रत्यपर्ण राजकीय कोष से लिया जाना सुनिष्चित किया जाए।
10.	19 (बी)	अवधि 5.9.1969 से 15.10.1969 तक प्राप्त शुल्कों के लिए मुद्रित रसीदें जारी करने की अपेक्षा टंकित रसीदें जारी की गई बताई परन्तु इनकी अनुलिपि रसीदें अभिलेख में नहीं रखी गई हैं। इसलिए जो फीस प्राप्त की व शेष फीस की सत्यता की जांच विभागीय तौर पर की जाए।
	<u>vof/k 1971&72</u>	
1.	पैरा 13	केन्द्र अधीक्षकों, परीक्षकों व बोर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राषि ₹7,15,153/– का असमायोजित होना।
2.	पैरा 14(ए)	450 परिणाम गजट मुद्रित करवाने के आदेष मैसर्ज आधुनिक प्रिन्टर्ज, जालन्धर को वर्ष जुलाई, 1971 की परीक्षा से सम्बन्धित दिया गया इनके मुद्रण पर कुल खर्च ₹16500/– आया था परन्तु विक्रय करने पर बोर्ड को कुल ₹8950/– की आय हुई । इस प्रकार बोर्ड को ₹7550/– की हानि हुई। बोर्ड से अनुरोध है कि या तो उक्त हानि को बटटे खाते में डाला जाए या उक्त हानि की भरपाई का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।
3.	पैरा 19	अप्रैल, 1971 तक (प्रवासी लेखा परीक्षा योजना के शुरू होने से पूर्व) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों/अधिकारियों को अवकाष अवधि का वेतन अंषदान भी बोर्ड द्वारा किया गया। इस तरह अनियमित भुगतान की बसूली का अनुरोध ऑडिट अधियाचना संख्याः 108 दिनांक 16.3.1972 द्वारा किया गया था।
4.	पैरा 20	चार लाख रूपये की राषि वर्ष 1970–71 व 1971–72 के बजट अनुमान अनुसार बोर्ड ने मिडल परीक्षा के संचालन के लिए प्राप्त किए जाने प्रस्तावित थे परन्तु मिडल परीक्षा से संचालित प्राप्त शुल्क जो राजकीय कोष में जमा करवाया गया था को प्रत्यपर्ण करवाकर बोर्ड निधि में जमा करवाया जाए।
5.	पैरा 21(ए)	वास्तविक रूप में प्राप्त 398018 उत्तर पुस्तिकाओं की अपेक्षा 4,00,000 उत्तर पुस्तकाओं की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में बिना रसीद के करने बारे।
6.	पैरा 21 (बी)	मैसर्ज नैषनल स्टेषनर्स ने 16500 उत्तर पुस्तिकाएं व 8000 अनुवर्ती शीटस

		कम आपूर्ति करने की कीमत ₹2009.70 व उक्त आपर्ति की अधिक संख्या स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने की जांच बोर्ड प्रषासन द्वारा सुनिष्चित करने बारे।
7.	पैरा 21(सी)	दो मास के डाक टिकटों के लेखे की जांच में ₹195.10 की त्रुटियां पाई गई जिसका समाधान आपेक्षित है ।
8.	पैरा 25	बोर्ड के ससवबंजमम कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की अदायगी मूल वेतन जमा डी.पी. के 25 प्रतिषत की दर से की गई जबकि बोर्ड के अन्य कर्मचारियों को 5 प्रतिषत की दर से हि0 प्र0 सरकार के आदेषों से की गई। बोर्ड प्रषासन से अनुरोध किया गया था कि allocated कर्मचारियों को कुछ जायज दर से मकान किराया भत्ता की अदायगी की जाए परन्तु कोई कार्रवाई की गई प्रतीत नहीं होती है ।
	vof/k 1972&73	
1.	पैरा 13 (सी)	फरवरी, 1970 में मिडल परीक्षा के संचालन हेतु ₹10200/– की अग्रिम राषि जिला षिक्षा अधिकारी धर्मषाला को केन्द्र अधीक्षक व अन्य स्टाफ को भुगतान हेतु दी गई परन्तु राषि का समायोजन अभी लम्बित है।
2.	पैरा 13 डी	श्री खूब राम ठाकुर जो मैट्रिक परीक्षा सितम्बर, 1971 में केन्द्र अधीक्षक षिमला–3 में तैनात थे, का यात्रा भत्ता दावा राषि ₹279.15 अवधि 27.9.1971 से 30.10.71 तक जाली था जिसकी वसूली आडिट अधियाचना संख्याः 62 दिनांक 7.8.1972 के बाबजूद नही की गई ।
3.	पैरा 14	मैसर्ज नैषनल ट्रेडर्ज दिल्ली द्वारा 13819 उत्तर पुस्तकाएं कम आपूर्ति करने का मामला ऑडिट अधियाचना संख्याः 100 दिनांक 21.2.1973 के द्वारा बोर्ड प्रषासन के ध्यान में लाया गया था ।
4.	पैरा 16(ए)	परीक्षा में तैनात स्टॉफ द्वारा अकारण परीक्षा केन्द्रों में ठहराव बारे ।
	16 (बी)	उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
	16 (सी)	फिजूल खर्चे को रोकने बारे ।
5.	पैरा 17(2)	बोर्ड की गाड़ियों पर पैट्रोल, मुरम्मत व रख–रखाव पर ₹10001 अधिक खर्चा करने बारे ।
6.	पैरा 18	डाक व्यय पर वर्ष 1972–73 में ₹106200/– खर्चा हुआ जबकि बजट प्रावधान ₹72000/– था । अतः पुनर्विनियोजन बोर्ड द्वारा बांछित है ।
7.	पैरा 19	वर्गीकृत आय व व्यय रजिस्टर का पूरा रख–रखाव न करने बारे जैसा कि बोर्ड विनियमन के पाठ–5 के नियम–10 में प्रावधान था । बोर्ड प्रषासन इन रजिस्टरों का रख–रखाव नियमानुसार करें व बजट प्रावधान से अधिक व्यय का पुनर्विनियोजन करवाया जाए ।
8.	पैरा 22	बैंक विवरणियों में ₹20963.75 की डेबिट प्रविष्टियों का पाया जाना ।
	vof/k 1973&74	
1.	पैरा 4(ए)	दिनांक 31.3.73 को अन्तिम शेष व दिनांक 1.4.73 को प्रारम्भिक शेष के अन्तर का मिलान नहीं किया गया है ।
2.	पैरा 16(ए)	मिडल परीक्षा के बंद होने के कारण बोर्ड कार्यालय के कार्य में कमी के कारण सर्टिफिकेट टाईप, चैकिंग, व अतिरिक्त समय भत्ता दिए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है ।
3.	पैरा 16 (बी)	पर्यवेक्षकों के गलत यात्रा भत्ता दावों को स्वीकृत करने पर कोई औचित्य स्पष्ट करने/कार्रवाई न करने बारे ।

4.	पैरा 16 (डी)	भराड़ी परीक्षा केन्द्र में डियूटी देने से सम्बन्धित दावा जो श्री रसील सिंह ने प्रस्तुत किया था, गलत तथ्यों पर आधारित था ।
5.	पैरा 16 (एफ)	मिडल परीक्षा को संचालित करने के लिए जो पर्यवेक्षकों की नियक्ति के मानदण्ड निर्धारित किए थे लेखा परीक्षा को नहीं दिखाए गये ।
6.	पैरा 18–1	बोर्ड ने स्टॉफ कार प्रयोग के लिए न अपने नियम बनाए न ही हि0 प्र0 सरकार के नियम अपनाए हैं ।
7.	पैरा 18–2	प्राईवेट उदेष्य हेतु की गइ्र यात्राओं की वसूली नहीं की गई ।
8.	पैरा 19–ए	बार–2 अनुरोध करने पर भी allocated कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बहाल रखने से सम्बन्धित संचिका लेखा परीक्षा में नहीं दिखाई गई ।
9.	पैरा 20	बोर्ड कर्मचारियों के न तो भविष्य निधि खाते सही ढंग से बनाये गये हैं और न ही ब्याज दर व ब्याज राषि जो उनके खातों में क्रेडिट की है, बारे निर्णय लिया गया है ।
10.	पैरा 21(ए से डी)	9/72 में संचालित परीक्षा से सम्बन्धित मांग शीटस, भुगतान अभिलेख, वाउचर व प्रवेष पत्रों को बेचने सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया ।
11.	पैरा 21–ई	पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित आवेदन प्रपत्रों से सम्बन्धित संचिका लेखा परीक्षा को न दिखाए जाने बारे ।
12.	पैरा 22	न तो कैष बुक में अवधि जनवरी, 1972 से आगे पाई गई त्रुटियों का समाधान किया गया न ही जनवरी, 1973 के बाद मासिक समाधान विवरणी तैयार की जा रही है ।
13.	पैरा 23	गुणन चिन्ह चैकों की वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें न लेने के कारण स्पष्ट किए गए न ही वास्तविक रसीदें न लेने के आदेष दिखाए गए ।
14.	पैरा 24	सर्विस सटैंप लेखा में अवधि 6/72 से 3/73 तक पाई गई विसंगतियों का कोई समाधान नहीं किया गया तथा ₹37864.35 की स्टैंपस विभिन्न बोर्ड शाखाओं को जारी की गई दर्षाई है जबकि इनकी खपत के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।
15.	पैरा 25	बोर्ड निधि से सम्बन्धित बैंक खातों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थानान्तरित नहीं किए गए ।
16.	पैरा 26	वर्गीकृत आय व व्यय के रजिस्टर पूर्ण रूप में तैयार नहीं किए गए हैं । दोनों रजिस्टर अब पूर्ण रूप में तैयार किए जाए व बजट से अधिक किए गए व्यय को पुनर्विनियोजन किया जाए ।
17.	पैरा 27	बोर्ड के लेखा का तुलना–पत्र तैयार नहीं किया गया जिसे तैयार किया जाए ।
18.	पैरा 28	निवेश रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र पर तैयार नहीं किया गया है ।
	vof/k 1974&75	
1.	पैरा 10	5155 व 1485 विभिन्न कक्षाओं के प्रवेष फार्म विक्रय करने के ऐवज में प्राप्त राषियों का क्रेडिट विवरण बोर्ड निधि में नहीं पाया गया ।
2.	पैरा 11	वर्ष 1969 से 1973 तक मुल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को रददी के रूप में न बेचने बारे ।
3.	पैरा 14–1	मैट्रिक मार्च, 1974 की परीक्षा में शाहपुर केन्द्र में दूसरा उप अधीक्षक नियुक्त करने का उत्तरदायित्व न निर्धारित करने बारे।

4.	पैरा 14—2	यात्रा भत्ता राषि ₹82.90 व ₹78/— जो अनियमित तौर से क्रमषः श्री रत्न चन्द अधीक्षक व श्री अषोक कुमार को अदा की गई थी की वसूली नहीं की गई है ।
5.	पैरा 14—3	मै0 षिमला टाईपराईटर से जो किराये पर टाईपिंग मषीन ली गई थी के पूर्जों को नुकसान पंहुचाने के एवज में ₹ 129.25 का उत्तरदायित्व न निर्धारित करने बारे ।
6.	पैरा 12	पंजाब यूनिवर्सिटी से आए कर्मचारियों द्वारा लिए गए गेहूं ऋण की वसूली वित्तीय वर्ष 1973—74 व 1974—75 में न करने तथा ऋण माफ की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से न लेने बारे ।
7.	पैरा 15	नजदीक स्थानों से परीक्षाओं के संचालन हेतु स्टॉफ नियुक्त करने पर विचार न करने बारे ।
8.	पैरा 16.	रोकड़ बही के अन्त शेष व बैंक पासबुक के अन्त शेषों का मिलान वर्ष 1974—75 के दौरान न करने बारे ।
	vof/k 1975&76	
1.	पैरा 9	न तो लेखा अभिलेखों के रख—रखाव, भुगतान, प्रचलन, अग्रिम समायोजन, उपयोगिता प्रमाण—पत्र के बारे में नियम निर्धारित किए गए थे न ही राषि ₹12,99,498.25 गोपनीय निधि में स्थानान्तरित करने का उपयोगिता प्रमाण—पत्र लेखा परीक्षा में दिखाया गया ।
2.	पैरा 12—2	अनियमित रूप में अर्ध—वेतन अवकाष स्वीकृत करने के एवज में कोई वसूली नहीं की गई है।
3.	पैरा 12—3	श्री आर.एस.सनौरिया उप—परीक्षक को ₹3/— व 50 पैसे श्री बी0 आर0 शर्मा को किए गए अधिक भुगतान की वसूली न करने बारे ।
4.	पैरा 12—4	डुपलिकेटिंग मषीन की मुरम्मत पर किए गए खर्च ₹230.40 की वसूली न करने बारे जबकि उक्त राषि का मै0 शौरी डूपलिकेटर द्वारा भुगतान किया जाना था ।
5.	पैरा 12—5	₹21/— की छूट जो मैसर्ज आजाद बुक दिल्ली द्वारा दी गई थी की हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित न करने बारे।
6.	पैरा 12—6	उपयोग में न लाए गए प्रषन—पत्रों जो पेपर—सैंटरों ने तैयार किए थे का निपटान न करने व राषि ₹9/— जो श्रीमति कमला शर्मा उप—परीक्षक को की गई का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
7.	पैरा 12—8	श्री मनोहर लाल ठाकुर का विवाधित अतिरिक्त समय भत्ता की जांच न करने बारे ।
8.	पैरा 12—9	श्री के0के0 कपूर से यात्रा भत्ता दावों राषि ₹68.35 व 60.95 की वसूली न करने बारे ।
9.	पैरा 12—10	श्री मोहन लाल मैहता को यात्रा भत्ता दावा राषि ₹65.20 की वसूली हरियाणा बोर्ड से न करने बारे ।
10.	पैरा 12—11	त्रिवेणी भवन मालिक से पानी के बिल राषि का 25 प्रतिषत ₹68.53 की वसूली न करने बारे। पानी के बिल का भाग जो भवन खाली करने तक मालिक द्वारा वहन किया जाना था की गणना नहीं की गई है जिसे करने उपरान्त वसूली की जाए ।
11.	पैरा 13—2	दसवीं/वरिष्ठ कक्षाओं की 500 प्रतियां पाठयक्रम विक्रय सम्बन्धी अभिलेख

		का प्रस्तुत न करने बारे।
12.	पैरा 14	रोकड़ शेष का बैंक अन्तिम शेष के साथ समाधान न करने बारे।
13.	पैरा 16	बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रकाषकों से प्राप्त Royalty का अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।
14.	पैरा 17	पैरा में वर्णित भुगतानों के समर्थन में आवष्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।
15.	पैरा 18	हि0 प्र0 सरकार के नियमों को बोर्ड कर्मचारियों के लिए यथावत लागू करने बारे ।
16.	पैरा 19	अध्यापक कल्याण निधि में वर्ष 1975–76 से पूर्व कोई राषि जमा न करवाने बारे तथा वर्ष 1975–76 में इस निधि में अध्यापक व बोर्ड अंषदान राषि मु0 ₹28445.60 में सरकार से कोई अंषदान प्राप्त न करने बारे।
17.	पैरा 20	भविष्य निधि खातों, रोकड़ बही व व्यक्तिगत खातों का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे।
18.	पैरा 21	बोर्ड आय व व्यय के वर्गीकृत रजिस्टर न बनाने बारे तथा अनुमानित बजट प्रावधानों से अधिक किए गए व्यय को Re-appropriation करवाने बारे।
19.	पैरा 22	बोर्ड प्रषासन द्वारा वर्ष 1975–76 का तुलना–पत्र तैयार न करने बारे तथा सरकार को प्रेषित करने बारे।
20.	पैरा 23	बोर्ड द्वारा वर्ष 1972–73, 1973–74 व 1975–76 से सम्बन्धित निवेष रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारे।
	vof/k 1976&77	
	Hkkx&2	
1.	पैरा 12–1	टाईप राईटर की मुरम्मत में ₹165.50 का पुर्जा जो गुम हो गया था को डलवाने का उत्तरदायित्व निर्धारण बारे।
	पैरा 12–2	मैसर्ज आजाद ला बुक वाईडिंग जालन्धर के बिल राषि ₹3592 पर 1 प्रतिषत छूट यदि भुगतान समय पर किया जाता तो ₹35.92 की छूट का फायदा न उठाने बारे।
	पैरा 12–3	मै0 कर्म चन्द थाप्पर ब्रदर्स चण्डीगढ़ को समय पर भुगतान न करने के कारण ₹34 / – की छूट की हानि की वसूली बारे ।
	पैरा 12–4	एक परीक्षक व पेपर सैंटर के प्रस्तुत दावों की जांच में जो पेपर उपयोग नहीं किए गए उनकी Disposal से सम्बन्धित अभिलेख न दिखाए जाने बारे।
	पैरा 12–5	₹1904.68 के बिजली बिल बारे।
	पैरा 12–6	उत्तर पुस्तिकाओं की ढुलाई से सम्बन्धित किराये व भाड़े बिलों बारे।
	पैरा 12–7	बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों / अधिकारियों को अवकाष अवधि का वेतन उनके पैतृक विभाग द्वारा किया जाना था परन्तु उनका भुगतान बोर्ड निधि से किए जाने बारे ।
	पैरा 12–8	बोर्ड को ₹563.92 की हानि से बचाने बारे व आन्तरिक जांच सुदृढ़ करने बारे ।
	पैरा 12–9	बोर्ड द्वारा सीसल होटल का हिस्सा कार्यालय प्रयोगार्थ लेने के कारण बिजली के बिल के भुगतान बारे ।

2.	पैरा 13–1	बोर्ड के गठन से लेकर बोर्ड द्वारा अनेक प्रकार के टायर गाड़ियों के लिए क्रय किये जाते रहे हैं परन्तु उनकी Disposal से सम्बन्धित अभिलेख को न दिखाये जाने बारे ।
	पैरा 13–2	बोर्ड द्वारा मुल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की Disposal बोर्ड के गठन से लेकर न दिखाये जाने बारे ।
	पैरा 13–3	प्रवेश पत्रों की विक्रय से सम्बन्धित अभिलेख न प्रस्तुत करने बारे
	पैरा 13–4	बोर्ड कार्यालय द्वारा अनेक पुराने समाचार पत्रों की Disposal से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 13–5	बोर्ड द्वारा अनेक पत्रिकाएं भी लगवाई गई हैं परन्तु इनकी Disposal से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
3.	पैरा 14	अध्यापक कल्याण निधि में अध्यापक बिलों से 1 प्रतिषत की कटौती व बराबर हिस्सा बोर्ड द्वारा डाला जा रहा है परन्तु बराबर हिस्सा सरकार से प्राप्त न होने बारे ।
4.	पैरा 15	बोर्ड द्वारा अनेक पत्रिकाएं भी लगवाई गई हैं परन्तु इनकी Disposal से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
5.	पैरा 16	शिक्षा विभाग हि0 प्र0 से आए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को राषि ₹1171.45 अवकाष वेतन की अदायगी बोर्ड निधि से की गई जबकि उक्त अदायगी का प्रत्यर्पण हि0 प्र0 सरकार षिक्षा विभाग द्वारा किया जाना शेष है।
6.	पैरा 17	आन्तरिक निर्धारण शुल्क पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा बोर्ड को न दिए जाने बारे
7.	पैरा 18–ए	मुख्य/उप–परीक्षकों के फुटकर विपत्रों की, जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं बारे ।
	पैरा 18–बी	बोर्ड की गाड़ी नं0 एच0पी0जी–3442 की मुरम्मत बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए करवाने बारे ।
8.	पैरा 19	रोकड़ वही के बैंक समाधान बारे ।
9.	पैरा 20	वर्गीकृत आय व व्यय के रजिस्टर बोर्ड अधिनियम–10 पाठ–5 अनुसार न रखने बारे ।
10.	पैरा 21	वर्ष 1976–77 का तुलना–पत्र न तैयार करने बारे ।
	<u>vof/k 1977&78</u>	
1.	पैरा 4	अंकेक्षण फीस की शेष राषि ₹3598.40 का सरकार खजाने के शीर्ष 065 में जमा न करवाये जाने बारे ।
2.	पैरा 12–ए	उत्तरपुस्तिकाओं की ढुलाई पर अनियमित रूप से खर्च की गई राषि ₹683. 40 की वसूली न तो फर्म से न ही सम्बन्धित कर्मचारी से की गई ।
	पैरा 12–बी	श्री आर.के मलिक (पूर्व सचिव) व श्री देवी राम चालक से निजि यात्रा करने के एवज में निर्धारित दर से वसूली न करना ।
	पैरा 12–डी	मार्च व जून, 1977 में पेपर सैंटर द्वारा जो पेपर सैट किए थे, के निपटान बारे ।
	पैरा 12–ई	कोर्ट के निर्णय अनुसार कार्रवाई करके राषि ₹281.50 व ₹604.10 की ठेकेदार से वसूली करने बारे ।
	पैरा 12–एफ	श्री काला राम (पूर्व चपड़ासी) को दी गई छुटटी के वेतन की अधिक राषि की वसूली बारे ।
	पैरा 12–जी	श्री रोड़ा राम (चपड़ासी) को दिनांक 12.7.65 से 10.9.69 तक देय सेवा

		निवृति उपदान की राषि का पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 12—एच	अवधि 23.9.1977 से 20.10.1977 तक बिजली के बिल में सम्मिलित ओवरसियर खर्चे के रूप में ₹62.20 का विस्तृत विवरण बिजली विभाग से प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 12—आई	अध्यक्ष द्वारा बोर्ड अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार प्रिंसिपल गर्वनमैंट कालेज चम्बा को परीक्षा हाल की मुरम्मत हेतु दी गई ₹100/— की अग्रिम राषि का समायोजन अभी शेष है ।
	पैरा 12—जे	श्री विरेन्द्र कुमार, (क्लर्क) व श्री षिव चनण (क्लर्क) को देय निर्वाह भत्ते की नियमानुसार छः मास की अवधि पष्चात समीक्षा न करने तथा बोर्ड द्वारा स्वीकृत पदो के स्केल व श्रेणी संख्या दर्षाने हेतु फलाई लीफ को तैयार करने बारे ।
	पैरा 12—के	टेलीफोन बिलों को सम्बन्धित अधिकारियों से सत्यापित न करवाना व निजि कॉल यदि कोई की गई थी पर खर्च राषि को बोर्ड निधि में जमा न करवाने बारे। टेलीफोन स्थानान्तरण पर खर्च की गई राषि ₹100/— हेतु अध्यक्ष की स्वीकृति लेने बारे।
3.	पैरा 13	बोर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों को भूमि क्रय व गृह निर्माण हेतु बोर्ड निधि से अग्रिम/लोन राषि बारे यह प्रमाण देने, कि क्या उन द्वारा उक्त राषि का भुगतान लेने उपरान्त जमीन वास्तव में 3 महीने के भीतर खरीदी गई थी, का लिया जाना आपेक्षित है ।
4.	पैरा 14	स्थानीय क्रय की गई वस्तुओं जिसका मूल्य दर सूची/टैण्डर किए बिना ₹100/— से अधिक नहीं था यह सुनिष्चित करने के लिए कि वस्तु की कुल कीमत वर्ष भर ₹2000/— से अधिक नहीं है के लिए अभिलेख तैयार न करने बारे ।
5.	पैरा 15—ए	बोर्ड के गठन से ही क्रय किए गए पुराने पहिए व टयूब के निपटारे बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।
	पैरा 15—बी	भण्डारण की गई पुरानी अखवारों के निपटारे बारे अंकेक्षण को न बताये जाने बारे ।
	पैरा 15—सी	प्रवास प्रमाण—पत्र व नाम बदलने हेतु ली गई फीस से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को न दिखाने बारे ।
	पैरा 15—डी	उप सचिव (परीक्षा) को जारी किए गए प्रवेष पत्र के निपटारे बारे न बताया जाना ।
	पैरा 15—ई	गुप्त निधि से एक अंगीठी, एक पतीला व एक कढ़ाई की कीमत सामान्य निधि को स्थानान्तरिण करने बारे ।
	पैरा 15—एफ	प्रतिनियुक्ति पर आए अध्यापकों को बोर्ड निधि से भुगतान की गई छुटटी के वेतन की राषि ₹2321.95 की षिक्षा विभाग से वसूली करने बारे।
6.	पैरा 18	वर्ष 1977—78 से सम्बन्धित भविष्य निधि के लेखों का पूर्ण न होना।
7.	पैरा 20	वर्गीकृत आय व व्यय रजिस्टर को पूर्णतय तैयार नहीं करना। बजट से अधिक व्यय का नियमित रूप से पुनविनियोजन करना।
8.	पैरा 21	वर्ष 1977—78 के लिए बोर्ड के लेखों का तुलना पत्र तैयार न करना।

	vof/k 1978&79	
1.	पैरा 4	अंकेक्षण फीस की शेष राषि ₹3598.40 का सरकारी खजाने में जमा न होने बारे।
2.	पैरा 6	अप्रयुक्त अनुदान के शेष को न तो सरकार को वापिस किया गया न ही इसे अनुवर्ती वर्षों में उपयोग करने हेतू उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली गई।
3.	पैरा 7	बोर्ड प्रषासन द्वारा वर्ष 1978–79 में इण्डियन बैंक में सावधि जमा के विरूद्व मु0 ₹10,65,500/– ऋण की राषि का कैष बुक में दर्ज न किया जाना।
4.	पैरा 8	आय की बकाया राषि का विवरण लेखा शाखा में उपलब्ध न करवाने बारे
5.	पैरा 12–सी	बोर्ड प्रषासन द्वारा मु0 ₹14,51,750.00 का कागज खरीदने के लिए दी गई अग्रिम राषि का समायोजन न किया जाना।
	पैरा 12–एफ	विभिन्न प्रकार के रजिस्टरों को तैयार न करने बारे ।
6.	पैरा 13–ए	सेवा पंजिकाओं के प्रारम्भिक पृष्ठों पर की गई प्रविष्टियां न तो अनुप्रमाणित है व न ही इन सेवा पंजिकाओं पर कर्मचारियों/अधिकारियों के हस्ताक्षर लिए गए हैं। जिसे यथाषीघ्र किया जाना सुनिष्चित किया जाए।
	पैरा 13–बी	इन तथ्यों की छानबीन न करना कि अधीक्षक पद को दिनांक 9.11.1976 से स्वीकृत वेतनमान षिक्षा विभाग में कार्यरत अधीक्षक के वेतनमान से अधिक तो नहीं है।
	पैरा 13–सी	मकान किराया प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देना तथा कर्मचारी जिन्हें बोर्ड द्वारा आवास उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद इन्हें मकान किराया भत्ता दिया गया परन्तु किराया वसूल करने बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
	पैरा 13–डी	कैन्टीन ठेकेदार से प्रतिभूति, किराया, पानी व बिजली के खर्चे की वसूली करने बारे ।
	पैरा 13–ई	श्री षिव राम ठाकुर (क्लर्क) व श्री सतीष ब्यास (क्लर्क) का बोर्ड की सेवा से त्याग पत्र देने उपरान्त उत्सव अग्रिम राषि, गर्म वस्त्र अग्रिम राषि व अंषदायी भविष्य निधि अग्रिम राषि की वसूली बारे अंकेक्षण को नहीं बताया जाना ।
	पैरा 13–एफ	अपेक्षित दस्तावेजों रोजगार, मकान किराया भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता को प्रस्तुत किए बिना ही श्री विरेन्द्र कुमार व श्री षिव चरण को गुजारा भत्ता देने तथा साथ ही इन कर्मचारियों से कोई ऋण/अग्रिम राषि तो देय नहीं है। प्रमाणित करने बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
	पैरा 13–जी	बोर्ड द्वारा स्वीकृत पदों का वेतनमान, संख्याः व श्रेणी दर्षाने हेतू फलाई लीफ नहीं बनाए गए ।
	पैरा 13–एच	अंशदायी भविष्य निधि के एक लेन देन पश्चात मांग व वसूली रजिस्टर में अतिषेष का न निकाला जाना।
	पैरा 13–आई	मासिक वेतन बिलों के साथ अनुपस्थिति विवरण का संलग्न न होना ।
	पैरा 13–जे	कर्मचारियों को नियमित छुटिटयों के दौरान वेतनवृद्वि देने का लाभ दिया जा रहा है जिसे कार्यग्रहण करने उपरान्त ही दिया जाना सुनिष्चित किया जाए ।
	पैरा 13–के	नियमित पदोन्नति आदेष जारी करने से पूर्व ही उच्च पदों का कार्यभार ग्रहण करने की प्रथा को समाप्त करने हेतू आवष्यक कार्रवाई करने बारे ।

	पैरा 13–एल	पंजाब यूनिवर्सिटी से आंबटित कर्मचारियों के दोहरे छुटटी के खातों, एक अवधि 16.10.75 व दूसरी अवधि 17.10.75 से आगे एक ही छुटटी के खाते को तैयार न करने बारे ।
	पैरा 13–एम	श्री कमल नैन (क्लर्क) के अर्धवेतन अवकाश के खाते को सही तरीके से नहीं निकाला गया है। उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 22.5.1974 व दिनांक 27.9.1974 से 30.9.1974 तक लिया गया अर्धवेतन अवकाष को न तो उसके खाते से डेबिट किया गया है न ही अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली की गई है ।
	पैरा 13–एन	श्री सनतन सिंह (सहायक सचिव) का सरकार से प्राप्त छुटटी के वेतन का अंषदान जो उनके बोर्ड की सेवा में स्थाई तौर पर आमेलित होने पष्चात खाते में जमा करवाया जाना था बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।
	पैरा 13–ओ	श्री आत्मा राम चौहान (क्लर्क) की कार्यग्रहण करने की तिथि व नियुक्ति आदेष जारी करने की तिथि में हुई विसंगति का समाधान करने बारे ।
	पैरा 13–पी	श्री तापिन्द्र सिंह, पूर्व बोर्ड अध्यक्ष से देय वसूल की जाने वाली राषि की न तो वसूली की गई है, न ही इसे बोर्ड निधि में जमा करवाया गया है।
	पैरा 13–क्यू	बोर्ड कर्मचारियों से गर्म वस्त्र पर ब्याज की राषि की वसूली देय नहीं है बारे सुनिष्चित नहीं किया गया ।
	पैरा 13–आर	श्री ठाकुर सिंह व श्री ओमप्रकाष दैनिक भोगी मिस्त्री व बिजली मिस्त्री की प्रगति रिपोर्ट का बिलों के साथ संलग्न न करने बारे
	पैरा 13–एस	श्री एल.आर. वैद्य (उप सचिव) के पक्ष में बकाया अग्रिम राषियों के समायोजन हेतू की गई कार्रवाई बारे अंकेक्षण को न बताया जाना।
7.	पैरा 14	दसवीं, हायर सकैण्डरी भाग–1 व भाग–2 की 1977, जून 1978, सितम्बर 1978 की परीक्षाओं हेतू नियुक्त अकेले परीक्षक (Single Examiner) के प्रषन पत्रों के निपटारे बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।
8.	पैरा 15	केन्द्रीय अधीक्षक द्वारा बोर्ड को किए गए नुक्सान ₹192.20 की भरपाई हेतू कोई कार्रवाई न करना।
9.	पैरा 16	बिलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने से पूर्व इन बिलों की सभी स्तरों पर उचित जांच न करने बारे।
10.	पैरा 17	स्टॉफ कार नियमों का सख्ती से पालन न करने व गाड़ियों का बारम्बार विभिन्न वर्कशाप में औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना मुरम्मत करने बारे
11.	पैरा 18	बोर्ड अधिकारियों द्वारा कार नं0 एचपीएस–1892 में की गई निजि यात्रा से सम्बन्धित वसूली बारे अंकेक्षण को न बताया जाना।
12.	पैरा 19	गाड़ी के पुराने व वेकार पहिये, अतिरिक्त पुर्जे जिन्हें स्टॉक में दर्ज किया जाना था के निपटारे बारे अंकेक्षण को नहीं बताया गया ।
13.	पैरा 20	बोर्ड अधिकारियों द्वारा गाड़ी नं0 एचपीएस–342 में की गई यात्रा को न तो उन अधिकारियों द्वारा लॉग बुक में सत्यापित किया गया है न ही उसकी वसूली बारे लेखा शाखा को बताया गया है
14.	पैरा 21	नवम्बर, 1978 में बाहन सं0 एचपीएस–1892 हेतू क्रय किया 320 लीटर पैट्रोल व उसका उपयोग करने उपरान्त शेष बचा 29 लीटर पैट्रोल को लॉग बुक में अगले महीने में नहीं उठाया गया व न ही 29 लीटर पैट्रोल की कीमत की वसूली करने बारे आवष्यक कार्रवाई की गई ।
15.	पैरा 22–2	मार्च 1977 में कक्षा दसवीं की साईस प्रैक्टिकल की परीक्षा के दौरान

		उपकरणों की टूट–फूट व उपयोग में लाए गए रसायन की कीमत बारे अनियमित रूप से किए गए दोहरे दावों बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
	पैरा 22–3	श्री अनिल कुमार दूबे सुपुत्र श्री फकीर चन्द दूबे का नवीं कक्षा का परीक्षा शुल्क ₹45 / –वापिस लौटाने हेतू दो बार प्रस्तुत किया गया, दावों का उत्तरदायित्व निर्धारित न करना।
	पैरा 22–4	श्रीमति हिमेष कान्ता सुपुत्री श्री राम नाथ पाठक का नवीं कक्षा का परीक्षा शुल्क ₹45 / –वापिस लौटाने हेतू दो बार प्रस्तुत किए गए दावों बारे उत्तरदायित्व निर्धारित न करना
16.	पैरा 23	मई 1977 की टी0टी0सी0 की प्रैक्टिकल परीक्षा हेतू एक की अपेक्षा तीन परीक्षकों के दावे प्रस्तुत करने के कारणों बारे अंकेक्षण को न बताया जाना
17.	पैरा 24–1	गवर्नमैंट हाई स्कूल बसदेहरा, जिला उना से मार्च, 1979 की आठवीं की परीक्षा हेतू देय बिलम्ब शुल्क ₹25 / –की वसूली न करने बारे ।
	पैरा 24–2	गवर्नमैंट हाई स्कूल सन्तोखगढ़ जिला उना आठवीं कक्षा की परीक्षा हेतू बिलम्ब शुल्क ₹5 / –प्रति उम्मीदवार के हिसाब से वसूलने बारे अंकेक्षण को नहीं बताया गया ।
	पैरा 24–3	गवर्नमैंट मिडल स्कूल बोहली, जिला सोलन से दिसम्बर, 1978 की आठवीं कक्षा की परीक्षा हेतू बिलम्ब शुल्क ₹5 / –प्रति उम्मीदवार के हिसाब से कुल ₹25 / –की वसूली बारे ।
	पैरा 24–4	गवर्नमैंट मिडल स्कूल कुण्डलु, जिला सोलन से मार्च, 1978 की आठवीं कक्षा की परीक्षा हेतू बिलम्ब शुल्क ₹5 / –प्रति उम्मीदवार के हिसाब से कुल ₹70 / –की वसूली करने बारे ।
18.	पैरा 25	आय से सम्बन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे
19.	पैरा 29	विभागीय स्तर पर निष्पादन किए जा रहे निर्माण कार्य हेतू नियमों व औपचारिकताओं का पूर्ण न करने बारे ।
20.	पैरा 30	बोर्ड के उपगृह में रह रहे कर्मचारियों / अधिकारियों, कैटीन ठेकेदार, पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा लिए जा रहे डिपोजिट कार्य हेतू उपयोग में लाए जा रहे पानी के खर्चों की वसूली न करने बारे
21.	पैरा 31	निरीक्षक स्टॉफ (पर्यवेक्षकों) की नियुक्ति दूर दराज के क्षेत्रों के बेरोज़गार लोगों में से करने पर यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता की अदायगी करने पर मितव्यतता नियमों की अनदेखी करने बारे।
22.	पैरा 32	बोर्ड की आर्थिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए भविष्य में परीक्षा संचालन हेतू दूर दराज के क्षेत्रों से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति न करने बारे ।
23.	पैरा 33	उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने व कुटेषन बुलाने से बचने के लिए क्रय करने हेतू आपूर्ति आदेषों को विभाजित करने बारे ।
24.	पैरा 34	बोर्ड प्रषासन द्वारा भण्डार में रखी वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाया जाना ।
25.	पैरा 35	नियन्त्रक स्टोर, हि0 प्र0 सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भण्डारण की जाने वाली वस्तुओं का खुले बाजार से क्रय किए जाने बारे ।
26.	पैरा 36	कर्मचारियों / अधिकारियों के यात्रा भत्ता बिलों को सत्यापित / प्रतिहस्ताक्षर करने हेतू बोर्ड प्रषासन द्वारा प्रेषित किए गए नियन्त्रक अधिकारी के कार्यालय आदेष की प्रतिलिपि अंकेक्षण में न प्रस्तुत करने बारे ।

27.	पैरा 37—ए	श्री कृष्ण चन्द (क्लर्क) द्वारा केन्द्रीय अधीक्षक रामपुर को देय अग्रिम राषि के बैंक ड्राफट के गुम हो जाने उपरान्त उस राषि का टी.एम.ओ. द्वारा भेजे जाने पर खर्च हुई राषि ₹12.80 की वसूली श्री कृष्ण चन्द क्लर्क से न करने तथा दोहरे भुगतान से बेचने हेतू गुम हुए बैंक ड्राफट को रदद् करने बारे कोई कार्रवाई न करना ।
	पैरा 37—बी	डैमेज खर्चो के भुगतान बारे कोई उत्तरदायित्व निर्धारित न करना व न ही इन खर्चों की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से करना।
	पैरा 37—डी	सचिव बोर्ड द्वारा डेमूरेज खर्चों की स्वीकृति वार्षिक आधार पर ₹25/—तक ही दी जाती है। यह जानने के लिए कि वित्तीय वर्ष 1978—79 में इन खर्चों की स्वीकृति ₹25/—से अधिक तो नहीं हुई है की जांच करने हेतू लेखों को तैयार नहीं किया गया है ।
	पैरा 37—ई	घटिया पुस्तकों के प्रकाषन उपरान्त बोर्ड प्रषासन द्वारा हिमाचल पब्लिकेषन कार्पोरेषन, लोअर बाजार, षिमला की न तो स्कयोरिटी जब्त की गई, न ही अनुबन्ध रदद किया गया व न ही उक्त फर्म पर कोई जुर्माना लगाया गया ।
	पैरा 37—एफ	केन्द्रीय अधीक्षक को आकस्मिक व्यय हेतू भेजी जाने वाली अग्रिम राषि को एक मुष्त न देकर किस्तों में एम.ओ. द्वारा भेजने पर हुए अतिरिक्त खर्चे के रूप में हुई हानि की न तो गणना की गई न ही इस बारे कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया ।
28.	पैरा 38	प्रश्न पत्रों की देरी से हुई प्राप्ति पर हुए खर्च की न तो गणना की गई व न ही इससे दोषी से वसूले जाने बारे कोई विचार किया गया ।
30.	पैरा 39	चैस्ट (तिजोरी) बुक को तैयार न करने बारे ।
31.	पैरा 40	स्थाई अग्रिम राषि देने उपरान्त एच.पी.एफ.आर. के नियम 2.8 (7) के अनुसार प्रमाण पत्र ने देने बारे ।
32.	पैरा 41	आय व व्यय रजिस्टर में बोर्ड द्वारा किए गये आर्थिक लेन देन का कार्यालय अध्यक्ष से अनुप्रमाणित न किया जाना ।
33.	पैरा 42	पिछले सात वर्षो से रोकड़ बही व बैंक विवरण का मिलान न करने बारे ।
34.	पैरा 43	वर्गीकृत आय व व्यय रजिस्टर का पूर्ण रूप से तैयार न करने बारे ।
35.	पैरा 44	बोर्ड के लेखों का तुलन पत्र न तैयार करने बारे ।
36.	पैरा 45	उत्तरपुस्तिकाओं के मुलयांकन व उससे सम्बन्धित कार्य हेतू निर्धारित पारिश्रमिक से अधिक यदि कोई भुगतान किया गया है से सम्बन्धित बांछित अभिलेख न दिखाया जाना ।
37.	पैरा 46	फर्म को कवर पेपर जारी करने उपरान्त चूंगी/ढुलाई के रूप में खर्च हुए ₹728/— की वसूली उक्त फर्म से न करने बारे ।
	vof/k 1979&80	
1.	पैरा 7	जरूरत से ज्यादा ऋण लेने की वजह से ज्यादा ब्याज दिया जाना जिससे बचा जा सकता था ।
2.	पैरा 8	प्राप्ति (आय) की बकाया राषि का विवरण बार—बार अनुरोध करने वावजूद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया ।
3.	पैरा 12—बी	वर्ष 1979—80 के दौरान मुद्रण हुई पाठय पुस्तकों हेतू प्रकाषक/प्रैस को

		जारी किए गए वाईट प्रिंटिंग पेपर को खरीदने/प्रेषण बारे अधिकारियों/फर्म को दी गई अग्रिम राषि ₹50,00,000/–(पचास लाख) के समायोजन हेतू बांछित लेखों को अंकेक्षण में न प्रस्तुत करने बारे ।
4.	पैरा 13–ए	सेवा पंजिकाओं का हि0 प्र0 वित्तीय नियम खण्ड 1 के नियम 7.14 के अनुसार तैयार व रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 13–बी	अस्थाई कर्मचारियों का छुटटी पर रहने के दौरान स्थानापन्न रूप में कार्य करने बारे प्रमाण पत्र व यह प्रमाण पत्र कि उक्त कर्मचारी सम्भवत उसी स्थान जहां से वह छुटटी पर गया है में हो सकता है को प्रस्तुत न करने व छुटटी की स्वीकृति देते समय अंकित न किए जाने बारे ।
	पैरा 13–डी	यद्यपि अधिनियम 1970 के नियम 4 अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों को हि0 प्र0 षिक्षा विभाग के वेतनमान प्रतिरूप ही वेतनमान दिया जाता है परन्तु उक्त नियम को संषोधित किए वगैर असिस्टैंट, सिनियर स्केल स्टेनोग्राफर चालकों को हि0 प्र0 सचिवालय के समान वेतनमान बारे।
	पैरा 13–ई(1)	मकान किराया भत्ते से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देना तथा कर्मचारी जिन्हें प्रषासन द्वारा आवास उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद इन्हें मकान किराया भत्ता दिया गया परन्तु किराया वसूलने बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
	पैरा 13–ई (2)	दिनांक 6 व 7 जुलाई 1971 को हुई बोर्ड मींटिगं के प्रस्ताव नं0 20 को निष्प्रभावित करते हुए अध्यक्ष बोर्ड द्वारा एक्ट के सेक्षन 19.3 के अधीन दिनांक 11.9.80 को पारित आदेष अनुसार आंबटित (Allocated) कर्मचारियों को दिनांक 1.12.79 से बढ़ी हुई दर से मकान किराया भत्ता दिया गया जिसे अंकेक्षण द्वारा अस्थाई तौर पर इस आष्य के साथ स्वीकार किया गया किस प्रकार से किए गए निर्णय को अगली बोर्ड मींटिंग में ले जाया जाए परन्तु इस बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
	पैरा 13–एफ	कोटषेरा भवन में चलाई गई कैन्टीन का किराया, पानी व बिजली के खर्चे, प्रतिभूति की वसूली कैन्टीन मालिक से करने बारे अंकेक्षण को नहीं बताया गया ।
	पैरा 13–जी	श्री विरेन्द्र कुमार को उनके केस की समीक्षा किए बिना जो नियमानुसार निलम्बन के छः मास गुजर जाने उपरान्त की जाती है। गुजारा भत्ता दिया गया तथा साथ ही उससे बांछित प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किए बिना उसे मकान किराया भत्ता व प्रतिपूर्ति भत्ता देना व उक्त कर्मचारी से ऋण/अग्रिम राषि की कोई वसूली नहीं है बारे कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे।
	पैरा 13–एच	संस्थापना जांच पड़ताल रजिस्टर का सही तरीके से तैयार व रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 13–जे	कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित छुटियों के दौरान वेतनवृद्दि का लाभ दिया जा रहा है जिसे कार्यग्रहण करने उपरान्त दिया जाना सुनिष्चित किए जाने बारे ।
5.	पैरा 14	शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च, 1980 में मण्डी, हमीरपुर, पपरोला, सोलन में पुस्तक विक्रय केन्द्र खोलने उपरान्त वहां पर तैनात किए गए अधिकारियों को मकान किराया भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता का षिमला में देय इन भत्तों के प्रतिरूप दिए जाने बारे ।
6.	पैरा 17	शिक्षा विभाग की अधिकारी श्रीमति सुन्दरी अग्निहोत्री जो वेतनमान

		1200–1700 पर कार्यरत थी की षिक्षा बोर्ड में असिस्टैंट सैक्रेटरी के पद पर प्रतिनियुक्त होने पर वेतनमान 700–1300 जो यू.जी.सी. वेतनमान व उन द्वारा लिए जा रहे वेतनमान से कम था दिया गया। परन्तु अंकेक्षण द्वारा बोर्ड प्राधिकारी से इस वेतनमान (1200–1700) को वैयक्तिक वेतनमान लेने हेतू सरकार व बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने बारे कहा गया। इस सम्बन्ध में सरकार से तो स्वीकृति ले ली गई परन्तु बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी जानी आपेक्षित है।
7.	पैरा 18	श्रीमति सुरेन्द्रा गुप्ता (क्लर्क) के पक्ष में स्वीकृत असाधारण अवकाष दिनांक 1.10.79 व 2.10.79 हेतू दिये गए वेतन की वसूली न करने बारे।
8.	पैरा 19	बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए भवनों, निर्माण कार्य, कैन्टीन हेतू उपयोग में लाए गए पानी के खर्चों की वसूली उपरोक्त से न करने बारे ।
9.	पैरा 20	रोकड़ बही व बैंक विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि इंडियन बैंक द्वारा कुछ ड्राफट को बोर्ड खातों में जमा करने उपरानत पुनः डेबिट किया गया। जो इन बैंक ड्राफटों का बैंक में अस्वीकार होना दर्षाता है। उपरोक्त ड्राफट बारे पता लगाना व इनका बोर्ड खातों में जमा करवाने बारे लेखा परीक्षा द्वारा बार–बार, कहने उपरान्त भी कोई कार्रवाई नहीं की गई
10.	पैरा 21	अप्रैल, 1979, मई, 1979 के व्यय रजिस्टर की जांच करने उपरान्त छात्रवृति के दोहरे भुगतान के रूप में दी गई राषि ₹3980.38 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी व छात्रों जिन्हें उक्त छात्रवृति का भुगतान किया गया है से न वसूलने बारे ।
11.	पैरा 23	बोर्ड कर्मचारी श्री देवराज क्लर्क द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं को कल्पा टापरी बस द्वारा छोड़ने पर ₹103/– व्यय आया जबकि बोर्ड की गाड़ी उसी दिन रामपुर के लिए परीक्षा सामग्री लेकर गई इस प्रकार समन्वय से कार्य न करने से बोर्ड निधि पर अनावष्यक बोझ पड़ने बारे ।
	पैरा 23–बी	परिस्थितियां जिस बजह से जून, 1979 में कुछ परीक्षा केन्द्रों में पुनः परीक्षा आयोजित की गई, बारे अंकेक्षण को न बताया जाना
	पैरा 23–सी	नूरपुर सैंटर में दिनांक 18.9.1979 को आयोजित आठवीं कक्षा की परीक्षा हेतू ड्राईगं व पैंटिंग के प्रष्नपत्र को ले जाने के लिए श्री विनोद कुमार शर्मा, क्लर्क को भेजा गया। किन परिस्थितियों के कारण विषेष कर्मचारी को सिर्फ एक प्रष्न पत्र लेकर भेजा गया का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बारे ।
12.	पैरा 24	सितम्बर, 1977 से सिसिल होटल षिमला के कमरा नं0 90 को ₹180 प्रति माह किराये के हिसाब से पुलिस द्वारा जब्त की गई रददी का भण्डारण करने हेतू लिया गया जबकि नियमानुसार जब्त की गई रददी के भण्डारण का उत्तरदायित्व पुलिस विभाग का है। इस प्रकार ₹180/–प्रतिमाह के हिसाब से उपरोक्त किराये की प्रतिपूर्ति उक्त विभाग से करने बारे ।
13.	पैरा 25	मार्च, 1979 की दसवीं, हायर सकैण्डरी भाग–2 की परीक्षा हेतू नियुक्त किये गए अकेले परीक्षक एवम् पेपर सेंटर के प्रष्न पत्रों के निपटारे बारे कोई कार्रवाई न करना ।

14.	पैरा 26	मार्च, 1979, मार्च, 1980 की परीक्षाओं के संचालन के लिए केन्द्रीय अधीक्षक को आकस्मिक व्यय हेतू भेजी जाने बाली अग्रिम राषि का एक मुष्त न देकर किष्तों में देना तथा बहुत से स्थानों पर बैंकिंग सुविधा होने के बावजूद उक्त राषि का एम0ओ0 द्वारा भेजने पर हुए अतिरिक्त खर्चे बारे आवष्यक पग न उठाना ।
15.	पैरा 27	दिनांक 1.1.78 से संषोधित वेतनमान देने पर श्री अषोक कुमार, क्लर्क द्वारा दिनांक 21.8.78 से 25.9.78 तक बकाया वेतन राषि हेतू बिल प्रस्तुत किया गया जबकि इस दौरान वह जांच आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर था, ऐसा उनकी निजि संचिका के अवलोकन करने पर पाया गया। हांलाकि अंकेक्षण द्वारा इस प्रकार दावा की गई अनियमित बकाया राषि का भुगतान नहीं किया गया। परन्तु भविष्य में आन्तरिक जांच व्यवस्था को सुदृढ़ करने बारे ।
16.	पैरा 28	श्री सनतन सिंह का सरकारी सेवा से बोर्ड की सेवा में स्थाई तौर आमेलित होने पर उनके खाते में जमा अर्जित अवकाष के वेतन की राषि का हिससा जो सरकार द्वारा देय है को सरकार से प्राप्त करने बारे ।
17.	पैरा 29	श्री बी. के. शर्मा, सचिव बोर्ड को दिनांक 3.7.78 से 24.4.79 तक स्थाई कमेटी की 59बीं मीटिंग में भाग लेने हेतू ₹1475/– शुल्क दिया गया। षिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र अनुसार उक्त शुल्क के एक तिहाई भाग को सरकार की समेकित निधि में जमा करवाया जाना था। परन्तु सरकार को देय इस शुल्क बारे लेखा शाखा को अवगत नहीं करवाया गया।
18.	पैरा 30	सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों/कर्मचारियों के छुटटी के वेतन का सरकार से न वसूलने बारे ।
19.	पैरा 32	मार्च, 1980 में आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा से सम्बन्धित रोल नं0 29702 से राषि ₹43.88 वसूलने बारे ।
20.	पैरा 34	प्रथम क्लास न्यायिक मैजिस्ट्रेट उना के कोर्ट में दर्ज केस जिसमें बोर्ड पार्टी ही नहीं था में उपस्थिति देने हेतू श्री विपिन कुमार, क्लर्क को यात्रा भत्ता के तौर पर दी गई राषि ₹74.95 की वसूली उक्त कोर्ट से न करने बारे ।
21.	पैरा 35	कुमारी पूनम शर्मा, पुत्री श्री बाबू राम शर्मा को सितम्बर, 1978 की परीक्षा में फेल घोषित किया गया। उत्तरपुस्तिका की पुनः जांच करने व अगली परीक्षा मार्च, 1979 में बैठने हेतू उन द्वारा बोर्ड खाते में ₹45/– जमा करवाए गए। परन्तु उत्तरपुस्तिका की पुनः जांच करने पर उन्हें पास घोषित किया गया। इस प्रकार उन द्वारा जमा करवाई गई राषि ₹45/– वापिस लौटा दी गई। क्या परीक्षक/समीक्षक जिसने उक्त उत्तरपुस्तिका की जांच की व जो इतनी बड़ी गल्ती को न पकड़ सके पर कोई जुर्माना लगाया गया या नहीं इस बारे अंकेक्षण को कार्रवाई करने उपरान्त अवगत करवाये जाने बारे ।
22.	पैरा 36	रेमिंगटन इंडिया लिमिटिड चण्डीगढ़ को दी गई अग्रिम राषि रूपये संख्याः ई/जी–14/डी–3 द्वारा वापिस प्राप्त कर लिया गया है परन्तु इस राषि का वापसी की प्रक्रिया बारे बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
23.	पैरा 37	मैसर्ज बिलासपुर इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली को 8 टन सफेद रियायती प्रिंटिंग पेपर की पूर्ति करने हेतू दी गई अग्रिम राषि ₹27690.40 की वसूली न

		करने बारे ।
24.	पैरा 40–ए	टेलीफोन नं0 2020 के बिल ₹2124/–को पूर्व अंकेक्षण हेतू लेखा परीक्षा षाखा में प्रस्तुत किया गया परन्तु इससे पूर्व के बिल की न तो विस्तृत जानकारी व न ही बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।
	पैरा 40–बी	सचिव महोदय के आवास पर स्थापित टेलीफोन नं 3848 से निर्धारित सीमा से अधिक की गई कॉलज़ बारे स्पष्टीकरण न देना ।
	पैरा 40–सी	खर्चों की किफायत करने हेतू सरकार द्वारा दिए गए निर्देष अनुसार प्रत्येक टेलीफोन के लिए अधिकतम कॉल निर्धारित करने टेलीफोन खर्चों को कम करने व कुछ टेलीफोन नम्बर से एस.टी.डी. सुविधा समाप्त करने की आवष्यकता बारे कहा गया परन्तु इस बारे कोई पग उठाए प्रतीत न होने बारे ।
25.	पैरा 41	गाड़ी नं0 एचपीएस–1892 की दिनांक 4/78 से 3/79 तक की लॉग बुक जांच करने पर पाया गया कि उक्त गाड़ी का कई अवसरों पर निजि यात्रा करने हेतू उपयोग किया गया है । इस प्रकार की निजि यात्राा बारे वसूली की जानी आपेक्षित है परन्तु प्रषासन द्वारा इस बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
26.	पैरा 42	अध्यापक कल्याण निधि में वर्ष 1979–80 दौरान राषि ₹15566.90 का सरकार से प्राप्त न करने व उक्त राषि का बोर्ड निधि में जमा करने बारे कोई कार्रवाई न करना।
27.	पैरा 43	सरकार द्वारा दिए गए निर्देष के बावजूद अतिरिक्त समय भत्ते को बन्द न करने बारे ।
28.	पैरा 44	किराए पर लिए गए भवन की मुरम्मत हेतू किए गए खर्चे की वसूली नगर निगम के बिल से न करने बारे ।
29.	पैरा 45	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना गाड़ियों की मुरम्मत सरकारी वर्कषाप की अपेक्षा अन्य वर्कषाप से करने व उक्त कार्य करने उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति लेना तथा लॉग बुक में यात्रा का उदेष्य अंकित न करने बारे अंकेक्षण को स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना ।
30.	पैरा 46	विभागीय स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्य हेतू व्यय अनुमान, तकनीकी स्वीकृति व प्रषासकीय अनुमान इत्यादि निर्माण नियमों की अनुपालना न करने बारे ।
31.	पैरा 47–ए	कोटेषन व उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति लेने से बचने हेतु क्रय आदेषों को विभाजित करने बारे।
32.	पैरा 47–बी	सरकार द्वारा प्राधिकृत फर्म व अनुमोदित दर ठेका के बावजूद बोर्ड का खुले बाजार से सामान खरीदने बारे कोई उचित पग न उठाना तथा न ही इस बारे सरकार से एन0ओ0सी0 प्राप्त किया जाना बारे।
33.	पैरा 48	भण्डार में रखे सामान का नियमानुसारा समय–2 पर सत्यापन न करने बारे।
34.	पैरा 49	यात्रा भत्ता दावा हेतू नियन्त्रक अधिकारी की घोषणा न करने बारे ।
35.	पैरा 50	यात्रा भत्ता दावों की अग्रिम राषि की जांच करने पर पाया गया कि कई स्थानों पर प्रष्न पत्रों के देरी से प्राप्त होने के कारण इन्हें दोवारा भेजा गया। इस कार्य हेतू कर्मचारियों को विषेष अतिरिक्त समय भत्ता भी दिया गया। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष चली आ रही इस अनियमित प्रथा पर हुए

		खर्च की गणना व दोषी से इसकी बसूली सुनिष्चित करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत न करवाया जाना ।
36.	पैरा 51	कैष शाखा द्वारा चैस्ट बुक न तैयार करने बारे ।
37.	पैरा 52	स्थाई अग्रिम राषि देने उपरान्त एच0 पी0 एफ0 आर0 के नियम 2.8(7) के अनुसार प्रमाण पत्र न देने बारे ।
38.	पैरा 54	वर्गीकृत आय व व्यय के रजिस्टर पूर्ण रूप से तैयार नहीं किए गए हैं बजट से अधिक व्यय का नियमित रूप से पुनविनियोजन किया जाना सुनिष्चित किया जाए ।
39.	पैरा 55	बोर्ड के लेखों का तुलन पत्र तैयार न करने बारे ।
	vof/k 1980&81	
1.	पैरा 8	दिनांक 31.3.81 तक ₹2,90,992/– की प्राप्तियां बकाया होने बारे ।
2.	पैरा 12–बी	कागज क्रय व कागज जारी करने से सम्बन्धित पूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत न करने बारे ।
3.	पैरा 14	डिपुओं में तैनात कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता व पहाड़ी प्रतिपूरक भत्ता षिमला स्तर का दिए जाने बारे ।
4.	पैरा 16	गाड़ी की लॉग बुक में पूर्ण व स्पष्ट प्रविष्टियां न करने बारे।
5.	पैरा 18	कागज क्रय करने से सम्बन्धित परफोर्मा लेखा तैयार न करने बारे ।
6.	पैरा 20	बोर्ड में 28 स्वीकृत सेवादार के पदो के विरूद्व 146 दैनिक वेतन भोगी सेवादार रखे जाने बारे ।
7.	पैरा 25	कोटषेरा भवन में चल रही कैन्टीन के मालिक से प्रतिभूति, किराया, पानी व विजली चार्जिज न लेने बारे ।
	vof/k 1981&82 Hkkx&2	
1.	पैरा 7	भवन निधि से लिए गए ऋण में से राषि ₹5,00,000/– उक्त निधि को लौटाये जाने शेष बारे ।
2.	पैरा 8	दिनांक 31.3.82 तक ₹4,16,263/– की राषि बतौर विभिन्न शुल्कों के रूप में वसूले जाने शेष ।
3.	पैरा 12–बी	कागज क्रय का परफोर्मा लेखा तैयार न करने बारे तथा विभिन्न फर्मो को जारी कागज की कितनी कीमत वसूली जा चुकी है तथा कितनी शेष है ।
4.	पैरा 16	बोर्ड में 28 सेवादारों क स्वीकृत पदो के विरूद्व 120 दैनिक भोगी कर्मचारी नियुक्त करने बारे ।
5.	पैरा 20	राषि ₹42874/– सेमीनार आयोजित करने के लिए चाय/दोपहर व रात्रि भोजन पर खर्च किए गए परन्तु उक्त राषि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा बोर्ड को वापिस न लौटाने बारे ।
6.	पैरा 21	वितरित राषियों के अभिलेख न रखने बारे ।
7.	पैरा 22	नैतिक षिक्षा पर किए गए सैमिनार में ₹80,000/– का व्यय करने बारे ।
8.	पैरा 25	बोर्ड प्रषासन द्वारा पेपर क्रय का परफोर्मा लेखा, प्रकाषकों को जारी कागज, कीमत जो प्रकाषकों से वसूल करनी थी, वसूली गई कीमत व कागज का अन्तिम शेष इत्यादि–2 तैयार न करने बारे ।
9.	पैरा 28	शिमला से बाहर डिपुओं में तैनात कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता व सी.ए. की अदायगी षिमला स्तर पर किए जाने बारे ।
10.	पैरा 34	कोटषेरा भवन में चल रही कैन्टीन के मालिक से प्रतिभूति किराया, पानी व

		बिजली चार्जिज न लेने बारे ।
11.	पैरा 41	₹300/– की राषि ए.डी.सी. षिमला को गेयटी थियेटर की बुकिंग के दिये गये जिसमें सैमीनार आयोजित करना था की स्वीकृति सरकार से लेने बारे
	<u>vof/k 1982&83</u>	
1.	पैरा 7–बी	भवन निधि से लिए गए ऋण में से राषि ₹500000/– उक्त निधि को लौटाये जाने शेष बारे ।
2.	पैरा 8	आय की बकाया राषि ₹518397/– को वसूल करने बारे ।
3.	पैरा 12–बी	दिनांक 31.3.1983 तक दिए गये विभिन्न अग्रिमों की शेष राषि ₹1,66,68,164.87 समायोजन हेतु लम्बित होना ।
4.	पैरा 13	491 डायरी मै0 अनेजा स्टेषनर्स, दिल्ली, 300 डायरी मै0 मुक्ता प्रिन्टर्ज अम्बाला से ₹3680.18 में मुद्रित करवाई गई। उक्त डायरी बोर्ड स्टॉफ व मुख्याध्यापकों को जारी की गई। यह खर्चा रोका जा सकता था बारे में ।
5.	पैरा 14–ए	मैसर्ज एस0 चांद0 एण्ड कम्पनी को गणित भाग–1 व 2 की 25000 प्रतियों के मुद्रण हेतु कागज दिया गया परन्तु उसने केवल 6000 प्रतियां ही उक्त पुस्तक की आपूर्ति की इस प्रकार शेष कागज की वसूली किए बिना प्रकाषक को भुगतान जारी करने के कारण उक्त फर्म को अनावष्यक फायदा पंहुचाया गया है, बारे में ।
6.	पैरा 14–बी	मैसर्ज राज पाल एण्ड सन्ज दिल्ली से 478 कम आपूर्ति की गई पुस्तकों के कागज की कीमत बाजार दर से वसूल करने बारे ।
7.	पैरा 15	हिमाचल दिवस व अध्यापक दिवस पर अखवारों में विज्ञापन प्रकाषित करवाने की स्वीकृति सरकार से लेने बारे ।
8.	पैरा 17	बोर्ड की गाड़ियों की मुरम्मत पर अत्यधिक खर्च करने बारे ।
9.	पैरा 23–बी	मैसर्ज हरिनाम कला पुस्तक भण्डार दिल्ली से ₹2600/– कागज की कीमत की वसूली बारे ।
	पैरा 23–डी	विभिन्न प्रकाषकों से कागज की कीमत वसूल करने बारे ।
	पैरा 23–ई	विभिन्न प्रकाषकों को जारी कागज, वसूली गई कीमत, शेष कीमत व कागज के अन्तिम शेष का लेखा जोखा न रखने बारे
10.	पैरा 25–ए	बोर्ड कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु दी गई अग्रिमों के समर्थन में राषि उपयोगिता प्रमाण पत्र व रहननामा से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।
11.	पैरा 32	वितरित राषियों के अभिलेख न रखने बारे।
	<u>vof/k 1983&84</u>	
1.	पैरा 7	वर्ष 1983–84 के दौरान आयोजित परीक्षाओं से ₹2,86,849/– बतौर परीक्षा शुल्क वसूल जाने शेष हैं।
2.	पैरा 10	पर्याप्त औचित्य स्पष्ट किए बिना अधिक दर से स्टेषनरी सामान खरीदने बारे ।
3.	पैरा 17	बोर्ड की गाड़ियों की मुरम्मत बारे ।
4.	पैरा 19	हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किराया से अधिक दर से किराये पर लिये गये भवनों की अदायगी करने बारे ।

5.	पैरा 20	डिपो के लिए किराये पर लिये गये भवनों के किराया अदायगी के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अम्ल में न लाने बारे ।
6.	पैरा 21	बोर्ड कार्यालय षिमला से धर्मषाला स्थानान्तरित करने के कारण धर्मषाला में षिमला स्तर के मकान किराया भत्ता व सी.ए. की अदायगी बारे ।
7.	पैरा 22	अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही, व्यक्तिगत खाता, निवेष रजिस्टर व अन्य अभिलेख तैयार न करने बारे ।
8.	पैरा 26	अचल सम्पत्ति रजिस्टर व स्टाक व स्टोर की वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट ऑडिट को न दिखाने बारे ।
	bU l iD'ku ukV%&	ijh{kd] LFkkuh; fuf/k y[kk fg0 i0 f'keyk fnukd 22-5-1985 }kjk fuEufyf[kr ij vfu.khr g%&
	पैरा 1	अभी तक अनिर्णीत है ।
	पैरा 2	—यथोपरि—
	पैरा 3	—यथोपरि—
	पैरा 4	—यथोपरि—
	पैरा 5	—यथोपरि—
	पैरा 6	—यथोपरि—
	vof/k 1984&85	
1.	पैरा 7—ए	विभिन्न प्रयोजनों हेतु दी गई अग्रिम राषि ₹3,18,53,470.44 दिनांक 31.3. 1985 तक असमायोजित होने बारे ।
	पैरा 7—बी	पुराने अग्रिम रजिस्टर से प्रविष्टियां नये अग्रिम रजिस्टर में उतारते समय गम्भीर अनियमितताओं/त्रुटियों का पाया जाना ।
	पैरा 7—ई	बोर्ड कर्मचारियों द्वारा अन्य बोर्ड व कारपोरेषन में प्रतिनियुक्ति पर जाते समय अग्रिम के समायोजन न करवाने बारे ।
	पैरा 7—एफ	प्रभारी सेल बुक डिपो उना द्वारा प्रस्तुत फुटकर अग्रिम राषि के समायोजन बारे ।
	पैरा 7—एल	सर्व श्री के0एल0गुप्ता, सरनदास व योगेन्द्र शर्मा से भवन निर्माण अग्रिमों की वसूली बारे ।
2.	पैरा 11	प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान हजारों रूपये की कीमत की पुस्तकें चम्बा डिपो में कम पाई जाने बारे ।
3.	पैरा 14	कैंटीन के ठेकेदार से किराया न वसूलने बारे ।
4.	पैरा 15—बी	बिजली, टेलीफोन, पानी के कनेक्षन लेने से सम्बन्धित प्रतिभूतियों की अदायगी से सम्बन्धित रजिस्टर न लगाने बारे ।
5.	पैरा 16	अध्यापको को मानदेय देने बारे ।
6.	पैरा 19—बी	भवन निर्माण व भूमि क्रय हेतु दी गई अग्रिम राषि के समर्थन में आवष्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 19—सी	कर्मचारियों से 3 प्रतिषत दण्ड स्वरूप ब्याज न वसूला जाना जब कर्मचारी भवन निर्माण/भूमि क्रय की किष्त समय पर जमा न करवा सके हैं ।
7.	पैरा 20	बोर्ड कर्मचारियों को ओवर टाईम अलाउंस के रूप में लगभग ₹1,86,000/— की अदायगी की गई परन्तु बोर्ड अधिनियम के अनुसार

		प्रत्येक कर्मचारी को ₹1500/– वार्षिक से अधिक का भुगतान न करने का प्रावधान था इस सम्बन्ध में आवष्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे तथा कर्मचारियों ने कार्यालय समय में क्या–2 कार्य किया का अभिलेख भी प्रस्तुत न करना ।
	पैरा 20–ए	मिडल परीक्षा परिणाम मार्च, 1984 को तैयार करने के लिए ₹.40 पैसे प्रति छात्र की दर से ₹25,452.50 के भुगतान की स्वीकृति लेने बारे ।
	पैरा 20–बी	हायर सैकेण्डरी पार्ट–1 की परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए ₹7770/– व ₹1243.10 किस आधार पर अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए गए ।
	पैरा 20–सी	मैट्रिक का परीक्षा परिणाम तैयार करने के एवज में बोर्ड कर्मचारियों को ₹10359/– व ₹157.05 की अदायगी करने बारे
	पैरा 20–डी	श्री धर्म सिंह को राषि ₹114.65 का भुगतान मार्च, 1984 की परीक्षा से सम्बन्धित कट लिस्टें तैयार करने के लिए किये जाने बारे।
	पैरा 20–ई	राशि ₹2750/– व ₹1833.95 मिडल स्टैण्र्ड परीक्षा मार्च, 1983 व दिसम्बर, 1983 को तैयार करने व पूर्ननिरीक्षण के फलस्वरूप की गई परन्तु बोर्ड कर्मचारियों द्वारा क्या–2 कार्य कार्यालय समय में किया से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
	पैरा 20–एफ	₹555/– का भुगतान स्टैंसल इत्यादि तैयार करने के सम्बन्ध में किया गया ।
	पैरा 20–जी	श्री कुलदीप कुमार को स्टैंसल काटने का भुगतान स्वीकृत किया गया परन्तु जो कार्य उक्त कर्मचारी ने कार्यालय समय में किया का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
	पैरा 20–एच	बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों को राषि ₹465.60 स्टैंसिल टाईप करने व काटने के दिए जाने के समर्थन में कार्यालय समय में किए गए कार्य की सूचि प्रस्तुत न करने बारे ।
8.	पैरा 21	अशंदायी भविष्य निधि की रोकड़ वही व अन्य अभिलेखें का सही रख–रखाव न करने बारे।
9.	पैरा 22	कोर्ट मामलों से सम्बन्धित मुकदमा रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारे।
10.	पैरा 23	बोर्ड की गाड़ियों की मुरम्मत पर अधिक राषि के खर्च करने व अन्य अनियमितताओं बारे ।
11.	पैरा 24–ए	टेलीफोन रजिस्टरों में पूर्ण प्रविष्टियां न करने बारे ।
12.	पैरा 25 (ए से एच)	बोर्ड निधि से किए गए व्ययों को किसी सीमा तक यदि सही समनवय व सही जांच की जाती तो रोका जा सकता था ।
13.	पैरा 26	पुरानी एक्साईज बिल्डिंग भवन की मुरम्मत करवाने में पाई गई अनियमितताओं बारे ।
14.	पैरा 27	₹1800/–सैमीनार आयोजित करने पर किए गए व्यय को नियमों के प्रावधानों सहित संदर्भित करने बारे ।
15.	पैरा 28	जे.बी.टी. भवन के हाउस ऐम्स के भुगतान राषि ₹3456/– के बारे में ।
16.	पैरा 30–ई	पाठय पुस्तकें व अभ्यास पुस्तिकाएं बेचने से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।

17.	पैरा 31–ए	किराये पर लिए गए भवनों के किराया बिलों बारे ।
	पैरा 31–बी	श्री हरबंस लाल गर्ग के भवन को किराये पर लेने की स्वीकृति बारे ।
	पैरा 31–सी	बोर्ड कार्यालय के लिए धर्मषाला में विभिन्न भवनों को किराये पर लेने बारे
18.	पैरा 32	स्टोर भवन के निर्माण हेतु अध्यक्ष द्वारा ₹1,00,000/– स्वीकृत कर लोक निर्माण विभाग को भेजा गया परन्तु उक्त कार्य के पूर्ण होने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
19.	पैरा 33–ए से एफ	परीक्षा सामग्री को केन्द्रों तक पंहुचाने में बोर्ड द्वारा योजनावद तरीके से कार्य न करने से अधिक खर्च करने बारे जिसे रोका जा सकता था ।
20.	पैरा 34–ऐ से ई	स्टॉक/स्टोर क्रय करने से सम्बन्धित विभिन्न आडिट आपत्तियों बारे ।
21.	पैरा 35	बिजली बिलों के भुगतान बारे ।
22.	पैरा 36	पानी बिलों के भुगतान बारे ।
(ग)	15 o"kk l vf/kd vof/k rd d vfu.khr i jk dk fooj.k A 1985&86 l 1994&95 rd vof/k 1985&86	
1.	पैरा 14	रोकड़ बही में अन–वितरित कैष का विवरण न रखने बारे ।
2.	पैरा 15	बोर्ड द्वारा आय शाखा, कैषियर व सम्पर्क कार्यालय को जारी रसीद बुकों का अभिलेख न दिखाने बारे ।
3.	पैरा 18–ए	संस्थापना पड़ताल रजिस्टर का सही ढंग से रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 18–बी	अनुपस्थिति विवरण के बिना वेतन व अंषदायी भविष्य निधि के अंषदान का अधिक भुगतान करने बारे ।
	पैरा 18–सी	सेवा निवृत श्री पूर्ण दत्त को वेतन व अंषदायी भविष्य निधि के अंषदान का अधिक भुगतान करने बारे ।
	पैरा 18–डी	बोर्ड कर्मचारियों के अवकाष के दो खाते खोलने बारे ।
	पैरा 18–ई	कर्मचारियों द्वारा देय कार्य ग्रहण समय से अधिक व्यतीत करने बारे ।
	पैरा 18–एफ	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाषों का भुगतान करने बारे ।
	पैरा 18–जी	मानदेय के भुगतान बारे ।
	पैरा 18–एच	सचिव, श्री सी0आर0बी0 ललित से मानक किराया न वसूलने बारे ।
	पैरा 18–आई	बोर्ड अधिकारियों को परिणित अवकाष स्वीकृत करने बारे ।
	पैरा 18–जे	पैरा में वर्णित अधिकारियों के अर्जित अवकाष भुनाने व उपदान राषि का हिस्सा पंजाब यूनिवर्सिटी से लेने बारे ।
4.	पैरा 19	अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही व अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे ।
5.	पैरा 20	कोर्ट मामलों से सम्बन्धित मुकदमा रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारे ।
6.	पैरा 21	भूतपूर्व सचिव श्री एफ. मनमोहन से लोकल काल के ₹200/–वसूल करने बारे ।
7.	पैरा 22–ए	सभी स्टाक स्टोर की वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
	पैरा 22–बी	स्टॉक रजिस्टर का सही रख–रखाव न करने बारे ।

	पैरा 22—डी	स्टॉक/स्टोर व कैष को सम्भालने वाले कर्मचारियों से प्रतिभूति राषि का न लेना ।
	पैरा 22—ई	वर्दी सामग्री को पदोन्नति, पदच्युत व त्यागपत्र पर वापिस लौटाने बारे ।
8.	पैरा 23—ए	कोटषेरा भवन की पानी व बिजली प्रतिभूति व अन्य प्रतिभूति राषियों को प्राप्त न करने बारे ।
	पैरा 23—बी	बिजली बिल की वसूली बारे ।
9.	पैरा 25—बी	बोर्ड की गाड़ियों की लॉग बुक में की गई यात्रा का पूर्ण उद्वेष्य न लिखने बारे ।
	पैरा 25—सी	बोर्ड की गाड़ियों में की गई प्राईवेट यात्राओं की वसूली बारे ।
10.	पैरा 26—ए	मै0 भारत ट्रेडर्स कोतवाली बाजार धर्मषाला से बिजली के पंखे खरीदने बारे
	पैरा 26—सी	स्टील अलमारियां बिना दर संविदा फर्म से खरीदने बारे ।
11	पैरा 27	नये साल के उपलक्षय में ₹1173/— बोर्ड कर्मचारियों के मनोरंजन पर खर्च करने का औचितय नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट करने बारे ।
12.	पैरा 28—ए	कुछ बोर्ड कर्मचारी नियमित तौर से अंक सूचियां अध्यापकों से एकत्रित करने के लिए तैनात किए जाते रहे, का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
	पैरा 28—बी	राशि ₹3395/— स्लीप फार्म प्रिन्ट करवाने पर खर्च की गई परन्तु रजिस्टर की जांच में पाया गया कि उक्त फार्म प्रयोग नही किए गए ।
13.	पैरा 29—बी	₹450/— को बैंक ड्राफट नं0 422465 दिनांक 25.2.1978 जो गुम हो गया था का बोर्ड निधि में जमा करवाने बारे ।
	पैरा 29—सी	बोर्ड के अनुभाग अधिकारी श्री एल.सी. जोषी को केन्द्र अधीक्षक श्री एस.पी. शर्मा, केन्द्र भिवानी, मार्च, 1981 द्वारा ₹1000/— दी गई अग्रिम राषि से शेष बची राषि को बोर्ड निधि में जमा करवाने के लिए दी परन्तु उक्त राषि का केडिट बोर्ड निधि में नहीं पाया गया ।
14.	पैरा 30	अध्यापक कल्याण निधि बारे ।
15.	पैरा 31	मुख्यालय से 8 कि0 मी0 के दायरे में अध्यापकों को यात्रा भत्ता दिया जाना
16.	पैरा 33—बी	श्री जोगीदास, सहायक को भूमि कय हेतु ₹20,265/— दिए गए परन्तु भूमि कय से सम्बन्धित दस्तावेज ऑडिट को न दिखाने बारे ।
	पैरा 33—सी	श्री एफ. मनमोहन सिंह भूतपूर्व अतिरिक्त सचिव को दिए गए प्रतिनियुक्ति भत्ता की वसूली या नियमित करने बारे ।
	पैरा 33—डी	अध्यापकों को लाखों रूपये के किए गए भुगतानों की वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 33—ई	प्रतिभूतियों के कोई अलग लेखे व सम्पति एवम् देनदारियों के लेखे न रखने बारे ।
	vof/k 1986&87	
1.	पैरा 4—सी	रोकड़ शेष व बैंक शेष को मिलाने बारे ।
	पैरा 4—डी	शिक्षा बोर्ड के गठन से रोकड़ के अन्तिम शेष का मिलान बैंक के अन्तिम शेष न किए जाने बारे ।
	पैरा 4—ई	डिपो व षिमला की आय को रोकड़ बही में न लिए जाने के कारण बोर्ड

		की सही वित्तीय स्थिति का परिलक्षित न होना ।
	पैरा 4–एफ	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 14–2 के अनुसार बोर्ड निधि की शुद्व बचत को सरकार को भेजने बारे ।
2.	पैरा 8	अलग तिथियों को जरूरत से ज्यादा व उच्च ब्याज दर से ऋण लेने का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
3.	पैरा 9	विभिन्न किए गए निवेषों का रिकार्ड उपलब्ध न करवाने बारे ।
4.	पैरा 10–ए	रोकड़ शेष व बैंक शेष का मिलान बोर्ड के गठन से न करने बारे ।
	पैरा 10–बी	सामान्य रोकड़ वही में पाई गई त्रुटियों बारे ।
5.	पैरा 11–ए	₹1,13,648 / – की राषि विभिन्न परीक्षार्थियों से वसूली हेतु शेष होना ।
	पैरा 11–सी	सम्पर्क कार्यालय षिमला की आय वर्ष 1986–87 के पोस्ट आडिट बारे ।
6.	पैरा 12	मांग और वसूली रजिस्टर का रख–रखाव सही ढंग से न करना
7.	पैरा 13	अवितरित रोकड़ का हिसाब किताब न रखने बारे ।
8.	पैरा 14–डी	पुराने अग्रिम रजिस्टर की प्रविष्टियां नये रजिस्टर में करते समय गम्भीर अनियमितताओं / त्रुटियों बारे ।
	पैरा 14–ओ	श्री राज जी दास मुख्य परीक्षक, मार्च,1986 से ₹75 / –की वसूली बारे ।
	पैरा 14–पी	श्री कांषी राम मुख्य परीक्षक मार्च, 1985 से ₹88.50 की वसूली बारे ।
	पैरा 14–क्यू	श्री रणवीर सिंह पाल मुख्य परीक्षक मार्च, 1985 से ₹47 / – की वसूली बारे ।
	पैरा 14–आर	केन्द्र अधीक्षक लाहाडू हरियाणा मैट्रिक मार्च, 1981 से ₹1162.65 की वसूली बारे ।
	पैरा 14–डब्ल्यू	श्री गोपाल शर्मा एडवोकेट हाई कोर्ट को हिसार कोर्ट में ₹500 / – अग्रिम जमा करवाने के लिए दिए गए थे परन्तु उक्त राषि अभी तक असमायोजित है ।
9.	पैरा 15–ए	संस्थापन पड़ताल रजिस्टर का सही ढंग से रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 15–डी	अध्यक्ष के निजि सचिव व पी.ए. को, वाहन भत्ता नियमित अवकाष व प्रवास के दौरान दिए जाने बारे ।
	पैरा 15–ई	त्यौहार एडवांस का अनियमित तौर से अहरण एवम् वितरण ।
	पैरा 15–एफ	बोर्ड कर्मचारियों के दूसरे बोर्डों व कारपोरेषन में प्रतिनियुक्ति पर जाने की सेवा शर्तो बारे ।
	पैरा 15–एच	बोर्ड के सेवा निवृत कर्मचारियों के अर्जित अवकाष व उपदान राषि पंजाब यूनिवर्सिटी से वसूलने बारे ।
	पैरा 15–एल	बोर्ड कर्मचारियों को राजधानी भत्ता दिए जाने की स्वीकृति बोर्ड से लेने बारे ।
	पैरा 15–एम	विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता की अदायगी राजपत्रित अवकाष के दौरान भी करने बारे ।
	पैरा 15–एन	बोर्ड कर्मचारियों को विना बन्धक नामा के भवन निर्माण व भूमि कय हेतु अग्रिम दिया जाना व कय सम्बन्धित दस्तावेज न लेने बारे ।
	पैरा 15–ओ	बोर्ड कर्मचारियों को स्कूटर कय हेतु अग्रिम का दिया जाना परन्तु कय सम्बन्धित दस्तावेज न लेने बारे ।

	पैरा 15–पी	गर्म कपड़े हेतु दिए गए एडवांस पर दण्ड स्वरूप ब्याज का न काटे जाने बारे ।
10.	पैरा 18–ए	भविष्य निधि खाता की रोकड़ वही का रख–रखाव न करने बारे
	पैरा 18–बी	अंशदायी भविष्य निधि की वेतन से कटौती व वसूली की राषि का निधि में देरी से जमा करवाने बारे ।
11.	पैरा 19–ए	मुकदमा रजिस्टर का न रखा जाना ।
	पैरा 19–बी	₹350/– जो कोर्ट में जमा करवाए, वकील की फीस राषि व यात्रा भत्ता बिल राषि जो अनावष्यक रूप से बोर्ड को वहन करनी पड़ी, का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बारे।
12.	पैरा 20	बोर्ड के विभिन्न टैलीफोनों के रजिस्टरों का सही ढंग से रख–रखाव न करने बारे ।
13.	पैरा 21	तकनीकी षिक्षा बोर्ड की देनदारियों को बोर्ड निधि से भुगतान करने फलस्वरूप प्रत्यपर्ण बारे ।
14.	पैरा 22–ए–2	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेषन कलकत्ता से 21 रिम कागज कम प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 22–बी–2	पेपर क्रय, जारी व शेष का कोई लेखा–जोखा न रखने बारे ।
	पैरा 22–सी	कागज क्रय के समायोजन बारे ।
	पैरा 22–डी	कागज क्रय की स्वीकृति अध्यक्ष हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड से लेने बारे ।
15.	पैरा 24–ए	स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
	पैरा 24–बी	तीन बल्बो की कीमत की वसूली बारे ।
	पैरा 24–सी	बोर्ड के गठन से लेकर सभी स्टाक रजिस्टरों का रख–रखाव करने बारे ।
	पैरा 24–डी	स्टाक/स्टोर की खरीद किफायती तौर से करने बारे ।
	पैरा 24–ई	स्टाक/स्टोर की खरीद साल में एक बार व न्यूनतम संविदाकार से करने बारे ।
	पैरा 24–एफ	स्टोर की देख–रेख करने वाले कर्मचारी से प्रतिभूति राषि न लेने बारे ।
	पैरा 24–जी	लज प्रिन्टर्ज को किए गए भुगतान राषि ₹3330/–व 5335/– में पाई गई त्रुटियों बारे ।
	पैरा 24–जे	बोर्ड की मैटाडोर गाड़ी की मुरम्मत पर ₹2200/– खर्च करने की स्वीकृति अध्यक्ष से लेने बारे ।
16.	पैरा 25	बोर्ड कर्मचारियों की सेवा निवृति पर ₹1965/– की राषि के उपहार बोर्ड निधि से देने की स्वीकृति सरकार से लेने बारे ।
17.	पैरा 26	बोर्ड में वांईडर होने के वावजूद वाईडिंग कार्य पर वर्ष 1986–87 के दौरान ₹89537.15 खर्च करने का औचित्य स्पष्ट करने बारे
18.	पैरा 28	टी.ए./डी.ए. के रूप में अत्याधिक राषि का खर्च किया जाना जबकि इसे रोका जा सकता था ।
19.	पैरा 29–ए से ई	विविध मामलों से सम्बन्धित ।
20.	पैरा 30	वार्षिक लेखा के सम्बन्ध में ।

	vof/k 1987&88	
1.	पैरा 4–ए	डिपो खातों की पूर्ण आय को बोर्ड की मुख्य रोकड़ बही में न लेने के कारण प्राप्त आय के आंकड़े बैंक जमा राषि से मेल नहीं खाते ।
	पैरा 4–बी	डिपो की आय को बोर्ड निधि में न लेना तथा कुछ व्यय सीधे तौर से डिपो खातों से कर दिया गया ।
	पैरा 4–सी	रोकड़ शेष में ₹313.10 के अन्तर का मिलान करने बारे ।
	पैरा 4–डी	बैंक शेष व रोकड़ शेष को मिलाने बारे ।
	पैरा 4–ई	रोकड़ शेष का मिलान बैंक शेष से न करने के कारण कई गलतियों, गवन व बोर्ड निधि के दुर्विनियेाजन की सम्भावना हमेषा बनी रहना ।
	पैरा 4–एफ	वर्ष के दौरान प्राप्त आय व अन्तिम शेष की स्थिति जो वित्तीय स्थिति में दर्षाई गई है, बोर्ड की वास्तविक सही स्थिति को परिलक्षित न करना ।
2.	पैरा 9	विभिन्न निवेषों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत न करने बारे ।
3.	पैरा 10	बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार विभिन्न परीक्षार्थियों से ₹196947/– बतौर परीक्षा शुल्क वसूले जाने शेष बारे ।
4.	पैरा 11–डी	पुराने अग्रिम रजिस्टरों से नये अग्रिम रजिस्टरों में प्रविष्टियां करते समय अनेक अनियमितताएं पाये जाने बारे ।
5.	पैरा 13–ए	बोर्ड की अंषदायी भविष्य निधि की देनदारी की जांच में अनेक त्रुटियों का पाया जाना ।
	पैरा 13–बी	सी.पी.एफ. खाता की रोकड़ बही का रख–रखाव न करना ।
6.	पैरा 16–सी	हिन्दुस्तान पेपर मिल्ज से 12 रिम (3 बण्डल) कागज कम प्राप्त होने की कीमत की वसूली करना ।
	पैरा 16–डी	पेपर के स्टॉक रजिस्टर का सही ढंग से रख–रखाव न करने बारे ।
7.	पैरा 18	श्री सी.आर.बी. ललित सचिव द्वारा नकल कमेटी में उपस्थिति के ऐवज में ₹1925/– प्राप्त किए, की वसूली करनी शेष है ।
8.	पैरा 23–ए	बोर्ड की नई बिल्डिंग के कार्य में ठेकेदार द्वारा बोर्ड मीटर से बिजली लेने की वसूली प्रभावी करने बारे ।
	पैरा 23–ई	बोर्ड द्वारा लगाये गये विभिन्न समाचार–पत्र, मैगजीन व पत्रिकाओं के निपटान बारे ।
	पैरा 23–एफ	डिपुओं की पूर्ण आय को बोर्ड लेखा में लेखंकित न करना एक गम्भीर कोताही का होना ।
	पैरा 23–जी	वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
	vof/k 1988&89	
1.	पैरा 4–ए	वर्ष 1988–89 में प्राप्त आय का बैंक के साथ मिलान न होना जिसका कारण डिपुओं की पूर्ण आय को बोर्ड की आय में सम्मिलित न करना ।
	पैरा 4–बी	डिपुओं की समस्त आय को लेखांकित न करना तथा सीधे व्यय कर लेना
	पैरा 4–सी	रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹313.10 का अन्तर परिलक्षित होना
	पैरा 4–डी	रोकड़ शेष को कभी भी बैंक शेष से मिलान करने का प्रयास न करना ।

	पैरा 4—एफ	डिपुओं की समस्त आय को बोर्ड आय में सम्मिलित न करने पर बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति का आंकलन न होना ।
2.	पैरा—8	बोर्ड द्वारा जरूरत से ज्यादा का ऋण लेने बारे ।
3.	पैरा 9	बोर्ड द्वारा विभिन्न निधियों से किए गए निवेषों के रजिस्टर में पाई गई त्रुटियों बारे ।
4.	पैरा 12	सम्पर्क कार्यालय षिमला की आय से सम्बन्धित ऑडिट के दौरान पाई गई विभिन्न आपत्तियां ।
5.	पैरा 14—ए	बोर्ड द्वारा दिनांक 31.3.1989 तक दी गई अग्रिम राषियों में से ₹6,56,35,116 / — समायोजन हेतु लम्बित बारे ।
	पैरा 14—बी	परीक्षा संचालन हेतु 31.12.1987 तक दी गई अग्रिम राषियों में से ₹10,66,008.50 अभी तक असमायोजित ।
	पैरा 14—डी	केन्द्र अधीक्षकों को जरूरत से ज्यादा की अग्रिम राषियों के दिये जाने बारे
	पैरा 14—एफ	विभिन्न बोर्ड कर्मचारियों / अधिकारियों व बोर्ड सदस्यों को यात्रा भत्ता अग्रिम राषि में से ₹17378 / — का असमायोजित पाया जाना ।
	पैरा 14—जी	श्री सुमेर नाथ शर्मा अनुभाग अधिकारी को पुर्नमुल्यांकन हेतु दी गई ₹8500 / — की अग्रिम राषि का समायोजन शेष ।
	पैरा 14—एच	बोर्ड कर्मचारियों को जरूरत से ज्यादा के टी.ए. एडवांस का दिया जाना ।
	पैरा 14—आई	सेल बुक डिपो प्रभारियों को ₹3,45,379 / — की दी गई अग्रिम राष्यिों का समायोजन शेष है ।
	पैरा 14—जे	बोर्ड कर्मचारियों द्वारा ली गई अग्रिम राषियों में से शेष बची राषियों का अस्थाई तौर से दुर्विनियोजन करने बारे ।
	पैरा 14—एल	केन्द्र अधीक्षकों से अग्रिमों से शेष बची राषि के वसूली बारे ।
	पैरा 14—एम	बोर्ड द्वारा विभिन्न डिपाजिट वर्क्स हेतु दी गई अग्रिमों का समायोजन शेष है ।
	पैरा 14—एन	बिजली बोर्ड को दी गई अग्रिम राषियों के समायोजन लेखे प्रस्तुत न करना
	पैरा 14—ओ	₹3537 / — की अग्रिम राषि दूरसंचार विभाग धर्मषाला को टेलीफोन पोल व लाईन बदलने के लिए दिए गए परन्तु समायोजन शेष है ।
6.	पैरा 17	अध्यापक कल्याण निधि बारे ।
7.	पैरा 19—ए	कागज क्रय से सम्बन्धित कागज प्राप्ति, कागज जारी करना व अन्तिम शेष इत्यादि—2 का अभिलेख प्रस्तुत न करना ।
	पैरा 19—बी	31 रिम कम पेपर प्राप्त करने की वसूली हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेषन से करने बारे ।
8.	पैरा 22—ए	पाठयक्रम कमेटी की मिटिंग में चायपान / भोजन पर खर्च ₹2043 / — की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेना ।
	पैरा 22—बी—2	₹126 / — की वसूली बारे ।
	पैरा 22—सी	बहुत से मामलों में बिजली सामान की खरीद थोड़ी—2 मात्रा में गैर किफायती व्यवस्था से करने बारे ।
	पैरा 22—डी	डिपो आय का लेखा जोखा सही ढंग से न रखना ।

	पैरा 22—एफ	उत्तर पुस्तिकाओं/प्रषन पत्रों को एकत्रित करने के सम्बन्ध में किए गए यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बारे ।
	पैरा 22—एच	खुले बाजार से फर्नीचर खरीदने का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
	पैरा 22—आई	वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
	vof/k 1989&90	
1.	पैरा 4—बी	रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹313.10 का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
	पैरा 4—सी	कैष बुक अन्तिम शेष का बैंक अन्तिम शेष से मिलान न करने बारे ।
	पैरा 4—डी	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की पूर्ण आय को रोकड़ बही में न लेने बारे
2.	पैरा 9	निवेशों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण ऑडिट को न दिखाने बारे ।
3.	पैरा 10	कैष बुक का लेखा समाधान (रिकन्सीलेषन) न करने बारे ।
4.	पैरा 12—ए से जी	सम्पर्क कार्यालय षिमला की वर्ष 1989—90 की आय के पोस्ट ऑडिट दौरान पाई गई अनियमितताओं बारे ।
5.	पैरा 13	मुख्यालय धर्मषाला के आय रजिस्टर में कम जमा राषि बारे ।
6.	पैरा 14—डी	केन्द्र अधीक्षकों के विरूद्व बकाया अग्रिम राषि बारे ।
7.	पैरा 15	श्री राकेष कंवर वकील को मामला नं. 372 कु0 चन्द्रावती बनाम हि0 प्र0 स्कूल षिक्ष बोर्ड धर्मषाला के लिए ₹1500/— का भुगतान ।
8.	पैरा 16	उड़न दस्तों के लिए टैक्सी को किराये पर लेने बारे ।
9.	पैरा 18	मार्च, 87 सितम्बर, 87, व मार्च 88 की परीक्षा में नियुक्त किए गए मुख्य/उप—परीक्षकों से मेहनताना की वसूली बारे ।
10.	पैरा 19	विश्राम गृह की स्थापना पर ₹7407/— के खर्च बारे ।
11.	पैरा 21	हि0 प्र0 सरकार से स्कूल षिक्षा बोर्ड धर्मषाला की आवास कालौनी के लिए भूमि का अधिग्रहण करने बारे ।
12.	पैरा 22—4	स्कूटर एडवांस से शेष बची राषि को एक मुष्त जमा करवाने बारे ।
13.	पैरा 22—5	श्री सी.आर.बी.ललित, भूतपूर्व सचिव के प्रतिनियुक्ति की अवधि व शर्तों में आवास सुविधा बारे ।
14.	पैरा 22—6	श्री पी. पी. कटोच, सचिव को बोर्ड निषुल्क आवास सुविधा के मामले को हि0 प्र0 सरकार द्वारा अस्वीकृत करने बारे ।
15.	पैरा 24	माननीय षिक्षा मन्त्री द्वारा टैक्सी प्रयोग के भुगतान बारे ।
16.	पैरा 28	कागज के क्रय व उपयोगिता से सम्बन्धित अभिलेख को न दिखाने बारे ।
17.	पैरा 29—2	भण्डार सम्भालने वाले कर्मचारी से प्रतिभूति राषि न लेने बारे ।
	vof/k 1990&91	
1.	पैरा 4—बी	कैष बुक व बैंक अन्तिम शेष में ₹313.10 का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
	पैरा 4—सी	वास्तविक प्राप्ति व वर्गीकृत प्राप्ति में ₹80/— के अन्तर बारे ।
	पैरा 4—डी	रोकड़ वही का बैंक के साथ लेखा समाधान (रिकन्सीलेषन) न करने बारे ।
2.	पैरा 8	बोर्ड स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया धर्मषाला से लिये गये ऋण बारे
3.	पैरा 10	वर्ष 1990—91 के दौरान ₹2,45,870/— विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क का वसूल किया जाना बकाया था ।
4.	पैरा 11—बी	डिपाजिट वर्क्स हेतु दी गई अग्रिम राषि बारे ।

5.	पैरा 12–1	संस्थापना पड़ताल रजिस्टर का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे ।
	पैरा 12–2	वेतन, मकान भत्ता व डी0ए0 इत्यादि बारे ।
	पैरा 12–3	वेतन बिलों के साथ अनुपस्थिति विवरण न लगाने बारे ।
	पैरा 12–4	स्कूटर एडवांस दिए जाने के बावजूद क्रय सम्बन्धित अभिलेख कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 12–5	एल.टी.सी / एच.टी.सी. अग्रिम धन की वसूली बारे ।
	पैरा 12–6	यात्रा भत्ता अग्रिम राषि की वसूली बारे ।
6.	पैरा 13	केन्द्र अधीक्षकों के विरूद्व बकाया अग्रिम राषि बारे ।
7.	पैरा 14	परीक्षा में नियुक्त किए गए मुख्य / उप परीक्षकों से मेहनताना की वसूली बारे ।
8.	पैरा 15–ए	उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
	पैरा 15–बी	माननीय उच्च न्यायालय की याचिका सं0 117, 1989 पर निर्णय के फलस्वरूप श्री चमन लाल सुपुत्र श्री चुनी लाल को ₹10,000/– का भुगतान मैट्रिक की परीक्षा (3/81) का संषोधित प्रमाण पत्र जारी न करने बारे ।
	पैरा 15–सी	मुकदमा नं0 सी.डब्ल्यू.पी. 490/90 नीरज मदेक बनाम स्कूल षिक्षा बोर्ड जिसका निर्णय 14.11.90 को हुआ बारे ।
9.	पैरा 16	गाड़ी नं0 एच0पी0के0 2373 की मुरम्मत बारे ।
10.	पैरा 17	गाड़ी नं0 एच.पी.के. 2373 की मुरम्मत व अनुमान से अधिक व्यय का दायित्व निर्धारण करने बारे ।
11.	पैरा 18.	प्राईवेट वाहन में यात्रा करने के लिए वित्त विभाग द्वारा असहमति देने उपरान्त वसूली बारे ।
12.	पैरा 19.	विविध त्रुटियों बारे ।
	vof/k 1991&92	
1.	पैरा 4–ए	डिपुओं का पूर्ण आय बोर्ड की आय में गणना में न लिए जाने के कारण बैंक आय के साथ मिलान न होना ।
	पैरा 4–बी	रोकड़ बही अन्तिम शेष व बैंक अन्तिम शेष में ₹313.10 का अन्तर परिलक्षित होना ।
	पैरा 4–सी	वास्तविक प्राप्तियों व वर्गीकृत प्राप्तियों में ₹42/– के अन्तर बारे ।
	पैरा 4–डी	कैष बुक का बैंक शेष से मिलान न करने बारे ।
	पैरा 4–ई	पूर्ण वर्ष की प्राप्ति व दिनांक 31.3.92 का अन्तिम शेष का सही ब्यौरा बोर्ड कैष बुक में परिलक्षित न होने बारे ।
	पैरा 4–एफ	बैंक में जमा अमानत के तौर पर जो राषियां रखी गई थी उन पर ब्याज की राषियों को आय गणना में न लेने बारे ।
	पैरा 4–जी	गुप्त निधि के शेष को अन्तिम शेष में न लेना ।
	पैरा 4–एच	बैंक शेष व रोकड़ शेष में ₹9,45,620.53 का अन्तर ।

	पैरा 4—आई	अध्यापक कल्याण निधि की पृथक रोकड़ बही न रखने व बैंक से मिलान करने बारे ।
	पैरा 4—जे	अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी बारे ।
2.	पैरा 7	प्राप्त अनुदान राषि का विवरण खर्चे के अभिलेख सही ढंग से न करने बारे
3.	पैरा 8	बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए ऋण बारे ।
4.	पैरा 10—ए	वर्ष 1991—92 के दौरान ₹6,83,385/— विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क का वसूल किया जाना बकाया बारे ।
	पैरा 10—बी	बोर्ड की विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों की आय बारे ।
	पैरा 10—सी	कुल्लू तथा धर्मषाला डिपो से सम्बन्धित बैंक खाते में बैंक द्वारा ब्याज न दिए जाने बारे ।
	पैरा 10—डी	डिपुओं की पूर्ण आय को बोर्ड की मुख्य रोकड़ वही में न लिया जाना ।
	पैरा 10—ई	बेकार हो गई पुस्तकों को रददी के रूप में न बेचने बारे ।
	पैरा 10—एफ	समस्त विक्रय केन्द्रों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा विभाग को कोई सूचनायें/दस्तावेज उपलब्ध न करवाने बारे ।
5.	पैरा 12—क	बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष तुलना पत्र तैयार करके ऑडिट को प्रस्तुत न करने बारे
	पैरा 12—ख (1 से 7)	लेखाओं का दोषपूर्ण प्रस्तुतीकरण बारे ।
	पैरा 12—बी (1 से 4) बी—2(1 से 4)	वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
6.	पैरा 13—ख	बोर्ड कर्मचारियों को षिमला स्तर का आवास भत्ता दिए जाने बारे।
7.	पैरा 16	भूतपूर्व सचिवों व वर्तमान सचिव को बिना किराये की आवास सुविधा प्रदान करने बारे ।
8.	पैरा 17—क	निशुल्क ब्याज के अग्रिम किराया भुगतान करने से बोर्ड निधि को होने वाली सम्भावित हानि बारे ।
	पैरा 17—ख	————यथोपरि—————
9.	पैरा 18.	श्री सीता राम चौहान जिला षिक्षा अधिकारी धर्मषाला द्वारा दोहरे भुगतान का बिल ऑडिट में प्रस्तुत करने बारे ।
10.	पैरा 19	बोर्ड की वाहन एच.आई.के. 222 द्वारा प्राईवेट यात्रा करने के ऐवज में वसूली करने बारे ।
11.	पैरा 20	गाड़ी नं0 एच.आई.के—63 की दुर्घटना के कारण मुरम्मत व बीमा कम्पनी से मुरम्मत की राषि के बराबर बोर्ड खाते में जमा करवाने बारे ।
12.	पैरा 21	सरकारी वाहनों के लिए पैट्रोल की खपत में बचत बारे ।
13.	पैरा 25	बोर्ड अध्यक्ष श्री एस.एस. सिद्दू द्वारा वितायुक्त (अपील) के बतौर किए गए प्रवास के दैनिक व यात्रा भत्ता खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार से किये जाने बारे ।
14.	पैरा 26	परीक्षा में नियुक्त किए गए मुख्य/उप परीक्षकों से मेहनताना की वसूली बारे ।
15	पैरा 27	केन्द्र अधीक्षकों के विरूद्व बकाया अग्रिम राषि के बारे में ।

16	पैरा 28	यात्रा भत्ता बिलों का बिना जांच पड़ताल के लेखा परीक्षा शाखा में भुगतान पारित करने के प्रस्तुतीकरण बारे ।
17	पैरा 29–क	उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन बारे ।
18	पैरा 29–ख	स्थल मूल्यांकन केन्द्र कमषः सोलन, उना पालमपुर तथा नादौन से सम्बन्धित फुटकर विपत्रों के अंकेक्षण बारे ।
	पैरा 30	वैन द्वारा विभिन्न परीक्षाओं की सामग्री ले जाने बारे ।
19	पैरा 31	₹1,15,500 / – अग्रिम राषि के रूप में पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी गाईड रिडिंग जमा दो का भुगतान केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड, दिल्ली के पक्ष में करने उपरान्त समायोजन लेखे प्रस्तुत न करने बारे ।
20.	पैरा 32	₹100 / – मुकदमें की स्थगन लाग का उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
21.	पैरा 33–क	₹3000 / – की अग्रिम राषि का विभागीय समिति की बैठक में चायपान व भोज इत्यादि के लिए अस्थाई तौर पर पारित किए जाने बारे ।
	पैरा 33–ख	सूचि रजिस्टर का रख–रखाव करने बारे ।
	पैरा 33–ग	बोर्ड की सम्पति एवं स्टॉक रजिस्टरों का प्रति वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाये जाने बारे ।
	पैरा 33–घ	परीक्षा कार्य के लिये नियुक्त अध्यापकों को उनके पारित पारिश्रमिक बिलों का भुगतान काफी समय बाद करने बारे ।
	पैरा 33–ड.	₹30 / – का व्यय रोकड़ वही में अधिक दर्ज किए जाने बारे ।
	पैरा 33–च	किए गए भुगतान से कम राषि की प्राप्ति रसीदों का पाया जाना
	पैरा 33–छ	राशियों के भुगतान होने की पुष्टि में आपेक्षित रसीदें प्रस्तुत न करने बारे।
	पैरा 33–ज	––यथोपरि––
	पैरा 33–झ	पार्ट–टाईम दैनिक भोगियों के मस्ट्रोल में उनका पूरा पता व पिता का नाम का उल्लेख न किये जाने बारे ।
	पैरा 33–ट	बजट प्रावधान दर्षाये बिना ही भुगतान विपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने बारे ।
	पैरा 33–ठ	वर्ष 1991–92 की अधियाचना पर कोई कार्रवाई न करने बारे ।
	vof/k 1992&93 Hkkx&kk	
1.	पैरा 4(ए–1 से ए–5) (बी से आई तक)	वित्तीय स्थिति पर की गई टिप्पणियों बारे ।
2.	पैरा 7	हि0 प्र0 षिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान राषियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे ।
3.	पैरा 8	बोर्ड द्वारा लिए गये ऋण पर किस ब्याज दर से गणना की गई बारे ।
4.	पैरा 9	कैष बुक का लेखा समाधान (रिकन्सीलेषन) न करने बारे ।
5.	पैरा 10–ए	वर्ष 1992–93 मे ₹4,72,735 विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क के कारण वसूल किए जाने शेष थे ।
	पैरा 10–बी व सी	बोर्ड के विभिन्न पुस्तक विकय केन्द्रों की आय बारे ।

6.	पैरा 12	बोर्ड के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियां व तुलना पत्र तैयार न करने बारे ।
7.	पैरा 13—क	श्री धीरेन्द्र मोहिल सहायक (पदच्युत) से राषि ₹31634.45 की वसूली बारे
	पैरा 13—घ	1.1.86 से 31.3.88 तक मकान किराया भत्ता की पहली तीन किष्तों की राषि को अस्थाई तौर पर पारित करने बारे ।
	पैरा 13—ड.	मूल नियम—35 के अधीन स्थानापन्न वेतन को प्रतिबन्धित न किये जाने के सम्बन्ध में ₹6,78,405 / — की अदायगी की वसूली करने बारे ।
	पैरा 13—च	अग्रिम धन राषि के समायोजन बारे ।
	पैरा 13—छ	बोर्ड के कर्मचारियों को षिमला स्तर पर आवास भत्ता दिए जाने बारे ।
8.	पैरा 14—क	विभिन्न अधिकारियों को मानदेय के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र में प्रति निरीक्षण ₹15 / — की दर से दोहरा भुगतान किए जाने बारे
9.	पैरा 17	भविष्य निधि पर ब्याज की गणना वर्ष 1985—86 से लेकर आज तक अर्द्धवार्षिक के स्थान पर वार्षिक आधार पर करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिए जाने उपरान्त भविष्य निधि खातों में ब्याज की वार्षिक आधार पर गणना न किए जाने बारे ।
10.	पैरा 18	यात्रा भत्ता बिलों का बिना जांच पड़ताल के लेखा परीक्षा शाखा में भुगतान पारित करने हेतु प्रस्तुतीकरण करने बारे ।
11.	पैरा 19—क	श्री एस. एस. सिद्धू अध्यक्ष हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड को यात्रा भत्ता बिल वित्तयुक्त अपील के तौर पर कार्य करने की अदायगी की राषि को हि0 प्र0 सरकार से प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 19—ख	अध्यक्ष श्री एस. एस. सिद्धू के अवधि 15.3.91 से 16.3.91 तथा 17.3.92 से 30.3.92 तक के यात्रा भत्ता बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करवाने बारे ।
	पैरा 19—ग	श्री एस.एस. सिद्धू भा0 प्र0 सेवा भूतपूर्व अध्यक्ष एवं वितायुक्त अपील हि0 प्र0 को टैक्सी चार्जिज ₹750 / — की राषि के बराबर सरकार से अनुदान प्राप्त करने बारे ।
12.	पैरा 20	केन्द्र अधीक्षकों के विरूद्व बकाया अग्रिम राषि की वसूली बारे ।
13.	पैरा 21	परीक्षा में नियुक्त किए गए मुख्य / उप परीक्षकों से मेहनताना की वसूली बारे ।
14.	पैरा 22—क	वार्षिक परीक्षा मैट्रिक मार्च, 1992 के प्रषन—पत्रों को टैक्सियों द्वारा भेजे जाने के कारण राषि ₹12115 / — का अनावष्यक व्यय बारे ।
	पैरा 22—ख	बोर्ड निधि से अनावष्यक व्यय बारे ।
	पैरा 22—ग	बोर्ड निधि में से अत्याधिक राषियां बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न परीक्षकों से विभिन्न परीक्षाओं से सम्बन्धित अंक सूचियां एकत्रित करने के लिए दी जाने बारे ।
	पैरा 22—घ	बोर्ड निधि के अस्थाई दुरूपयोग बारे ।
15.	पैरा 23—क	कोर्ट केस 170 / 91 विनोद कुमार सुपुत्र श्री होषियार सिंह बनाम स्कूल षिक्षा बोर्ड धर्मषाला के सम्बन्ध में किये गये व्यय की वसूली सम्बन्धित अध्यापक से करने बारे ।
	पैरा 23—ख	वकीलों को किये गये अस्थाई भुगतान बारे ।

16.	पैरा 24—क	कम प्राप्त कागज का कलेम रेलवे विभाग से करने बारे ।
	पैरा 24—ख	अवधि 6/83 से पहले कागज से सम्बन्धित अभिलेख यथासत्यापित व पूर्ण रूप में ऑडिट को दिखाया नहीं गया है
	पैरा 24—ग	कागज क्रय से सम्बन्धित अग्रिम राषियों का असमायोजित पाया जाना ।
	पैरा 24—घ	कागज क्रय की देनदारी ₹15,56,986/— बनती है, के बारे में ।
	पैरा 24—ड.	उपरोक्त देनदारी से सम्बन्धित अभिलेख निगम के लेखाओं की प्रति प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 24—च	कागज क्रय/समायोजन बारे ।
	पैरा 24—छ	श्री सोहन सिंह प्रभारी कागज गोदाम अम्बाला को अवधि 7/84 से 9.10.92 तक कागज के भाड़े, चूंगी तथा चढ़ाई उतराई व ढुलाई आदि के लिए दी गई अग्रिमों के समायोजन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं बारे।
	vof/k 1993&94	
1.	पैरा 4—ए	बैंक अन्तिम शेष तथा रोकड़ वही के अन्तिम शेष में ₹40,68,161.85 का अन्तर पाया जाना ।
	पैरा 4—बी	प्रत्येक मास के अन्त में रोकड़ का मिलान बैंक तालिकाओं से न किये जाने बारे ।
	पैरा 4—सी	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की पूर्ण आय को बोर्ड की आय में सम्मिलित न करने बारे ।
	पैरा 4—डी	दिनांक 31.3.94 तक गुप्त निधि में जो अन्तिम शेष राषि ₹1,21,302.85 को गणना में लिये जाने बारे ।
	पैरा 4—ई	बैंक पास बुक तथा रोकड़ वही के अन्तिम शेष में ₹28,62,103.19 के अन्तर बारे ।
	पैरा 4—एफ	बोर्ड द्वारा अध्यापक कल्याण निधि की कोई पृथक रोकड़ बही का रख—रखाव न करने बारे ।
	पैरा 4—अ	सामान्य निधि से किये गये निवेषों का रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 4—ब	अंशदायी भविष्य निधि से सम्बन्धित वांछित अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 4—स	अध्यापक कल्याण निधि के अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।
2.	पैरा 7—अ	हि0 प्र0 सरकार के षिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान उसी प्रयोजन पर खर्च किया गया जिसके लिए स्वीकृत किया गया था से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 7—ब	——यथोपरि———
3.	पैरा 9—ए	वर्ष 1990—91 से 1993—94 तक कुल ₹18,86,868/— परीक्षा शुल्क बिलम्ब शुल्क के वसूल किये जाने शेष हैं ।
	पैरा 9—सी	बोर्ड के विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों की आय बारे ।
	पैरा 9—सी	विक्रय डिपुओं की ₹1,62,35,221.75 की राषि पर विभिन्न बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष में कोई भी ब्याज का केडिट नहीं दिया गया है ।

	पैरा 9–डी	नाहन एवं मण्डी विक्रय डिपु की आय पर बैंक ब्याज से ऑडिट विभाग बिल्कुल सहमत नहीं है ।
4.	पैरा 11	बोर्ड के वार्षिक लेखा व तुलन पत्र पर की गई टिप्पणियों बारे ।
5.	पैरा 12	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को धर्मषाला में षिमला के समान आवास भत्ता एवं अन्य भत्ते प्रदान किये जाने बारे तथा ₹70 लाख के अधिक अनुचित भुगतान बारे ।
6.	पैरा 13	मूल नियम 35 के अधीन स्थानान्पन वेतन को प्रतिबन्धित न किये जाने के सम्बन्ध में ₹6,78,405/– की अदायगी की वसूली करने हेतु ।
7.	पैरा 14–ए	परीक्षा संचालन सम्बन्धी अनियमित व्यय बारे ।
	पैरा 14–बी	केन्द्र अधीक्षकों से ₹19055.45 की वसूली बारे ।
	पैरा 14–सी	परीक्षाओं के संचालन हेतु नियुक्त अधीक्षकों/उपाधीक्षकों द्वारा 8 कि0मी0 की परिधि के अन्दर के यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करने बारे ।
	पैरा 14–डी	स्थल मूल्यांकन प्रभारियों से वसूली करने बारे ।
	पैरा 14–ई	परीक्षकों, चैकिंग सहायक, मुख्य परीक्षक जो 8 कि0मी0 परिधि के भीतर नियुक्त किए गये थे द्वारा दूरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण यात्रा भत्ता की, की गई अदायगी की वसूली बारे ।
	पैरा 14–एफ	₹3475/– की वसूली बारे ।
8.	पैरा 15–ए	मुद्रित पुस्तकों पर आर्थिक दण्ड के लिए तिथि निर्धारण हेतु नियमों की अस्पष्टता बारे ।
	पैरा 15–बी	मुद्रकों द्वारा मुद्रित की गई पुस्तकों के सैम्पल प्रतियों की सकन्ध प्रविष्टियों बारे ।
	पैरा 15–सी	मुद्रित पुस्तिका 'हम और हमारा देष' में पुर्नावलोकन करने वाले विषय विषेषज्ञ अध्यापक द्वारा पुर्नावलोकन के दौरान अनगिनत अषुद्धियों का अंगित न किया जाना ।
	पैरा 15–डी	पुर्नवलोकन करने बाले अध्यापकों द्वारा मुद्रित पुस्तकों में लेखकों द्वारा लिखित शब्दों में संषोधन/परिवर्तन किया जाना ।
	Hkkx&3	
i|Lrd fod; dUnk d vd{k.k l lEcfU/kr A		
1.	पैरा 2	प्रत्यक्ष सत्यापन में ₹8,55,810.35 की कम पाई गई पुस्तकों के बारे में ।
2.	पैरा 3	चार्ज लेते/देते समय ₹1,44,038.45 राषि की कम पुस्तकों के सौंपने के कारण बोर्ड निधि का दुर्विनियोजन बारे।
3.	पैरा 4	जिला षिक्षा अधिकारियों को आपूर्ति की गई पुस्तकों की राषि वसूलने बारे
4.	पैरा 5	पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा पुसतक विक्रय करते समय कम दर लगाने व अनियमित छूट देने के कारण ₹76,974.90 की कम राषि वसूल करने बारे ।
5.	पैरा 6	बेची गई पुस्तकों की राषि की अपेक्षा बैंक में कम राषि का जमा करवाया जाना ।
6.	पैरा 7	विभिन्न डिपुओं के स्टॉक रजिस्टरों की जांच करते समय डिपो प्रभारियों से ₹4,65,286.45 की वसूली बारे ।

7.	पैरा 8–क	एक डिपो से दूसरे डिपो को स्थानान्तरित पुस्तकों के बारे में ।
	पैरा 8–ख–1	नाहन डिपो का रिकार्ड माह 6/90 से पहले अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान उपलब्ध न करवाये जाने बारे ।
	पैरा 8–ख–2	सोलन डिपो का रिकार्ड दिनांक 15.1.85 से पहले ऑडिट के दौरान उपलब्ध न करवाये जाने बारे इस अवधि में अनेक गंभीर अनियमिततायें गवन व घपले बोर्ड प्रषासन के ध्यान में पहले से ही हैं ।
	पैरा 8–ग	पुस्तकों की स्थान्तरित मात्रा से कम पुस्तकें स्टॉक रजिस्टर में लेने के फलस्वरूप ₹105474/– की राषि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होने बारे ।
	पैरा 8–घ	मुद्रकों द्वारा प्रत्येक विषय की कितनी मात्रा आपूर्ति की थी का रिकार्ड उपलब्ध न करवाने बारे ।
8.	पैरा 9	रददी बेचने पर प्राप्त आय का बैंक खातों/बोर्ड में जमा करने सम्बन्धित रिकार्ड का प्रस्तुत न करना ।
9.	पैरा 10	स्टाक रजिस्टरों में अनुपयोगी/ अप्रचलित/ पाठ्यक्रम से बाहर पुस्तकों का काफी मात्रा में पाया जाना ।
10.	पैरा 11	निष्क्रय/पाठ्यक्रम में तबदीली के कारण अनुपयोगी पुस्तकों को रददी के रूप में बेचने बारे ।
11.	पैरा 12	छूट प्रदान करने का बजट में प्रावधान न करने बारे ।
12.	पैरा 13	डिपो बैंक खातों पर दिये गये ब्याज को बोर्ड की मुख्य रोकड़ में न लेने बारे ।
13.	पैरा 14	डिपो के बैंक खातों से मुख्यालय को स्थानान्तरित राषियां बोर्ड के मुख्य खातों में यथावत जमा हो चुकी हैं से सम्बन्धित अभिलेख ऑडिट को उपलब्ध न करवाने बारे।
14.	पैरा 15–क	स्टॉक रजिस्टरों के अनुसार प्रत्येक वर्ष बेची गई पुस्तकों की कीमत का विवरण बारे ।
	पैरा 15–ख	₹55,163.25 की राषि की पुस्तकें चम्बा डिपो से भरमौर डिपो को स्थानान्तरित की गई परन्तु चम्बा डिपो के ऑडिट के दौरान भरमौर डिपो का रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया ।
	पैरा 15–ग	नाहन व सोलन डिपो के रिकार्ड के गुम होने बारे ।
15.	पैरा 16	अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों से स्थानान्तरित की गई राषियों के बारे में ।
16.	पैरा 17	डिपो व केन्द्रीय रिकार्ड के रख–रखाव बारे ।
17.	पैरा 18–क	पुस्तक विक्रय केन्द्र जसूर में ₹89906.75 की कीमत की पुस्तकें जसूर में आई बाढ़ में बह गई दर्षाने बारे ।
	पैरा 18–ख	शिक्षा बोर्ड की ब्रांचों एवं अन्य व्यक्तियों की पाठ्य पुस्तकें बतौर कम्लीमैंटरी जारी की गई जिनका मूल्य ₹9627.05 था परन्तु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आपेक्षित है ।
	पैरा 18–ग	डिपो कुल्लू की रोकड़ बही व बैंक शेष में ₹41007.50 के अन्तर बारे ।
	पैरा 18–घ	सभी डिपुओं की प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट ऑडिट को उपलब्ध करवाने बारे।

	vof/k 1994&95	
1.	पैरा 4–ए	गुप्त निधि के अन्तिम शेष ₹2,21,795.60 को अन्तिम शेष के रूप में न दर्षाने बारे ।
	पैरा 4–बी	रोकड़ के अन्तिम शेष व बैंक में पड़ी राषि के मध्य एक भारी अन्तर का परिलक्षित होना ।
	पैरा 4–सी	प्रत्येक मास के अन्त में रोकड़ का मिलान बैंक तालिकाओं से नहीं किये जाने बारे ।
	पैरा 4–डी	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की पूर्ण आय बोर्ड की आय में सम्मिलित न करने बारे
	पैरा 4–ई	एफ.डी.आर. रजिस्टर को अंकेक्षण हेतु उपलबध न करवाने बारे
	पैरा 4–एफ	अध्यापक कल्याण निधि की पृथक रोकड़ वही तैयार न करने बारे।
2.	पैरा 7–अ	बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण की वापसी उपदान राषि से करने बारे
	पैरा 7–ब	प्राप्त अनुदान राषियों को केवल उन्हीं प्रयोजनों पर खर्च किया गया जिनके लिए स्वीकृत की गई थी से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 9–ए	परीक्षा शुल्क के रूप में ₹6,07,243.00 दिनांक 31.3.95 तक वसूल करने शेष बारे ।
	पैरा 9–बी	केन्द्र अधीक्षकों द्वारा स्टे केस के रूप में प्राप्त शुल्क का बोर्ड कार्यालय को प्रेषित न किया जाना ।
	पैरा 9–सी	वर्गीकृत लेखा वर्ष 1994–95 पर की गई आपत्तियों बारे ।
	पैरा 9–डी	बोर्ड के समस्त पुस्तक विक्रय केन्द्रों की आय को बोर्ड की मुख्य रोकड़ बही में सम्मिलित न करने बारे ।
	पैरा 9–ई	विक्रय डिपुओं की ₹52,31,519.70 की राषि पर बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष में कोई भी ब्याज का क्रेडिट न दिए जाने बारे ।
	पैरा 9–जी	वर्ष 1994–95 के दौरान बेची गई पुस्तकों के सन्दर्भ में विक्रय शाखा से प्राप्त सूचना व तत्सम्बन्ध में लेखा शाखा–4 में विरोधाभास बारे ।
	पैरा 9–एच	मार्च, 1994 व जून 1994 में हुई मिडल मैट्रिक एवं जमा दो की परीक्षाओं के परिणामों के गजटों की विक्री से प्राप्त आय बारे ।
3.	पैरा 10–2–बी	गुप्त निधि के अन्तिम शेष बारे ।
	पैरा 10–6	दिनांक 31.3.95 तक ₹2048345/– मूल्य की डाक टिकटों का समायोजन करवाया जाना शेष ।
	पैरा 10–12	13.3115 मी0टन कागज के प्राप्त न होने की कीमत रेलवे विभाग से वसूल करने बारे ।
	पैरा 10–12–ए–1	पुस्तक विक्रय केन्द्रों के प्रभारियों को दी गई अग्रिमों के समायोजन बारे ।
	पैरा 10–12–ए–2	₹414/– की राषि सम्बन्धित प्रिन्टर्ज से वसूल करके बोर्ड के खाते में जमा करवाने बारे ।
	पैरा 10–13–1	प्रभारी कागज गोदाम अम्बाला व मैहतपुर के विरूद्व ₹430000/–असमायोजित अग्रिम राषि बारे ।

	पैरा 10—13—2	श्री सोहन सिंह प्रभारी कागज गोदाम अम्बाला को ₹222047.40 अग्रिम रूप में औरियन्ट पेपर मिल से कागज खरीद हेतु दिया गया व राषि का असमायोजित पाया जाना ।
	पैरा 10—13—3	श्री विजय कुमार प्रभारी, गोदाम मैहतपुर से अग्रिम राषि ₹13,06,290/— के समायोजन लेखे प्रस्तुत न करने बारे ।
4.	पैरा 11	वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
5.	पैरा 12	अंशदायी भविष्य निधि में उपलब्ध कुल राषि की तुलना में बोर्ड की देनदारी ₹38,37,483/— अधिक होने बारे ।
6.	पैरा 13	हि0 प्र0 आवासीय बोर्ड से आवासीय कालोनी चीलगाड़ी में डुप्लेक्स भवनों के क्रय बारे ।
7.	पैरा 14—क	₹13074/— का बकाया आवास भत्ता बिल की स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा धारा 19(3) में देने उपरान्त बोर्ड का अनुमोदन न दिखाने बारे ।
	पैरा 14—ख	वेतन वृद्धि की गलत तिथि दर्षाने के परिणामस्वरूप श्री कंवर सिंह, व0 स0 को किये गए अधिक भुगतान की वसूली बारे ।
8.	पैरा 15	उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
9.	पैरा 16	स्टाक रजिस्टर का निर्माण/रख—रखाव बारे ।
10.	पैरा 17—ए	परीक्षा संचालन सम्बन्धी अनियमित व्यय बारे ।
	पैरा 17—बी	केन्द्र अधीक्षकों से ₹29125.95 की वसूली बारे ।
	पैरा 17—सी	परीक्षाओं के संचालन हेतु नियुक्त अधीक्षकों/उप अधीक्षकों से ₹652/— की वसूली बारे ।
	पैरा 17—डी	नये व पुराने परीक्षा केन्द्र से सम्बन्धन शुल्क की वसूली किये जाने बारे ।
11.	पैरा 18	विविध अनेक मामलों में मांगी गई सूचना का उपलब्ध न करवाया जाने बारे
(III)	10 c"kkl ls vf/kd vfu.khr iM iijk dk fooj.k A vof/k 1995&96 ls 2000&01 vof/k 1995&96	
1.	पैरा 4—ए—1	रोकड़ बही व बैंक शेष में ₹1,71,01,761.38 के अन्तर का परिलक्षित होना
	पैरा 4—बी	बोर्ड द्वारा लिये गये ऋण राषि का प्रयोग तथा देय ब्याज का भुगतान स्वीकृत शर्तों के अनुरूप किया गया बारे ।
	पैरा 4—सी	वर्ष 1995—96 में पुस्तक विक्रय से प्राप्त राषि ₹4,11,01,393.84 में से ₹3,00,79,279/— जो बोर्ड मुख्यालय को स्थानान्तरित किए गए ही बोर्ड की आय की गणना में लिये जाने बारे ।
	पैरा 4—डी	रोकड़ बही का बैंक तालिकाओं से प्रतिमास मिलान न करने बारे
	पैरा 4—ई	वर्ष 1995—96 से सम्बन्धित निवेष का रिकार्ड न दिखाये जाने बारे ।
	पैरा 4—एफ	गुप्त निधि के उपयोगिता प्रमाण—पत्र बारे ।
2.	पैरा 7	प्राप्त अनुदान राषि से शेष बची राषि बारे ।
3.	पैरा 8—1	राषि ₹24,94,111/— वर्ष 1994—95 तक परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष है ।

	पैरा 8–2	परीक्षा शुल्क की आय ₹307379 को अवर्गीकृत दर्षाने बारे ।
	पैरा 8–बी–1	वित्तीय स्थिति की वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के उदेष्य से विभिन्न डिपो खातों में रखी गई राषियों को रोकड़ बही में सम्मिलित करने बारे ।
	पैरा 8–बी–2	कुल्लू डिपो द्वारा बैंक में जमा की गई राषि ₹26,19,294.45 पर सम्बन्धित बैंक द्वारा ब्याज न दिये जाने बारे ।
	पैरा 8–बी–3	बैंकों द्वारा विभिन्न डिपुओं के खाताओं पर ब्याज न दिए जाने बारे ।
4.	पैरा 9–1	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड कर्मचारियों को धर्मषाला में षिमला के समान आवास भत्ता दिये जाने बारे ।
	पैरा 9–2	गलत वेतन निर्धारण में सुधार व अधिक भुगतान हुई राषि की वसूली बारे
5.	पैरा 10–1	अंशदायी भविष्य निधि में कुल राषि की तुलना में बोर्ड की देनदारी ₹1,33,81,346.95 अधिक बारे ।
	पैरा 10–2	सी.पी.एफ. निवेष रजिस्टर का सही ढंग से न बनाया जाना ।
	पैरा 10–3	एन.सी.पी.एफ. कैष बुक व पासबुक ऑडिट में प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 10–4	टैक्सी किराये पर लेने का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
6.	पैरा 11	2790 कि0मी0 टैक्सी षिमला में स्थानीय यात्रा के लिए चलाने का औचित्य स्पष्ट करने व दोषियों के विरूद्व कार्रवाई बारे ।
7.	पैरा 12–1	डिपाजिट वर्क्स के अन्तर्गत दी गई राषियों का असमायोजित पाया जाना ।
	पैरा 12–2	पारषियल सैल्फफायनैंस स्कीम के अन्तर्गत निर्माणाधीन संजौली षिमला में 10 फलैट खरीदने हेतु अग्रिम राषि के बिल का अस्थाई तौर पर पारित करने बारे ।
8.	पैरा 14	वर्ष 1995–96 के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
9.	पैरा 15	केन्द्र अधीक्षकों से ₹674/– की वसूली बारे ।
10.	पैरा 16–1	मैसर्ज बीर भूमि प्रिन्टर्ज जालन्धर के 20 प्रतिषत बकाया बिलों का भुगतान बैंक ड्राफट नं0 326138 दिनांक 6.5.94 द्वारा किये जाने बारे।
	पैरा 16–2	ऋण/ब्याज वापसी बारे ।
	पैरा 16–3	स्टाक रजिस्टर का निर्माण/रख–रखाव बारे ।
	vof/k 1996&97	
1.	पैरा 6–ख	बोर्ड द्वारा प्राप्त नगद प्राप्तियों को बैंक में देर से भेजने बारे ।
	पैरा 6–ग	विभिन्न राषियों का बोर्ड निधि में बैंक क्रैडिट न बताया जाना ।
2.	पैरा 9	वर्ष 1996–97 में ₹7,97,333/– परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क के वसूल किये जाने बारे ।
3.	पैरा 10–1	बोर्ड डिपुओं की पूर्ण आय को बोर्ड आय में सम्मिलित न करने बारे ।
	पैरा 10–2	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों द्वारा प्राप्त आय पर बैकों द्वारा ब्याज न दिए जाने बारे ।
	पैरा 10–3	यह सुनिष्चित करने बारे कि बोर्ड ने सम्बन्धित बैकों से अन्य डिपुओं द्वारा जमा राषियों पर स्वीकृत दर पर यथोचित ब्याज प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 10–4	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की विवरणियां अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाने बारे ।

4.	पैरा 11—ए—1	ज्ञानालोक पत्रिका व ज्ञानालोक मासिक समाचार से सम्बन्धित आय व्यय अभिलेख जांच हेतु ऑडिट को अविलम्ब प्रस्तुत करने बारे ।
	पैरा 11—ए—2	अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी की गणना करने हेतु रिकार्ड उपलब्ध करवाने बारे ।
	पैरा 11—ए—3	वर्ष 1996—97 की सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों द्वारा संचालित बैंक खातों की बैंक विवरणियां प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 11—ए—4	पुस्तक विक्रय केन्द्रों द्वारा किये गये निवेषों का विवरण प्रस्तुत करने बारे ।
	पैरा 11—ए—5	जे. बी. टी. प्रवेष परीक्षा की आय की जांच आवष्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण न किए जाने बारे ।
	पैरा 11—ए—6	जे. बी. टी. प्रारम्भिक प्रवेष परीक्षा 9/96 से सम्बन्धित रसीद संख्याः 37801 से 37850 तक ऑडिट में उपलब्ध न करवाने बारे
	पैरा 11—ए—7	जे. बी. टी. प्रारम्भिक प्रवेष परीक्षा 9/96 के व्यय सम्बन्धी वाउचर प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 11—ए—8	जिन बैंक ड्राफटों का क्रेडिट अभी तक बोर्ड कार्यालय को बैंक द्वारा नहीं दिया गया, की सूचि उपलब्ध न करवाने बारे ।
	पैरा 11—ए—9	वर्ष 1996—97 के दौरान सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभागीय निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन की निरीक्षण रिपोर्टें उपलब्ध न करवाने बारे ।
5.	पैरा 12—ए	वर्ष 1996—97 से सम्बन्धित कागज का लेखा जोखा न प्रस्तुत करने बारे ।
	पैरा 12—ए—2	श्री मस्त राम शर्मा, वरिष्ठ सहायक द्वारा ₹105000/— की राषि की शासकीय डाक टिकटें क्रय हेतु ली गई अग्रिम राषि का असमायोजित रहने बारे ।
	पैरा 12—बी	बोर्ड प्रषासन द्वारा 50 हजार से कम मात्रा में पुस्तकें मुद्रण करवाने के फलस्वरूप बोर्ड को लगभग ₹1,22,760/— की हानि होने बारे ।
6.	पैरा 13—क	वरिष्ठ सहायकों को ₹80/— प्रतिमास विषेष भत्ता स्वीकृत किए जाने बारे
	पैरा 13—ख	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को धर्मषाला में षिमला के समान आवास भत्ता का दिया जाना ।
	पैरा 13—ग	बोर्ड के 55 वरिष्ठ सहायकों का वेतन मूल नियम—35 के अधीन प्रतिबन्धित न करने व प्रषासनिक न्यायालय द्वारा लगाये गये स्थगन आदेष पर अन्तिम निर्णय बारे ।
7.	पैरा 15	राशि ₹978.50 की वसूली सम्बन्धित अध्यापकों से करने बारे ।
8.	पैरा 17—क	श्री कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ सहायक से यात्रा भत्ता दावा अवधि 25.6.05 से 15.10.95 तक किए गए अधिक भुगतान की वसूली करने बारे ।
9.	पैरा 18	श्री कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ सहायक के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही अम्ल में लाने बारे ।
10.	पैरा 20	वर्ष 1996—97 के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणी बारे ।
11.	पैरा 21—1	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड बनाम श्री जगदीश चन्द के मामले में माननीय उच्च न्यायलय द्वारा बोर्ड को ₹50,000/— तथा कोर्ट फीस जमा करवाने के आदेष दिए उक्त राषि बोर्ड में वापिस कर दी गई है अथवा नही के बारे में ।
	पैरा 21—2	स्टाक रजिस्टर का निर्माण रख—रखाव बारे ।

	vof/k 1997&98 Hkkx&2	
1.	पैरा 3—ए—1	प्राप्तियों में ₹6,00,000/— जो वर्ष 1995—96 में बतौर ऋण प्राप्त किये व ₹95,00,000/— जो ऋण स्वरूप वापिस किए गए व्यय को आय व व्यय में न लेने बारे ।
	पैरा 3—ए—2	वर्ष 1997—98 में रोकड़ बही अन्तिम शेष व बैंक अन्तिम शेष में ₹2,86,88,660/— के अन्तर का परिलक्षित होना ।
	पैरा 3—ए—3	रोकड़ वही का बैंक तालिकाओं से प्रतिमास मिलान न करने बारे
	पैरा 3—बी	वर्ष 1995—96 से 1996—97 तक की बैंक विवरणियां बोर्ड प्रषासन द्वारा उपलब्ध न करवाने के कारण ऋण की लेन व देनदारी की पूर्ण समीक्षा न हो पाना ।
	पैरा 3—बी—ख	बैंक द्वारा अनाधिकृत रूप में बोर्ड से ₹5055.40 अधिक ब्याज ऋण पर चार्ज करने बारे ।
	पैरा 3—सी	वर्ष 1997—98 से सम्बन्धित निवेष अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण आडिट दृष्टिकोण से जांच न हो पाना ।
	पैरा 3—डी	बोर्ड की सामान्य रोकड़ बही में डिपुओं की समस्त आय की अपेक्षा केवल स्थानान्तरित राषियों के लिये जाने बारे ।
2.	पैरा 5—ए	बोर्ड द्वारा सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों का हिसाब किताब बोर्ड मुख्यालय में न रखने बारे ।
	पैरा 5—बी	डिपुओं की आय से सम्बन्धित अधूरी सूचनाएं आडिट को उपलब्ध करवाने बारे ।
	पैरा 5—सी	दिनांक 29.3.95 को ₹18,00,000/— का चैक षिमला बुक डिपो के बैंक खाता संख्याः 1129 से सीधा हाउसिंग बोर्ड षिमला को जारी कर दिया गया परन्तु इस राषि को वर्ष 1996—97 व 1997—98 की प्राप्तियों/भुगतान में नहीं लिये जाने बारे ।
	पैरा 5—डी	कुल्लू डिपो से चैक नं0 548403 दिनांक 6.3.98 व चैक नं0 722420 दिनांक 4.11.97 द्वारा क्रमषः ₹10,80,000/— व ₹5,20,000/— की राषि बैंक खाता संख्याः 714 के लिए स्थानान्तरित की गई परन्तु क्रेडिट उक्त विवरणी में न पाये जाने बारे ।
	पैरा 5—ई	डिपुओं से निवेष की गई राषियों का विवरण उपलब्ध न करवाने बारे ।
	पैरा 5—एफ	वर्ष 1997—98 के दौरान सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभागीय निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन से सम्बन्धित निरीक्षण रिर्पोटें उपलब्ध करवाने बारे ।
	पैरा 5—जी	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की अवधि 1.4.97 से 31.3.98 तक की बैंक विवरणियां उपलब्ध न करवाने बारे ।
	पैरा 5—एच	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की विवरणियां अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाने बारे ।
	पैरा 5—आई	कुल्लू डिपो, मण्डी व षिमला डिपो द्वारा बैंक में जमा राषियों पर बैंक द्वारा ब्याज न दिए जाने बारे ।
	पैरा 5—जे	बैंक द्वारा कम ब्याज राषि दिए जाने बारे ।

3.	पैरा 6—क	गुप्त निधि से ₹655.60 की अनुपयुक्त शेष राषि को वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में न दर्षाने बारे ।
	पैरा 6—ख	वर्ष 1997—98 में पी.एन.बी. बैंक ड्राफटों के माध्यम से प्राप्त हुई कुल राषि ₹17,47,082/— की केडिट प्रविष्टियां पी.एन.बी. खाता संख्याः 16825 की बैंक विवरणियों में न पाया जाना ।
4.	पैरा 7	प्राप्त अनुदान राषि स्वीकृत प्रयोजनों पर ही व्यय की गई बारे ।
5.	पैरा 9	परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क के रूप में वर्ष 1997—98 में ₹9,91,183/— तथा वर्ष 1990—91 से 31.3.97 तक ₹40,88,777/— वसूली हेतु शेष ।
6.	पैरा 10—क	जारी चैकों की डेबिट प्रविष्टियां बैंक खाता में न पाए जाने बारे
7.	पैरा 11—क	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड कर्मचारियों को धर्मषाला में षिमला के समान आवास भत्ता दिये जाने बारे ।
	पैरा 11—ख	श्री ईष्वर दास शर्मा व श्री हरि चन्द के वेतन निर्धारण बारे ।
8.	पैरा 12	गैर उत्पादकीय व फजूल खर्च बारे ।
9.	पैरा 13	ऐच्छिक निधि से बोर्ड द्वारा स्वीकृत राषि से अधिक राषि का स्वीकृत किया जाने बारे ।
10.	पैरा 17—1	अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी सी.पी.एफ. निधि के विरूद्व ₹2,71,11,570/— से अधिक होना ।
	पैरा 17—2	निवेश की राषि को परिपक्वता तिथि को न भुनाने बारे ।
	पैरा 17—3	सी. पी. एफ. खाते व अन्य खातों से किए गए निवेषों के रजिस्टर का उपलब्ध न करवाना ।
	पैरा 17—4	गैर अंषदायी भविष्य निधि की देनदारी एन.सी.पी.एफ. के विरूद्व ₹44,91,803/— से अधिक होना ।
	पैरा 17—5	सी. पी. एफ. व एन.सी.पी.एफ. खातों की कोई भी कैष बुक न रखने बारे ।
11.	पैरा 18	ज्ञानालोक पत्रिका व ज्ञानालोक मासिक समाचार से सम्बन्धित आय व्यय अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
12.	पैरा 20	कागज के लेखा जोखा बारे ।
13.	पैरा 21	बोर्ड द्वारा अधिकतर अभिलेखों को या तो रखा ही नहीं गया है या अधूरे रखो गये हैं, बारे में ।
14	पैरा 22	बोर्ड के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
15.	पैरा 23	श्री लाल बहादुर लिपिक व श्री प्रताप चन्द माली के यात्रा भत्ता बिलों बारे
16.	पैरा 25	राषि ₹11,000/— की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी व अधिकारी से करने बारे
17.	पैरा 26—क	बोर्ड के डैड स्टाक को बेचने पर प्राप्त आय को बोर्ड निधि में समय पर जमा न करवाने के सन्दर्भ में ।
	पैरा 26—ख	मै0 इम्पिरियल प्रिटिंग प्रैस के0 बी0 धर्मषाला के ₹8000/— के बिल बारे
	पैरा 26—ग	मुद्रण नियम की बार—2 उल्लघंना करने बारे ।
	पैरा 26—घ	श्री अरविन्द कुमार सुमन से ₹309/— की राषि वसूल करने हेतु बकाया ।

	पैरा 26–च	स्टाक रजिस्टर के निर्माण व रख–रखाव बारे ।
	vof/k 1998&99 Hkkx&kk	
1.	पैरा 4–ए	रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹97,89,418.72 के अन्तर का परिलक्षित होना ।
	पैरा 4–बी	ऋण प्राप्ति व भुगतान शर्तों बारे ।
2.	पैरा 6	आन्तरिक जांच सुदृढ़ करने बारे ।
3.	पैरा 10–क	निम्नलिखित बैंक खातों में राषियों का क्रेडिट का न पाये जाने बारे । पी.एन.बी.–II खाता सं0 2980 राषि ₹14,12,976/– एस.बी.आई –976 राषि ₹12,94,911/– पी.एन.बी.–1 खाता सं0 16825 राषि ₹1,09,833/–
4.	पैरा 10–ख	आठवीं/दसवीं/जमा दो की वार्षिक परीक्षाओं में सामूहिक नकल एवम अन्य अनियमितताओं के कारण पुनः ली गई परीक्षाओं के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी से ₹25/– अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्राप्त करने से सम्बन्धित अभिलेख ऑडिट को न दिखाने बारे ।
5.	पैरा 11–क	बोर्ड की गाड़ियों की टैस्ट रन रिर्पोट बारे ।
6.	पैरा 11–ख	बोर्ड वाहन जिप्सी एच.आई.के.–222 की लॉग बुक की जांच बारे
7.	पैरा 12	बोर्ड द्वारा मकान खरीदने बारे ।
8.	पैरा 14–ख	टैंडर प्रपत्र की सेल की राषि की जांच करने के उदेष्य से वांछित अभिलेख उपलब्ध न करवाने बारे।
	पैरा 14–ग	मैहतपुर गोदाम में रखे गये मुद्रण कागज का प्रत्यक्ष सत्यापन करने बारे।
9.	पैरा 16	गत वर्षों में अंषदायी भविष्य निधि मे से किए गए समस्त निवेषों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत न करने बारे ।
10.	पैरा 17	हि0 प्र0 प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड कर्मचारियों को धर्मषाला में षिमला के समान आवास भत्ता दिये जाने बारे ।
11.	पैरा 18	प्रत्येक वर्ष हि0 प्र0 सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों के एवज में प्राप्त राषियों व वसूली हेतु लम्बित राषियों का विवरण सत्यापन हेतु प्रस्तुत न करने बारे ।
12.	पैरा 20–क	बिजली के सामान से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर ऑडिट को उपलब्ध न करवाने बारे ।
13.	पैरा 21	वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
14.	पैरा 22–1	बिजली बिल बारे ।
	पैरा 22–2	लेखा शाखा द्वारा वर्ष 1996–97 व 1997–98 में ऑडिट द्वारा पारित करवाए गए बिलों का भुगतान न किये जाने बारे ।
	पैरा 22–4	तत्कालीन सचिव श्री आर.एस.नेगी से आंवटित डुप्लैक्स आवास टाईप–5 का किराया ₹140/– प्रतिमाह की दर से वसूली बारे
	पैरा 22–6	केन्द्र अधीक्षक केन्द्र ज्वाली (कांगड़ा) श्री मुलख राज से ₹89/– की वसूली बारे ।
16.	पैरा 15	ज्ञानालोक पत्रिका एवं समाचार पत्र की आय व व्यय सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।

	vof/k 1999&2000 Hkkx&1	
1.	पैरा 2–4	रोकड़ शेष तथा बैंक शेष के आंकड़ों में ₹93,19,653.51 के अन्तर बारे ।
	पैरा 2–ख	जिन–2 बैंक ड्राफटों का केडिट बैंक द्वारा नहीं दिया गया उनका विवरण तैयार करने बारे ।
	पैरा 2–ग	रोकड़ बही का बैंक तालिकाओं से प्रतिमाह मिलान न करने बारे
	पैरा 2–घ	ज्ञानालोक पत्रिका के प्रकाषन से प्राप्त समस्त आय को रोकड़ व वार्षिक लेखा में सम्मिलित करने बारे ।
	पैरा 2–ड.	बैंक विवरणियों में से अत्याधिक राषियों के हस्तांतरण बारे ।
	पैरा 2–छ–2	सामान्य खातों में से किए गए निवेषों की प्रविष्ठियां निवेष रजिस्टर में न किए जाने बारे ।
2.	पैरा 4–क	वर्ष 1999–2000 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के छात्रों से ₹15,00,297/– दिनांक 31.3.2000 तक वसूले जाने शेष थे ।
	पैरा 4–ख–1	शिक्षा विभाग हि0 प्र0 सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों के प्रतिफल में शेष बकाया राषि की वसूली बारे ।
	पैरा 4–ख–2	वर्ष 1999–2000 के दौरान रोकड़ बही अनुसार ₹6,77,67,950/– की राषि षिक्षा विभाग से प्राप्त की परन्तु यह किस वर्ष से सम्बन्धित थी अवगत नहीं करवाया गया।
3.	पैरा 5	शिक्षा बोर्ड द्वारा गत कई वर्षों से अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ वही का रख–रखाव न करने बारे ।
	Hkkx&2	
1.	पैरा 3–2	ऋण राषि को बोर्ड के वार्षिक लेखा में भी ऋण प्राप्ति स्वरूप न दर्षाने बारे ।
	पैरा 3–3	लिये गये ऋण की स्वीकृति हि0 प्र0 सरकार से लेने बारे ।
2.	पैरा 4	'ज्ञानलोक' पत्रिका व ज्ञानलोक मासिक समाचार पत्र से सम्बन्धित आय/व्यय अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे व प्राप्त आय को वार्षिक लेखा में सम्मिलित करने बारे ।
3.	पैरा 7–1	अंशदायी भविष्य निधि/गैर अंषदायी भविष्य निधि में से ₹5,63,000/– की राषि का सम्भावित दुर्विनियोजन बारे ।
	पैरा 7–2	₹563000/– की राषि अहरित की गई परन्तु इस सम्बन्ध में आवष्यक वाउचर/अन्य अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये ।
	पैरा 7–ख–1	अंशदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि खाते में जमा करवाई गई/आहरित राषियों का मिलान बैंक विवरणी से गत कई वर्षों से नहीं किये जाने बारे ।
	पैरा 7–ख–2	बोर्ड कर्मचारियों के वेतन बिलों में से काटे जा रहे अंषदायी भविष्य निधि/गैर अंषदायी भविष्य निधि को बैंक खाते में देरी से जमा करवाए जाने के कारण ब्याज की हानि बारे ।
	पैरा 7–ख–3	अंशदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधियों में से किए गए निवेष के रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारे ।

4.	पैरा 8	बैंकों में से भुगतान हेतु आहरित राषियों के भुगतान के सम्बन्ध में अभिलेख न रखे जाने बारे ।
5.	पैरा 9	वास्तविक भुगतानों की प्राप्ति रसीदें उपलब्ध न करवाने बारे ।
6.	पैरा 10	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को धर्मषाला में षिमला के सामान आवास भत्ता दिये जाने बारे ।
7.	पैरा 11	अध्यक्ष, हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड को अतिथि सत्कार भत्ता के भुगतान के अतिरिक्त कार्यालय में चाय पान पर हुए व्यय के बिलों का बोर्ड निधि से भुगतान करने बारे ।
8.	पैरा 13–क	कागज निर्गमित किये जाने के कारण इसके उपयोग खपत के सम्बन्ध में कोई भी रजिस्टर दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 13–ख	पुस्तकों के आवरण हेतु मुद्रकों को बोर्ड द्वारा विभिन्न वर्षों में कवर पेपर जारी किया गया परन्तु उपयोग के सम्बन्ध में कोई भी रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।
9.	पैरा 14	मै0 हिन्दुस्तार पेपर कारपोरेषन लिमिटेड द्वारा 799.4797 मि0 टन कागज की प्रेषित प्रथम खेप मेहतपुर गोदाम के स्टाक रजिस्टरों में स्टाक प्रविष्ठियों का न दिखाये जाने बारे ।
10.	पैरा 15	अध्यक्ष बोर्ड के पक्ष में 1.12.99 से ₹3000/– तथा 1.7.2000 से ₹2800/– प्रति दो मास की दर से सरकारी आवासीय दूरभाष के बिलों का भुगतान करने बारे तथा अधिक राषि के भुगतान की वसूली बारे ।
11.	पैरा 16–क	अध्यक्ष स्कूल षिक्षा बोर्ड को निर्मित चिन्हित आवास की अपेक्षा प्राईवेट भवन ₹2200/– प्रतिमास की दर से किराये पर लेने के औचित्य को स्पष्ट करने बारे ।
	पैरा 16–ख	अध्यक्ष स्कूल षिक्षा बोर्ड को उपलब्ध करवाई गई मुफ्त आवास सुविधा बारे तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट करने बारे अन्यथा सम्पूर्ण अवधि हेतु निर्धारित दरों से लाईसैंस फीस की कटौती करने बारे ।
12.	पैरा 17–ख	डिपुओं के कार्य को दैनिक वेतन पर कार्यरत मजदूरों द्वारा निपटाए जाने की सम्भावनाओं का पता लगाने बारे ।
13.	पैरा 18	बैंकों में जमा करवाई गई विभिन्न चैकों/ड्राफटों इत्यादि की राषियों की बाद में बैंक द्वारा अनादरित (डिस्ओनर) करने बारे ।
14.	पैरा 19.	निवेश रजिस्टरों का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे ।
15.	पैरा 20–क	वर्ष 1999–2000 के दौरान सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभागीय निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन की रिपोर्टें उपलब्ध करवाने बारे ।
	पैरा 20–ख	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की विवरणियां अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाने बारे ।
	पैरा 20–ग	स्टाक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्यक्ष सत्यापन करवाने बारे ।
16.	पैरा 21	अचल सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जाना ।
17.	पैरा 23	बोर्ड द्वारा आवास बोर्ड से क्रय किए गए भवन किस–2 प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाये जा रहे हैं, बारे में ।
18.	पैरा 24	स्थल मूल्यांकन केन्द्रों से उत्तर पुस्तिकाओं की ढुलाई प्रभारियों द्वारा अलग–2 दरों से करवाए जाने बारे ।
19.	पैरा 25	अध्यापक कल्याण निधि में से किए गए निवेषों का विवरण प्रस्तुत करने बारे ।

20.	पैरा 27	अंशदायी भविष्य निधि में से किए गए निवेषों बारे ।
21.	पैरा 28	गैस्ट हाउस के अगन्तुक रजिस्टर की जांच बारे ।
22.	पैरा 29	वर्ष 1999–2000 के दौरान षिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त ₹1,67,15,040.50 का क्रेडिट सम्भवतः बैंकों द्वारा न दिए जाने के कारण प्राप्त ब्याज की हानि उठाने बारे ।
23.	पैरा 30	स्कूल षिक्षा बोर्ड को विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न संचालित बैंक खातों में ₹26,72,140/– का कम क्रेडिट दिए जाने बारे ।
24.	पैरा 31	बोर्ड द्वारा विभिन्न बैंकों में जमा करवाये गये ड्राफटों के क्रेडिट अत्याधिक देरी के पष्चात देने बारे ।
	vof/k 2000&2001 Hkkx&k	
1.	पैरा 2	रोकड़ शेष व बैंक शेष के अन्तिम शेषों में ₹47,46,233.64 के अन्तर की समाधान विवरणी तैयार न किया जाना ।
2.	पैरा 6	बोर्ड प्रषासन द्वारा परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क की कितनी–2 राषि प्रत्येक वर्ष विभिन्न परीक्षार्थियों से वसूली जानी शेष है, का अधूरा अभिलेख रखा गया है। अतः 1.4.2000 से पहले संचालित समस्त परीक्षाओं से सम्बन्धित शेष वसूली योग्य प्रवेष शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क की वसूली हेतु पूर्ण विवरण दिया जाए कि दिनांक 31.3.2001 तक उक्त सन्दर्भ में कितनी राषि वसूली हेतु लम्बित है।
3.	पैरा 7	अवधि 1.4.2000 से पूर्व अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ वही न बनाने बारे
	Hkkx&2	
1.	पैरा 4–2	अंशदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि में से निवेषित राषियों पर विभिन्न बैंकों द्वारा ब्याज की गल्त गणना से ₹1,17,875/– की हानि से बचाव बारे ।
2	पैरा 5–1 से 22	वर्ष 1998 से दिसम्बर, 2000 तक की परीक्षाओं से सम्बन्धित केन्द्र अवधारण एवं अतिरिक्त शुल्क और सेन्टर रिटेन्सन फीस की वसूली बारे ।
3.	पैरा 7	आंशिक निर्णीत ।
4.	पैरा 9	श्री जगदीष पुरी सेवा निवृत संयुक्त सचिव की उपदान राषि अवधि 11.2.1963 से 30.6.69 तक पंजाब विष्वविद्यालय से प्राप्त करने बारे ।
5.	पैरा 10	आजाद हिन्द फौज नेता जी सुभाष चन्द बोस की 1,00,000 प्रतियां व 80,000 प्रतियां क्रमषः ₹16,25,000/– व 16,64,000/– नैषनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से क्रय की गई परन्तु उक्त पुस्तकें न तो दस जमा दो के पाठ्य क्रम में सम्मिलित थी न ही इन विषयों की परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की गई थी जिससे इन पुस्तकों की विक्री बहुत कम हुई है
6.	पैरा 11–1	वर्ष 2000–2001 के दौरान स्टॉक में से मुद्रण हेतु जारी कागज के उपयोग एवम् आगामी निपटारे के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
7.	पैरा 11–2	इन्डैंट नं0 705 तथा 134 द्वारा जारी सीडा पेपर का वजन प्रति रिम/बण्डल दर्षाने बारे ।
8.	पैरा 11–3	दिनांक 31.3.01 को शेष दर्षाए गये कागज के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु पग उठाने बारे ।

	पैरा 12—1	₹2,62,602.50 की राषियां विभिन्न बैंकों की बैंक विवरणियों में बैंक कमीषन चार्जिज, गलत क्रेडिट व बैंक ड्राफट के वापिस किए जाने के फलस्वरूप डेविट की गई है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिस कारण रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में अन्तर चला हुआ है ।
	पैरा 12—2	राशि ₹134118/— विभिन्न बैंकों के खातों को बैंक विवरणियों में डेविट किए गए हैं परन्तु अलग—2 राषियों को डेविट करने के समर्थन में कोई चैक जारी नहीं किया गया न ही खर्च से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में दिखाए गए ।
9.	पैरा 16	वर्ष 2000—01 के दौरान सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभागीय निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन से सम्बन्धित निरीक्षण रिर्पोटें लेखा परीक्षा को उपलब्ध न करवाने बारे ।
	पैरा 17	स्टॉक/स्टोर का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना ।
10.	पैरा 18	अचल सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जाना ।
11.	पैरा 19—क	अंशदायी भविष्य निधि खाता के अन्तर्गत बोर्ड की दिनांक 31.3.01 को कुल देनदारी ₹15,08,93,752/— है जबकि इसके विरूद्व कुल ₹14,60,14,016.97 की राषि निवेष, अन्तिम शेष व ब्याज के रूप में इस निधि के बैंक खाता में पड़ी है। इस प्रकार बोर्ड की उक्त खाते की देनदारी उपलब्ध राषियों से ₹48,79,735.03 अधिक है ।
12.	पैरा 19—ख	इसी प्रकार गैर अंषदायी भविष्य निधि खाता के अन्तर्गत बोर्ड की कुल देनदारी ₹1,10,53,221/— के विरूद्व बोर्ड के पास उपलब्ध कुल राषि ₹93,00,696.48 है तथा बोर्ड की उपरोक्त खाता के अन्तर्गत देनदारी उपलब्ध राषियों से ₹17,52,524.55 अधिक है ।
13.	पैरा 20	माननीय प्रषासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा गिरधारी लाल तथा अन्य बनाम स्टेट के मामले के सम्बन्ध में पारित स्थगन आदेष संख्याः 12/94—890—दिनांक 9—2—94/19—2—94 जिसमें बोर्ड कर्मचारियों के मूल नियम—35 के अन्तर्गत वेतन नियतन किया गया था, के सन्दर्भ में ।
14	पैरा 21	वर्ष 2000—01 तक जितना पुनः प्रवेष शुल्क मुख्य/उप परीक्षकों, केन्द्र अधीक्षकों व अन्य आदि से काटा गया पुनः प्रवेष शुल्क लेखा मद में हस्तांतरित किया जाना सुनिष्चित करने बारे
14.	पैरा 22	बैंक ड्राफटों/पोस्टल आर्डरों के द्वारा प्राप्त आय की राषि ₹76,26,267/— के क्रेडिट बारे ।
	Hkkx&3	
1.	पैरा 2	पुस्तक विक्रय केन्द्रों के बचत खातों में से बोर्ड मुख्यालय को करोड़ों रूपये की हस्तांतरित राषियों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
2.	पैरा 3	शिक्षा विभाग हि0 प्र0 सरकार को उधार विक्रय की गई पुस्तकों की कीमत व कितनी —2 राषि इसके एवज में बोर्ड मुख्यालय में प्राप्त की, का विवरण उपलब्ध न करवाने बारे ।
3.	पैरा 4	₹30,705.95 की राषि विभिन्न पुस्तक विक्रेताओं से पुस्तकों की वास्तविक कीमत से कम वसूल करने बारे ।
4.	पैरा 5	₹18,75,708/— की कीमत की पुस्तकें स्टॉक में कम पाए जाने की वसूली बारे ।

5.	पैरा 6	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के कुछ एक पैरों में गम्भीर अनियमितताओं के मामलों में कोई कार्यवाही न करने बारे ।
	<u>5 o"kZ ls vf/kd vof/k rd yfEcr iMs vfu.khZr iSjksa dk fooj.k A</u> <u>vof/k 2001&2002 ls 2004&05 rd A</u> <u>o"kZ 2001&02</u> <u>Hkkx&2</u>	
1.	पैरा 6	इन्डैन्ट नं0 308 दिनांक 13.11.2000 द्वारा मै0 परिहार प्रिटिंग प्रैस षिमला को 11.3625 मिट्रिक टन कागज जिसकी कीमत लगभग 4 लाख बनती थी उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु जारी किया गया परन्तु न तो प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं का विवरण ऑडिट को दिखाया गया न ही कागज की कीमत की वसूली सम्बन्धित फर्म से न करने बारे ।
2.	पैरा 7	इन्डैन्ट नं0 538,547 व 548 द्वारा 36 मिट्रिक टन कागज विभिन्न मुद्रकों को जारी किया गया परन्तु इस कागज को उपयोग करने बारे अभिलेख न दिखाये जाने बारे ।
3.	पैरा 8	सितम्बर, 1999 में मैट्रिक प्राईवेट की संचालित परीक्षा से सम्बन्धित डी.एण्ड सी. शीटस की जांच में ₹2,12,478/– की राषि परीक्षार्थियों से वसूली जानी शेष है या वसूली गई राषि के आगे दर्षाए गए कोड व रसीद संख्याः गलत दर्षाने बारे ।
4.	पैरा 15	विभिन्न राषियां विभिन्न बैंकों की बैंक विवरणियों के अनुसार प्राप्ति के ड्राफटों की राषियां वापसी के कारण बैंक खातों से घटाई गई परन्तु न तो इन्हें रोकड़ वही से कम किया गया और न ही जमाकर्ताओं से वसूली न करने बारे ।
5.	पैरा 17	याचिका संख्याः ओ0ए0(डी0)66/94 गिरधारी लाल व अन्य बनाम स्टेट में ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 24.2.94 को उपरोक्त मामले में स्थगन आदेष पारित किए थे, के अन्तिम निर्णय को दिखाने बारे ।
6	पैरा 18	बोर्ड के वाहन संख्याः एच.पी. 053–0777 अम्बेसडर कार की लॉग बुक की जांच बारे ।
7.	पैरा 19	बोर्ड के वाहन संख्याः एच.आई.के.222 जिप्सी की लॉग बुक की जांच बारे ।
8.	पैरा 24	हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्याः फिन (पी0आर.)(बी)(7)– 1/98–111 दिनांक 3.11.2001 द्वारा क्लर्कों के केडर को 50:50 के अनुपात में मामला माननीय प्रषासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा रोक लगाने बारे ।
	<u>Hkkx&3</u>	
1.	पैरा 2	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों के निपटारे बारे ।
2.	पैरा 3	पुस्तक विक्रय केन्द्रों के बैंक बचत खातों से माह के अन्त में स्थानान्तरण राषियां स्थानान्तरण बारे ।
3.	पैरा 4	शिक्षा विभाग को उधार बेची गई पुस्तकों की विक्री पर राषि ₹88454.75 की छूट अनियमित रूप से दिए जाने बारे ।
4.	पैरा 5	पुस्तक विक्रय केन्द्र सोलन के अवधि 1/93 से 3/2000 तक अंकेक्षण में

		पैरा संख्याः 10 अनुसार ₹9530.50 की राषि की विभिन्न पुसतकें बिना विक्री विवरण के स्टाक रजिस्टरों से खारिज करने बारे ।
5.	पैरा 6	पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2001 तक के पैरा 8 अनुसार ₹35877 की राषि पुस्तकें गणना में कम लिए जाने बारे ।
6.	पैरा 7	पुस्तक विक्रय केन्द्र रोहडू के अवधि 4/98 से 3/2001 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या5 5(I)(II) के अनुसार ₹1630/– की कम वसूली बारे
7.	पैरा 8	पुस्तक विक्रय केन्द्र जसूर के अवधि 4/98 से 3/2001 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 6(क) में दिए गए विवरणानुसार विभिन्न पुस्तक विक्रेताओं से अधिक वसूल की गई कुल ₹10780/– की राषि को बाद में जारी किए गए कैषमैमों अनुसार प्रभारी द्वारा बोर्ड अधिकारियों से निर्देष प्राप्त किए बिना अपने स्तर पर ही समायोजित करने बारे ।
8.	पैरा 10	पुस्तक विक्रय केन्द्र जसूर के विभिन्न पुस्तकों के स्टॉक रजिस्टरों अनुसार कुल ₹97923/– की राषि की पुस्तकें वास्तविक शेष से कम दर्षाई जाने बारे ।
9.	पैरा 11	पुस्तक विक्रय केन्द्र धर्मषाला के अवधि 4/98 से 3/2001 के पैरा सं0 3 अनुसार रोकड़ वही अनुसार शेष में ₹14189.90 का अन्तर पाया जाना ।
	o"kZ 2002&03 Hkkx&1	
1.	पैरा 2	राषि ₹78,55,511.05 के रोकड़ वही शेष व बैंक शेषों के अन्तर का मिलान करने बारे ।
2.	पैरा 7	दिनांक 1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंषदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख–रखाव न करने बारे ।
	Hkkx&2	
1.	पैरा 6	जे.बी.टी. की परीक्षा से प्राप्त बैंक ड्राफटों एवं आई.पी.ओ. को बैंक में जमा करवाने जाने के सम्बन्ध में ।
2.	पैरा 7	श्री जगदीष चन्द ठाकुर, वरिष्ठ लिपिक से ₹11,08,986.48 की राषि के गवन/धोखाधड़ी एवम् अभिलेख सम्बन्धी अनियमितताओं के कारण वसूली जानी शेष है ।
3.	पैरा 8–क	भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सी.एल.गुप्त को माह 4/2002 से उनकी कार्यभार मुक्ति की तिथि 31.5.2003 तक मूल वेतन ₹19100/– से बढ़ाकर ₹19550/– की दर से वेतन का भुगतान करने के सन्दर्भ में उनके पैतृक विभाग से वेतनवृद्वि आदेष प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 8–ख	इसके अतिरिक्त अध्यक्ष स्कूल षिक्षा बोर्ड धर्मषाला श्री चमन लाल गुप्त के चार वर्ष पूर्ण होने उपरान्त वित्त विभाग (विनियमन) के डायरी संख्याः 845 फिन.सी.बी.(1) 5/94 दिनांक 24.9.02 के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति देय नहीं था, के बारे ।
4.	पैरा 9	विभिन्न स्थल मूल्यांकन केन्दों के वर्ष 2003 के व्यय से सम्बन्धित समायोजन बिलों की जांच के दौरान पाई गई त्रुटियों बारे ।
5.	पैरा 10	विभिन्न मुद्रकों को जारी कागज के खपत के अभिलेख न दिखाने बारे ।
6.	पैरा 12	हि0 प्र0 इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेषन के कक्षा 8वीं तथा 10बीं की मार्च, 2003

		के परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु अत्याधिक स्टेषनरी उपयोग करने बारे
7.	पैरा 13	प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि बारे ।
8.	पैरा 15–क से ज	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित ऑडिट पैरों बारे ।
9.	पैरा 16	पुस्तक विक्रय केन्द्र हमीरपुर के लिए ₹818/– मासिक किराए का भवन छोड़कर ₹3345/– मासिक किराए पर लेने बारे ।
10.	पैरा 17	पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा स्थाई अग्रिम राषि की रोकड़ बही बारे ।
11.	पैरा 19	कोर्ट केस पूजा शर्मा बनाम सचिव, हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड में ₹32632/– का हर्जाना बोर्ड को डालने पर इस राषि के उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
12.	पैरा 20	छात्र की उत्तरपुस्तिका के गुम होने सम्बन्धी मामले की विभागीय तौर पर छानबीन करवाए जाने व उत्तरदायित्व निर्धारित करके ₹103754/– की वसूली बारे तथा ₹50,000/– की राषि की गिरवी एफ.डी.आर. की शीघ्र वापसी सुनिष्चित कर बोर्ड की आय में जमा करवाने बारे ।
13.	पैरा 21	श्री दिनेष कुमार बनाम बोर्ड मुकदमा संख्याः 350/2002 के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार माननीय राज्य उपभोक्ता न्यायलय षिमला के पक्ष में ₹26500/– की राषि की एफ.डी.आर. के रूप में जमा करवाए जाने बारे ।
14.	पैरा 23	सम्पर्क कार्यालय षिमला व पुस्तक विक्रय केन्द्रों में अधिक स्टॉफ तैनात करने बारे ।
15.	पैरा 24	रेलवे बोर्ड से कम प्राप्त किए गए कागज की कीमत ₹74,074/–के प्राप्त न होने बारे ।
16.	पैरा 25	डिपॉजिट कार्यो की राषि के उपयोगिता एवं कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र न प्रस्तुत करने बारे ।
17.	पैरा 26	चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टरों का नियमानुसार रख–रखाब न करने बारे
18.	पैरा 27–क	पुरानी संकध रजिस्टर से नई संकध रजिस्टर में वस्तुओं का शेष न उठाये जाने बारे ।
19.	पैरा 28	स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
20.	पैरा 29	₹47,120/– की उपदान राषि श्री प्रीतम सिंह चौधरी सेवा निवृत संयुक्त सचिव की सेवा अवधि 17.8.1965 से 10.9.1969 तक की वसूली पंजाब विष्वविद्यालय से करने बारे ।
21.	पैरा 30	आवासीय कालौनी सिद्वबाड़ी में पूर्व में निर्मित सैपटिक टैंक के दोषपूर्ण निर्माण व लगभग दो वर्ष की अवधि उपरान्त ही ओवरफलो होने से पुनः लोक निर्माण विभाग को उक्त की मुरम्मत हेतु ₹3,41,400/– के किए गए भुगतान का उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
22.	पैरा 31	वाहन एम्बैसडर कार संख्याः एच.पी. 777/819 की जांच बारे ।
23.	पैरा 34	श्री एल.सी. जोषी (सेवा निवृत) के अन्तिम भुगतानों के बारे में ।
	Hkkx&kkk	
1.	पैरा 2	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों के निपटारे बारे ।

2.	पैरा 3	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गोदामों में अत्याधिक मात्रा में अप्रचलित पुस्तकें गत अनेक वर्षों से पड़ी होने बारे ।
2.	पैरा 4	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों में पड़ी पुस्तकों एवं अन्य सामग्री का गत कई वर्षों से प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
3.	पैरा 5	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा पुस्तकों को विक्रय करते समय राषियों के कम वसूली बारे ।
4.	पैरा 6	डिपो उना के अवधि 4/99 से 3/2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 6 में दिए गए विवरणानुसार कुल ₹71023/– की राषि की पुस्तकें स्टाक रजिस्टरों अनुसार मकान मालिक द्वारा ताला तोड़कर विक्रय कर लेने बारे ।
5.	पैरा 7–क	डिपो षिमला के अवधि 4/95 से 3/2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा सं0 4 अनुसार षिक्षा विभाग को लाखों रूपये की उधार विक्रय की गई पुस्तकों की कीमत की वसूली के सन्दर्भ में
	पैरा 7–ग	पैरा–5 अनुसार डिपो से मुख्यालय को स्थानान्तरित राषियों के बैंक में जमा करवाए जाने के सन्दर्भ में अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 7–घ	पैरा सं0 9 में वर्णित ₹1,29,286/– की राषि की पुस्तकें श्री मस्त राम शर्मा प्रभारी द्वारा चार्ज सौंपते समय कम सौंपी गई ।
6.	पैरा 8	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्राप्त कैष मैमों, बिल बुक, पुस्तक प्राप्ति रसीदों से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारे ।
	Hkkx&4	
1.	पैरा 2–क	बैंक अन्तिम शेष व रोकड़ अन्तिम शेषों में ₹7855511.05 के अन्तर की समाधान विवरणी तैयार न करने बारे ।
2.	पैरा 3	वर्षिक लेखा वर्ष 2002–03 से सम्बन्धिंत भुगतान शीर्ष बारे टिप्पणियां/आपत्तियों बारे ।
	vof/k 2003&04 Hkkx&1	
1.	पैरा 2	कैष बुक शेष व बैंक शेष में ₹53,06,320.820 के अन्तर का शीघ्र मिलान करने बारे ।
2.	पैरा 6–क	वर्ष 2003–04 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के छात्रों से ₹11,54,609/– दिनांक 31.3.04 तक वसूले जाने शेष थे ।
3.	पैरा 7–क	1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंषदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख–रखाव न करने बारे ।
	Hkkx&2	
1.	पैरा 4	पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों में से ₹3,44,448/– की राषि की कटौतियां करने बारे ।
3.	पैरा 6–क से ग	स्कूल षिक्षा बोर्ड की आय/कर्मचारियों के भविष्य निधि के अंकेक्षण पर लगभग ₹57,12,533/– की राषि का सम्भावित दुर्विनियोजन किये जाने बारे ।
3.	पैरा 7	बकाया प्रवेष शुल्क के लिए पत्र व्यवहार अन्तर्देषीय पत्र द्वारा किये जाने के बजाए खुले कार्ड द्वारा किये जाने के कारण गत दो वर्षों में बोर्ड निधि पर

		लगभग ₹14 लाख रूपये की राषि का अनियमित भुगतान के उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
4.	पैरा 8	₹130688/– की राषि को उपायुक्त कांगड़ा से वापिस लेने बारे।
5.	पैरा 9	परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों को अग्रिम राषियों के समायोजन लेखे समय पर प्रस्तुत करने बारे ।
6.	पैरा 11	अप्रैल, 2004 में संचालित जे0बी0टी0 प्रवेष परीक्षा में कार्यरत बोर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों को ₹893361/– का मानदेय दिए जाने बारे ।
7.	पैरा 12	सरकार द्वारा समय–2 पर जारी आदेषों दिषा निर्देषों की अनदेखी करके बोर्ड द्वारा विपरीत निर्णय लेने बारे ।
8.	पैरा 13	मै0 आर.पी.कपूर प्रिन्टर्ज को गोपनीय कार्य हेतु 23) ग 33" के जारी किए गए कागज के खपत अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
9.	पैरा 14	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित वाहनों के टायरों को बदलने एवम् औसत की गणना करके समस्त लाग बुकों को नियमानुसार लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत करने बारे ।
10.	पैरा 15	बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को परिश्रमिक का भुगतान हि0 प्र0 सरकार द्वारा समय–2 पर जारी आदेषों के प्रतिकूल भुगतान करने बारे ।
11.	पैरा 16	क्लर्कों, बरिष्ठ लिपिकों व वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सहायकों को बढ़ी हुई दर से सचिवालय भत्ता दिए जाने बारे ।
12.	पैरा 18	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेषन से कागज की मात्रा कम प्राप्त होना
13.	पैरा 19	श्री कृष्ण शर्मा, अनुभाग अधिकारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों बारे ।
14.	पैरा 20	दूरभाष संख्याः डी.एम.ए. 222973 एवं डी.एम.ए. 223188 के भुगतान बिलों में समान्नतर लाईनों के किराये बारे ।
	पैरा 22–2	विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रिम भुगतान की गई समस्त राषियों के उपयोग बारे ।
15.	पैरा 24	निजि षिक्षण संस्थाओं से प्राप्त सम्बद्वता शुल्क का वर्ष 2000 से 2004 के ऑडिट में पाई गई आपत्तियों बारे ।
16.	पैरा 25	पानी के बिलों को नियत तिथि को भुगतान न करने पर अगले बिल में सरचार्ज बारे ।
17.	पैरा 26	निर्धारण मामलों में न्यायलय द्वारा रोक लगाने बाद अन्तिम निर्णयों को लेखा परीक्षा को सूचित करने बारे ।
18.	पैरा 27	विभिन्न षिक्षण संस्थाओं को ₹114000/– अनुदान के रूप में भुगतान की गई राषियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने बारे ।
19.	पैरा 28	पुस्तक विक्रय केन्द्रों का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
20.	पैरा 29	चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर बारे ।
21.	पैरा 31–क	कुल 175000 जे.बी.टी. आवेदन पत्रों से सम्बन्धित प्राप्ति एवं खपत विवरण अब पुस्तक विक्रय केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाये जाने बारे ।
	पैरा 31–घ	पुराना इन्टरनैट डी–लिंक गुम हो जाने के कारण नया इन्टरनैट ₹4250/– में खरीदने का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बारे ।
22.	पैरा 32–क से ड. तक	सम्पर्क कार्यालय षिमला में अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के बारे में ।
	Hkkx&3	

1.	पैरा 3	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गोदामों में अत्याधिक मात्रा में अप्रचलित पुस्तकों के डेड स्टॉक का निपटारा न करने बारे ।
2.	पैरा 4	वर्ष में एक बार प्रत्येक पुस्तक विक्रय केन्द्र में पड़ी पुस्तकों एवं अन्य सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाने बारे ।
3.	पैरा 5	पुस्तक विक्रय केन्द्र रोहड़ू के अवधि 4/01 से 3/03 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा सं0 8(ख) में ₹1300/– की कम वसूली बारे ।
4.	पैरा 6	डिपो कुल्लू के अवधि 4/99 से 3/03 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सं0 4 व पैरा सं0 10 में क्रमषः ₹718/– व ₹4500/– की वसूली बारे ।
5.	पैरा 7	एक डिपो से दूसरे डिपो को अनेकानेक पुस्तक एवम् फार्म इत्यादि स्थानान्तरण करने बारे ।
	Hkkx&4	
1.	पैरा 2–क से छ	₹53,06,320.82 कैष बुक व बैंक शेष के अन्तर के मिलान बारे व वार्षिक लेखा की टिप्पणियों के सन्दर्भ में ।
2.	पैरा 3–क से च	वार्षिक लेखा वर्ष 2003–04 पर लेखा टिप्पणियों बारे ।
	vof/k 2004&05 Hkkx&k	
1.	पैरा 2	कैष बुक अन्तिम शेष व बैंक अन्तिम शेष में ₹1,17,69,322.17 का अन्तर प्रलक्षित होना ।
2.	पैरा 6	वर्ष 2004–05 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के परीक्षार्थियों से ₹23,06,825/– की राषि वसूली हेतु शेष रहना ।
3.	पैरा 7–क–1	अवधि 1.4.2000 से पूर्व अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 7–क–3	अंशदायी भविष्य निधि खाता की देनदारी ₹40,00,984/– होना
	पैरा 7–ख–3	गैर अंषदायी भविष्य निधि खाता की देनदारी उपलब्ध राषियों से ₹31,51,043/– अधिक होना ।
	Hkkx&2	
1.	पैरा 1	गोपनीय निधि में ₹152017.60 अनुपयुक्त राषि को अन्तिम शेष में सम्मिलित किये जाने बारे ।
2.	पैरा 4	आन्तरिक जांच को सुदृढ़ किए जाने बारे ।
3.	पैरा 6	वर्ष 2004–05 के दौरान बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को कुल ₹920883/– के पारिश्रमिक का भुगतान सरकार के आदेषों के विपरीत किया जाना
4.	पैरा 7	यात्रा भत्ता/पारिश्रमिक बिलों में गम्भीर अनियमितताओं बारे ।
5.	पैरा 9	विभिन्न परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क के बकाया बारे ।
6.	पैरा 10	बोर्ड के बचत बैंक खाता संख्याः 01100/150005 में राषियों का डेबिट किये जाने बारे ।
7.	पैरा 11	श्रीमति रूप दासी वरिष्ठ सहायक की लड़की के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिल बारे।
8.	पैरा 13	सिविल मुकदमा संख्याः 39/सी.एस. दिनांक 23.4.90 रामस्वरूप बनाम हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड व अन्य मामले में अतिरिक्त सिविल न्यायधीष

		अम्बाला द्वारा ₹23680/– की राषि बोर्ड के बैंक खाता सं0 0110015005 एस.बी.आई. बैंक के माध्यम से सीधे निकालने के आदेष बारे ।
9.	पैरा 14	बोर्ड द्वारा हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग एवं अन्य कार्य निष्पादन संस्थाओं को निक्षेप कार्यों के निपटारे/निष्पादन हेतु दी गई अग्रिम राषियों के एवज में कार्य निष्पादन एवं राषि उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे ।
10.	पैरा 15	स्थल मूल्यांकन केन्द्र बिलासपुर मार्च, 2005 के अग्रिम समायोजन बारे ।
11.	पैरा 16	सितान्षु गौत्तम बनाम बोर्ड आफ स्कूल ऐजुकेषन षिकायत संख्याः 437/2003 दिनांक 14.10.2003 जिसका निर्णय दिनांक 4.1.2005 को हुआ था, बारे ।
12.	पैरा 17	कुमारी वनीता देवी को दस जमा एक का रोल नं0 171512 तथा कक्षा दस जमा दो का रोल नं0 267110 जारी करने पर माननीय जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा बोर्ड को ₹10,150/– जुर्माना करने बारे ।
13.	पैरा 18	वर्ष 2004–05 के दौरान जारी कागज/कवर पेपर की खपत/उपयोग बारे
14.	पैरा 19	पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा अग्रदेय धन राषि के रिकूपमैंट रजिस्टर का सही ढंग से रख–रखाव न करने बारे ।
15.	पैरा 20	उपभोक्ता न्यायलय द्वारा ₹11000/– का हर्जाना परीक्षार्थी श्री आदित्य सुपुत्र श्री हेम राज ठाकुर के पक्ष में आदेष पारित करने बारे व इस राषि की भरपाई का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बारे ।
16.	पैरा 21	माननीय जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा कु0 अंकुर राणा सुपुत्र श्री हरनाम सिंह राणा छात्रा दस जमा एक को राषि ₹10,000/– हर्जाना भुगतान के उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
17.	पैरा 22	बोर्ड के समस्त वाहनों की प्रति कि0 मी0/लीटर औसत निर्धारण बारे ।
18.	पैरा 24	विभिन्न षिक्षण संस्थाओं को ₹83000/– अनुदान के रूप में भुगतान की गई राषियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे ।
19.	पैरा 25	श्री रवि भूषण गुप्ता संयुक्त सचिव (सेवा निवृत) की उपदान राषि बारे ।
20	पैरा 26	मननीय जिला उपभोक्ता फोरम कांगड़ा स्थित धर्मषाला कैम्प नूरपुर द्वारा षिकायत संख्याः 175/04 के अन्तर्गत ₹26000/– की जुर्माना राषि बारे
21.	पैरा 28	फर्नीचर के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार क्रय किये गये सामान को जारी करने बारे ।
22.	पैरा 33	चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर बारे ।
23.	पैरा 35	बोर्ड के विश्राम गृहों पर खर्चा ₹4,37,435/– व आय मात्र ₹10,500/– बारे ।
24.	पैरा 36	बोर्ड प्रषासन द्वारा ₹15,14,956/– की राषि के कम्पयुटर खरीदने उपरान्त भी बोर्ड की कार्यप्रणाली को कम्पयूटरीकृत न करने बारे ।
25.	पैरा 37	सरकार द्वारा समय–2 पर जारी आदेषों/दिषा निर्देषों की अनदेखी करके बोर्ड द्वारा विपरीत निर्णय न लेने बारे ।
26.	पैरा 39	अप्रचलित/खराब पुसतकों बारे ।
27.	पैरा 40	वेतन निर्धारण मामलों में न्यायलय द्वारा स्थगन आदेष जारी करने उपरान्त बोर्ड द्वारा स्थगन आदेष को निरस्त करवाने बारे प्रयास न करना ।
28.	पैरा 41	वित्त विभाग की अनुमति एवं राज्य इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेषन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही लैप–टॉप इत्यादि का क्रय करना ।

29.	पैरा 42	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के सम्पर्क कार्यालय के अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण पर पाई गई अनियमितताओं बारे ।
	Hkkx&3	
1.	पैरा 2	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों के निपटारे बारे ।
2.	पैरा 4	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गोदामों में अत्याधिक मात्रा में अप्रचलित/क्षतिग्रस्त पुस्तकों का पाया जाना ।
vof/k 1-4-2005 l: 31-3-2006 rd Hkkx&1		
1.	पैरा 2	₹1,26,30,770.04 की राषि का अन्तर रोकड़ शेष व बैंक शेष में पाये जाने बारे ।
2.	पैरा 6	वर्ष 2005–06 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के छात्रों से ₹13,74,595/– वसूले जाने शेष हैं ।
3.	पैरा 7–क–1	दिनांक 1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंषदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ वही का रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 7–क–3	अंशदायी भविष्य निधि खाता की देनदारी उपलब्ध संसाधनों से ₹7591018.07 अधिक होने बारे ।
	पैरा 7–ख–3	गैर अंषदायी भविष्य निधि खाता की देनदारी उपलब्ध राषियों से ₹37,24,947.51 अधिक हैं ।
	Hkkx&2	
1.	पैरा 4	वर्ष के दौरान ₹2,71,034/– की राषि की कटौतियां ऑडिट द्वारा विभिन्न भुगतान बिलों से करने बारे व आंतरिक जांच को और सुदृढ़ करने बारे ।
2.	पैरा 6	स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार निर्णय न लिए जाने बारे ।
3.	पैरा 7	कनिष्ठ सहायकों को उच्च वेतनमान दिए जाने बारे ।
4.	पैरा 8	पचास हजार से कम मात्रा में विभिन्न पुस्तकों के मुद्रण करवाने के कारण ₹1,15,864/– का अधिक भुगतान करवाने बारे ।
5.	पैरा 10	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के सम्पर्क कार्यालय में अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण पर पाई गई अनियमितताएं ।
6.	पैरा 11	विभिन्न षिक्षण संस्थानों को ₹63000/– अनुदान के रूप में भुगतान की गई राषियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने बारे ।
7.	पैरा 12	बोर्ड द्वारा हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग एवं अन्य कार्यो को निष्पादित करने वाली संस्थाओं को निक्षेप कार्यों के निपटारे/निष्पादन हेतु दी गई अग्रिम राषियों के प्रतिफल में कार्य निष्पादन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र के प्रस्तुतीकरण बारे ।
	Hkkx&kkk	
1.	पैरा 1	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण से सम्बन्धित मुख्य अनियमितताएं
2.	पैरा 2	पुस्तक विक्रय केन्द्र जसूर में ₹15210/– की राषि के मूल्य की पुस्तकों का स्टॉक में कम पाया जाना ।
3.	पैरा 3–1	पुस्तक विक्रय केन्द्र उना में पुस्तकों की विकी से प्राप्त आय को बैंक में

		जमा न करवाने बारे ।
	पैरा 3–3	पुस्तक विक्रय केन्द्र उना से पुस्तकें चोरी होने बारे ।
	पैरा 3–4	पुस्तकों के स्टाक रजिस्टरों अनुसार स्टॉक में कम पुस्तकें ।
	पैरा 3–5	शिक्षा विभाग हि0 प्र0 सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों के सम्बन्ध में रजिस्टर प्रस्तुत न किया जाना ।
4.	पैरा 4–1	निर्णीत ।
	पैरा 4–2	स्टॉक रजिस्टरों के अनुसार ₹731 / – की राषि की पुस्तकों की वास्तविक शेष से अधिक दर्षाया जाने बारे ।
5.	पैरा 5	पुस्तक विक्रय केन्द्र हमीरपुर की रोकड़ वही व बैंक अन्तिम शेष में ₹1957. 63 का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
6.	पैरा 6	पुस्तक विक्रय केन्द्र पपरोला के प्रत्यक्ष सत्यापन अनुसार स्टॉक में कम पुस्तकों की वसूली न करने बारे ।
7.	पैरा 7–1	पुस्तक विक्रय केन्द्र षिमला के स्टॉक रजिस्टर से बिना विक्रय किए पुस्तकें जारी करने से राषि ₹6875 / – की हानि बारे ।
	पैरा 7–2	पुस्तकों के स्टॉक रजिस्टरों अनुसार स्टॉक में कम पुस्तकें ।
	पैरा 7–3	पुस्तकों के खराब होने के कारण स्टॉक कम करने बारे ।
	पैरा 7–4	₹2880 / – की स्टॉक रजिस्टर में से अधिक पुस्तकें जारी करने बारे ।
	पैरा 7–5–क	विक्रय केन्द्र रोहड़ू से सम्बन्धित स्टॉक प्रविष्टि अंकेक्षण अवधि के दौरान न दर्षाने बारे ।
	पैरा 7–5–ख	सातवीं कक्षा की पुस्तक महाभारत (706) की 160 पुस्तकें पुस्तक विक्रय केन्द्र रोहड़ू का स्थानान्तरित की गई परन्तु खारिज प्रविष्टि अंकेक्षण के दौरान न दर्षाने बारे ।
8.	पैरा 8	पुस्तक विक्रय केन्द्र मण्डी में पुस्तकों के खराब होने के कारण स्टॉक में अलग से दर्षाने बारे ।
9.	पैरा 9–1 से 9 (क से ड.)	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की मास अप्रैल, 2005 से जुलाई, 2005 तक की आय की जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं बारे
	Hkkx&4	
1.	पैरा 2 से 3	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड धर्मषाला के लेखाओं वर्ष 2005–06 के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
	vof/k 1-4-2006 ls 31-3-2007 Hkkx&1	
1.	पैरा 2–ग	रोकड़ बही अन्तिम शेष व बैंक अन्तिम शेष में ₹1,49,16,364.66 का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
2.	पैरा 7–क–1	दिनांक 1.4.2000 से पूर्व अंषदायी / गैर अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 7–क–3	अंशदायी भविष्य निधि / सामान्य भविष्य निधि खाते की देनदारी उपलब्ध राषियों से 5,44,79,236.93रू0 कम होने बारे ।
	पैरा 7–ख–3	गैर–अषदायी भविष्य निधि खाते की देनदारी उपलब्ध राषियों से

		₹2,38,75,150.49 कम होने बारे ।
	Hkkx&2	
1.	पैरा 1	दिनांक 31.3.2007 को गोपनीय निधि में ₹17,77,918.60 अनुपयुक्त शेष को वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित न किए जाने बारे ।
2.	पैरा 4	पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों में से कटौतियां (रिर्टेन्चमैंट) बारे ।
3.	पैरा 5	दिनांक 31.3.2007 तक ₹14,88,39,704.30 की राषि असमायोजित बारे ।
4.	पैरा 7	स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार निर्णय न लेने बारे
5.	पैरा 8	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अनावष्यक स्टॉफ को सरकार के विभागों में अन्तर्लयन करने बारे ।
6.	पैरा 9	बोर्ड कर्मचारियेां को ₹57098/– की राषि के मानदेय की स्वीकृति वित्त विभाग हि0 प्र0 से लेने बारे ।
7.	पैरा 13	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड सम्पर्क कार्यालय में अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण में पाई गई अनियमितताओं बारे ।
8.	पैरा 14–1–1	पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा में ₹1000/– कम जमा करवाने बारे
9.	पैरा 14–1–2	चम्बा डिपो के बैंक खाता में ₹225/– कम जमा करवाने बारे।
10.	पैरा 14–1–3	राशि ₹4,42,630/– की पुस्तकें सर्व षिक्षा अभियान के अन्तर्गत वापिस प्राप्त की गई परन्तु सम्बन्धित रसीद एवं पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण को न दिखाने बारे ।
11.	पैरा 14–1–4	पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा में ₹963/– की कम वसूली बारे ।
12.	पैरा 14–1–5	डिपो बिलासपुर, रोहडू व चम्बा के प्रभारियों द्वारा पुस्तक विक्रेता से राषि प्राप्त करने उपरानत सवयं बैंक में जमा करवाने बारे।
	पैरा 14–2	डिपो रिकांगपिओ में दिनांक 21.2.06 को बैंक में ₹22,91,391/– जमा करवाए गए परन्तु यह राषि किस उदेष्य/एवज़ में जमा करवाई गई लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाये जाने बारे ।
	पैरा 14–3–1	डिपो हमीरपुर के बैंक खाता में ₹2250/– कम जमा करवाने बारे।
	पैरा 14–4	पुस्तक विक्रय केन्द्र मण्डी पुस्तकों की विक्री से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 14–9	पुस्तक विक्रय केन्द्र कुल्लू से सम्बन्धित मास फरवरी व मार्च, 2006 के आय अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
	Hkkx&3	
1.	पैरा 2 क,ख,ग,च व झ	वार्षिक लेखा से सम्बन्धित टिप्पणियों बारे ।
2.	पैरा 3–ग,घ व ड.	––––––यथोपरि–––––––––
	vof/k 2007&08	
1.	पैरा 2(iii)	रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹14271551.61 का अन्तर परिलक्षित होना ।
.	पैरा 2(iv)	बोर्ड अधिनियम–1968 की धारा 14(2) अनुसार वर्ष 2007–08 के अन्त में ₹200106413.53 के अन्तिम शेष में से सरकार को भेजी जानी आपेक्षित है
2.	पैरा 6(i)	परीक्षा शुल्क के रूप में ₹1372277/– की राषि परीक्षार्थियों से वसूली

		जानी शेष है ।
.	पैरा 6(ii)	शिक्षा विभाग हि0 प्र0 सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों के एवज़ में ₹52031496/– की राषि वसूली जारी शेष है ।
3.	पैरा 7(1)(i)	शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षो से अंषदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख–रखाब न करने बारे ।
4.	पैरा 8(4)	पैंषन निधि के प्रबन्धन बारे ।
5.	पैरा 15	वर्ष 2007–08 तक बोर्ड निधि में से दी गई अग्रिम राषियों में से दिनांक 31.3.08 तक ₹185787959.26 की राषि असमायोजित होने बारे ।
6.	पैरा 16	कक्षा जमा एक के परीक्षा परिणाम के कार्य की आउट सोरसिंग करने पर मैसर्ज आई सी एन (इण्डिया) पा0 लि0 न्यू दिल्ली–46 को किये गये 50 प्रतिषत भुगतान ₹260870/–के बारे ।
7.	पैरा 17	रूप ट्रांसपोर्ट क0 षिमला को जी0 आर0 नं0 दिनांक 20.8.07 के तहत किये गये भुगतान ₹8425/– बारे ।
8.	पैरा 18	माह मार्च, 04 के दौरान उड़न दस्ते द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने के एवज़ में श्री अष्वनी कुमार चडडा को अपनी कार नं0 एच0पी0 23ए–6397 का उपयोग करने पर अनियमित भुगतान की गई राषि ₹5200/–बारे ।
9.	पैरा 19	श्री राम सिंह मिन्हास (सेवा निवृत प्रवक्ता) द्वारा निजि स्कूलों की सम्बद्वता का दिनांक 5.5.07 से 12.5.07 तक निरीक्षण करने हेतु टैक्सी का उपयोग करने में अधिक भुगतान बारे ।
10.	पैरा 20(1)	निविदाओं की अवधि समाप्त होने के उपरान्त पुस्तकों के मुद्रणादेष जारी करने बारे ।
	पैरा 20(2)	बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2008–09 की पुस्तकों का मुद्रण वर्ष 2006–07 की दरों के आधार पर करवाने से राषि ₹143672/– की हानि बारे ।
11.	पैरा 21	बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों में वर्ष 2006–07 में पुस्तक विक्रय के कारण कम वसूल की गई राषि बारे ।
12.	पैरा 22	हि0 प्र0 राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, षिमला द्वारा अपील संख्याः 121/2007 के अन्तर्गत ₹12119/– के मुआवजे बारे
13.	पैरा 23	प्रशासनिक भवन के तृतीय चरण के भवन निर्माण हेतु अधिषाषी अभियन्ता, हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0 धर्मषाला के अग्रिम भुगतान राषि ₹1973000/–बारे
14.	पैरा 24	आम सभा के आयोजन पर दिनांक 25.4.2007 को जलपान हेतु ₹5965/– के व्यय बारे ।
15.	पैरा 25(1)	दोहरे भुगतान पारित करने के सन्दर्भ में ।
	पैरा 25(2)	दोहरे यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बारे ।
	पैरा 25(3)	अध्यापकों द्वारा दो कार्य–स्थलों से अलग–2 पारिश्रमिक बिल प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में ।
	पैरा 25(4)	अग्रिम राषियों के समायोजन बारे ।
	पैरा 25(5)	अनियमित यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बारे ।
	Hkkx&3	

16.	पैरा 2(1)	रोकड़ शेष व बैंक के अन्तिम शेष में ₹14271551.16 का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
	पैरा 2(1)(ii)	राशि ₹1372277/— बतौर परीक्षा शुल्क वसूली हेतु लम्बित है ।
	पैरा 2(1)(iii)	दिनांक 1.10.2007 से पहले निर्गमित किए गए हैं व चैक दिनांक 31.3.2008 को कालातीत चैकों को पुनः रोकड़ वही में दर्ज न किया जाने बारे ।
	पैरा 2(1)(iv)	₹156284/— की राषि को अवर्गीकृत आय शीर्ष में दर्षाया जाना ।
17.	पैरा 3(3)	वर्ष 2007—08 के दौरान कुल ₹13706548/— की राषि के उपयोगिता प्रमाण—पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न किए जाने बारे ।
	पैरा 3(4)	₹110000/— की राषि स्वैच्छिक अनुदान के रूप दी गई परन्तु उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाए गए ।
	o"k 2008&09	
1.	पैरा 2(iii)(v)	रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹1,17,22,217.45 का अन्तर परिलक्षित होना ।
2.	पैरा (iii)(vi)	बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 14(2) अनुसार वर्ष 2008—09 के अन्त में ₹28,96,07,035.69 के अन्तिम शेष में से राषि सरकार को भेजी जानी आपेक्षित है ।
	पैरा 6(ii)	शिक्षा विभाग हि0 प्र0 सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों के एवज़ में ₹5,15,80,536/— की राषि वसूली जानी शेष है ।
3.	पैरा 7(1)(i)	शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंषदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख—रखाव न करने बारे ।
	पैरा 7(1)(vi)	परिपक्वता तिथि से पहले निवेषों को भुनाने बारे ।
	पैरा 7(1)(vii)	एक ही अवधि के निवेषों पर अलग—2 दर से ब्याज प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 7(1)(iv)	अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि खाते की देनदारी उपलब्ध राषियों से ₹47,89,103.16 अधिक होने बारे ।
4.	पैरा 8(4)	पैंषन निधि के प्रबन्धन बारे ।
5.	पैरा —14	पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों में से कटौतियां (रिटैंचमैंट) बारे ।
6.	पैरा—15	दिनांक 31.03.2009 तक ₹17,16,92,196 की राषि असमायोजित बारे।
7.	पैरा 16	बोर्ड कर्मचारियों को समय पर आवास आंबटन न करने के फलस्वरूप ₹36017/— आय की राषि की हानि बारे ।
8.	पैरा 17	श्री कृष्ण चन्द, वरिष्ठ सहायक को गलत तिथि से उच्च वेतनमान दिए जाने के कारण शेष राषि ₹897/— की वसूली बारे ।
9.	पैरा 19	बोर्ड कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की अदायगी करने बारे जबकि उनके द्वारा आंबटित आवास का कब्जा न मंजूर करने बारे ।
10.	पैरा 20	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार निर्णय न लिए जाने के कारण यात्रा भत्ता दावों में सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों को ₹82513/— के अनियमित भुगतान बारे ।
11.	पैरा 21	बोर्ड परिसर में कैन्टीन ब्लॉक के निर्माण हेतु ड्राईग की स्वीकृति हेतु राषि ₹15000/—के किए गए भुगतान के उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।

12.	पैरा 22	हि0प्र0 स्टेट इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम को मिडल, मैट्रिक, प्लस वन व प्लस टू कक्षाओं के परिणाम तैयार करने के लिए ₹23,41,991/– के भुगतान बारे ।
13.	पैरा 23	वाहन नं0 एच0पी0–39(ए)–4151 की औसत निर्धारण बारे ।
14.	पैरा 24	गाड़ियों की लॉग बुकें अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाने बारे ।
15.	पैरा 25	बोर्ड कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा ली गई अग्रिम राषियों से शेष बची राषि पर ब्याज न वसूला जाना ।
16.	पैरा 26	बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों में वर्ष 2007–08 में पुस्तक विक्रय के कारण कम वसूल की ₹8256/– राषि बारे ।
17.	पैरा 27	बोर्ड की आवासीय कलौनियों मे पानी की व्यवस्था करने पर लगभग ₹13,53,309/– व्यय करने उपरान्त भी बोर्ड कर्मचारियों से पानी के चार्जिज न वसूलने से बोर्ड निधि को लाखों रुपये की हानि बारे ।
18.	पैरा 28	बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को ₹14,32,885/– का मानदेय सरकार के स्पष्ट न देने के आदेषों के विपरीत दिया जाना ।
19.	पैरा 29	बोर्ड कर्मचारियों को ₹1,52,500/– की अग्रिम राषि टैक्सी/अपनी कार द्वारा प्राईवेट स्कूलों की सम्बद्वता करने हेतु दिए जाने बारे ।
20.	पैरा 30	अध्यक्ष के आवास हेतु फर्नीचर और अन्य सामान क्रय करने बारे
21.	पैरा 31	बोर्ड कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर आवासीय/मोबाईल फोन चार्जिज की प्रतिपूर्ति करने बारे ।
22.	पैरा 32	श्री अजय कुमार भाटिया, केन्द्र अधीक्षक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजपुर को ₹16941/– का भुगतान उसकी व्यक्तिगत वाहन को उपद्रवियों द्वारा क्षति पंहुचाने बारे ।
23.	पैरा 33	चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों बारे ।
24.	पैरा 34	बिल वाउचर के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति संलग्न न करना ।
25.	पैरा 35	––यथोपरि––
26.	पैरा 36	बोर्ड कर्मचारियों को चाय–पान पर किए गए व्यय बारे ।
27.	पैरा 37	₹18000/– की राषि के प्रत्यर्पण बारे ।
28.	पैरा 38(i)	₹15000/– का भुगतान बतौर अग्रिम फुटकर व्यय हेतु अध्यक्ष श्री मनोज कुमार को करने बारे तथा राषि असमायोजित रहना
	पैरा 38(ii)	राषि ₹5000/– सचिवालय भेंट फीस के रूप में श्री दान सिंह को अग्रिम बतौर दी गई जिसका औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
	पैरा 38(iii)	बोर्ड में Resource Person की नियुक्ति बारे ।
	पैरा 38(iv)	₹170/– की राषि श्री कर्म चन्द राठौर, वरिष्ठ सहायक को बिल नं0 1108 दिनांक 3.6.2008 के लिए की गई परन्तु उक्त बिल वाउचर नं0

		8/335 के साथ संलग्न नहीं था ।
	पैरा 38(V)	वाउचर संख्याः 9/233 द्वारा ₹7333/– की राषि विभिन्न बिजली बिलों के भुगतान हेतु की गई परन्तु बिजली बिल व रसीदें वाउचर के साथ संलग्न नहीं थी ।
29.	पैरा 39	पारिश्रमिक व यात्रा भत्ता बिलों में पाई गई गम्भीर अनियमितताएं बारे ।
30.	पैरा 40	अग्रिम राषियों के समायोजन बारे ।
31.	पैरा 41	एक ही अवधि के दोहरे यात्रा भत्ता बिलों को भुगतान हेतु प्रस्तुत करने बारे
32.	पैरा 42	प्रेक्टीकल परीक्षा से सम्बन्धित पारिश्रमिक बिलों में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं के सन्दर्भ में ।
33.	पैरा 43	दोहरी अदायगी पारित करने के सन्दर्भ में ।
34.	पैरा 44	अनियमित यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान के सन्दर्भ में ।
35.	पैरा 45	चुतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक की गई अदायगी बारे ।
	Hkkx&3	
36.	पैरा 2	पुस्तक विक्रय केन्द्रों के प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारे ।
37.	पैरा 3	पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न करने बारे ।
38.	पैरा 4	पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अभिलेखों में अत्याधिक कांट–छांट व सत्यापित न करने बारे ।
39.	पैरा 5	अप्रचलित पुस्तकों के अन्तिम शेषों को अग्रेनीत न करने बारे ।
40.	पैरा 6	₹21637/– की पुस्तकें अन्य रजिस्टर में अग्रेणीत न करने के सन्दर्भ में ।
41.	पैरा 7	बिना बिल जारी स्टॉक से कम की गई पुस्तकों की कीमत की वसूली करने बारे ।
	o'k 2009&10	
	Hkkx&kk	
1.	पैरा 2	ukV सामान्य भविष्य निधि से ₹9.60 करोड़ व ₹30,92,400/– क्रमषः पैन्षन निधि व उपदान निधि में हस्तांतरण बारे ।
2.	पैरा 2(4)	₹5000000/–की राषि पुस्तक विक्रय केन्द्र से बोर्ड मुख्यालय को स्थानान्तरित करने बारे ।
3.	पैरा 2(5)	बैंक के अन्तिम शेष, व रोकड़ वही शेष में ₹1,74,36,677.43 की राषि के अन्तर बारे ।
4.	पैरा 2(6)	₹22,80,89,122.06 की राषि सरकार को न भेजने बारे ।
5.	पैरा 6(i)	₹15,75,233/– की शेष परीक्षा शुल्क की वसूली बारे ।
6.	पैरा 6(i i)	₹5,74,34,346/– की वसूली बारे ।

7.	पैरा 6(i i i)	आय रजिस्टर एवं बैंक विवरणी में जमा राषि के मिलान करने पर ₹4,27,041/–की कम जमा राषि बारे ।
8.	पैरा 6(iv)	आय रजिस्टर में कांट–छांट बारे ।
9.	पैरा 7(i)	अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ वही का अनुरक्षण न करने बारे
10.	पैरा 7(iv)	बढ़ रही देनदारी बारे ।
11.	पैरा 8(3)	सामान्य निधि से पैन्षन निधि में ₹9.60 करोड़ की राषि के हस्तान्तरण बारे
12.	पैरा 15	₹230353694/–की अग्रिम राषि का समायोजन न हाने बारे ।
13.	पैरा 16	₹40,67,363/–की राषि कार्य सम्पन्नता के आधार पर बोर्ड से समायोजित करवाने बारे ।
14.	पैरा 17(1)	प्राईवेट षिक्षण संस्थाओं से सम्बद्वता शुल्क की ₹6400/–की राषि की कम वसूली बारे ।
15.	पैरा 17(2)	निर्णीत ।
16.	पैरा 17(3)	माननीय हि0 प्र0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.3.2007 बारे ।
17.	पैरा 18(i)	बैंक में कम राषि का जा करवाया जाना, आंषिक रूप से अनिर्णीत ।
18.	पैरा 18(ii)	मिसिगं कैष मैमों बारे। आंषिक रूप से अनिर्णीत ।
19.	पैरा 19	स्कूल षिक्षा बोर्ड से पुस्तकें क्रय करने से षिक्षा विभाग हि0 प्र0 सरकार को ₹9,36,07,566/–की हानि बारे ।
20.	पैरा 20	निर्णीत ।
21.	पैरा 21	बोर्ड से सेवा निवृत हुये कर्मचारियों/अधिकारियों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा विना वित्त विभाग/सरकार के अनुमोदन के लागू करने बारे ।
22.	पैरा 22	बोर्ड कर्मचारियों व अधिकारियों को ₹12,08,578/–की मानदेय सरकार के आदेषों के विपरीत दिये जाने बारे ।
23.	पैरा 23	निर्णीत ।
24.	पैरा 24	₹6400/–की राषि सर्विस मैटरज की वर्कषाप में सेवारत अधिकारियों को देने बारे ।
25.	पैरा 25(i)	₹3599/–के भुगतान बारे ।
26.	पैरा 25(ii)	₹4381/–के भुगतान बारे ।
27.	पैरा 25(iii)	₹5808/–के भुगतान बारे ।
28.	पैरा 26(i)	बोर्ड कर्मचारियों को आवासीय/मोवाईल फोन चार्जिज की प्रतिपूर्ति बारे ।
29.	26(ii)	आवासीय दूरभाष नं0 226660 में ब्रॉड बैंड सुविधा की ₹287/–के भुगतान बारे ।
30.	पैरा 27	बोर्ड कर्मचारियों द्वारा टैक्सी/अपनी कार द्वारा प्राईवेट स्कूलों की सम्बन्द्वता हेतू प्रवास करने बारे ।

31.	पैरा 28	माननीय जिला उपभोक्ता फोरम सोलन जिला सोलन विकास सुपत्र श्री नयन सिंह द्वारा षिकायत संख्याः 34/2005 के अर्न्तगत ₹6581/–की जुर्माना राषि बारे ।
32.	पैरा 29	मुकदमा सी डब्ल्यू पी (टी) नं0 2247/2108 श्री बलवीर सहगल वनाम हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड में ₹89,688/–की प्रत्यर्पण की जा रही राषि को रोकने बारे ।
33.	पैरा 30	₹1,19,000/– की राषि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को खेलकूद एवं षिक्षण गतिविधियों के उत्थान हेतु देने बारे ।
34.	पैरा 31(i)	बोर्ड द्वारा बी. आई. ई. ओ. किलाड़ पांगी और उप निदेषक षिक्षा केलगं जिला लाहौल एवं स्पिति को मुफ्त पुस्तकों के स्थानान्तरण पर किए गए भाड़े, लोडिंग व अनलोडिंग के व्यय राषि ₹39,653/–बारे ।
35.	पैरा 32	पाठ्य पुस्तकों की प्रस्तावना को ठीक करने पर ₹11,93,228 की राषि के व्यय बारे ।
36.	पैरा 33	मैं0 देवा ट्रैब्लज शीला चौक को ₹50090/– के भुगतान बारे
37.	पैरा 34	मैं0 देवा ट्रैब्लज शीला चौक को यूटिलिटी वाहन के मासिक किराये के भुगतान बारे ।
38.	पैरा 35	अध्यक्ष के आवास हेतु फर्नीचर और अन्य सामान क्रय करने बारे
39.	पैरा 35(ii)	₹8767/–के बिल बारे ।
40.	पैरा 36	निर्णीत ।
41.	पैरा 37	जे0बी0टी0 वाउचर का मुद्रण विना विज्ञापित टैण्डर आमन्त्रित किए विना करवाने बारे ।
42.	पैरा 38	₹12,10,000/–की राषि जो छात्रवृति अनुदान से शेष बची के प्रत्यापर्ण बारे ।
43.	पैरा 39	राषि ₹10000/– के भुगतान बारे ।
44.	पैरा 40	₹781/– के भुगतान बारे ।
45.	पैरा 41	भुगतान बिल/वाउचर के साथ स्वीकृति या Supporting वाउचर संलग्न न करने बारे ।
46.	प्ेरा 42.	श्री सुरेष शर्मा, सहायक सचिव द्वारा अपनी कार से प्रवास करने बारे ।
47.	पैरा 43	पुस्तक विक्रय केन्द्रों का ऑडिट करवाने बारे ।
48.	पैरा 44	अंकेक्षण शाखा व आन्तरिक अंकेक्षण शाखा में बिलों के भुगतान हेतू अलग–2 बिल रजिस्टरों को उपयोग में लाने बारे ।
49.	पैरा 45	शैक्षणिक सत्र वर्ष 2010–2011 से सरकार द्वारा आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा संचालित न करने के निधि के फलस्वरूप बोर्ड में आठवीं कक्षा की शाखाओं के स्टाफ के समायोजन बारे ।
50.	पैरा 46(i)	वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदों का उपलब्ध न होना ।

51.	पैरा 46(ii)	यात्रा भत्ता बिलों बारे ।
52.	पैरा 46(iii)	मानदेय के भुगतान बारे ।
53.	पैरा 46(iv)	₹1,03,505 / –की राषि के समर्थन में प्राक्कलन आदि न दर्षाने बारे ।
	Hkkx&3	
54.	पैरा 1	अनियमित यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बारे ।
55.	पैरा 2	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक की गई अदायगी के सन्दर्भ में ।
56.	पैरा 3	दोहरे पारिश्रमिक बिलों के भुगतान के सन्दर्भ में ।
57.	पैरा 4	अग्रिम राषियों के समायोजन हेतू ।
58.	पैरा 5	यात्रा भत्ता व पारिश्रमिक बिलों में पाई गई गम्भीर अनियमितताऐं ।
59.	पैरा 6	एक अवधि के दोहरे यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बारे ।
	Hkkx&4	
60.	पैरा 1	समाधान बारे ।
61.	पैरा 2	छात्रों से शेष शुल्क की वसूली बारे ।
62.	पैरा 3	षिक्षा विभाग से पुस्तकों की देय वसूली बारे ।
63.	पैरा 4	निवेषों पर ब्याज बारे ।
64.	पैरा 5	वर्तमान वर्ष के असमायोजित अग्रिमों बारे ।
65.	पैरा 6	31.3.10 को ₹23,03,35,694 / –के असमायोजित अग्रिमों बारे ।
66.	पैरा 7	पैन्षन निधि में स्थानान्तरण बारे ।
67.	पैरा 8	स्थाई सम्पति बारे ।
68.	पैरा 9	सामान्य भविष्य निधि के देय राषि बारे ।
69.	पैरा 10	छात्र शुल्क तथा पुस्तकों की विक्री से देय राषि का सम्पति (Asset) का भाग बारे ।
70.	पैरा 11	धरोहर राषि / प्रतिभूति राषि की प्राप्ति व वापसी बारे ।
71.	पैरा 12	अन्तिम स्टाक बारे ।
72.	पैरा 13(i)	प्रतिभूति बारे ।
73.	पैरा 13(2)	स्थाई अग्रिम बारे ।
74.	पैरा 13(3)	कागज के अन्तिम स्टाक बारे ।
75.	पैरा 13(4)	बोर्ड के बाहन बारे ।

uksV%& bl ds vfrfjDr y[kk ijh{kk ifronu o"k 2005&06 Hkkx&5 d ijk 1 ¼Mh½ e of.kr vfu.khr vf/k;kpuk, yEc le; l vfu.khr g A